वार्षिक प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

इलाहाबाद

सन् १९५७–५८

मुद्रक

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

१९६०

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३२३, खंड (२) के अनुसार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, सन् १९५७–५८ का अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करते हैं।

नफीसुल हसन	अध्यक्ष
राधाकृष्ण	सदस्य
सुरति नारायण मणि त्रिपाठी ·	,,
गिरीश चन्द्र ··	,,
एम० एस० बिष्ट ···	,,

इलाहाबाद,
दिनांक २० अप्रैल, १९५९ ई०

विषय-सूची

परिशिष्ट

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सन् १९५७-५८ के कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन

१—आयोग के सदस्य

श्री नफीसुल हसन, एम० ए०, एल-एल० बी०, आयोग के अध्यक्ष तथा श्री तेजस्वी प्रसाद भल्ला, एम० ए०, एल-एल० बी०, श्री राधा कृष्ण, एम० ए०, एल-एल० बी०, श्री सुरति नारायण मणि त्रिपाठी, एम० ए०, एल एल० बी०, तथा श्री गिरीश चन्द्र, एम० ए०, एल-एल० बी०, उसके सदस्य वर्ष भर बने रहे। श्री तेजस्वी प्रसाद भल्ला ने २५ नवम्बर से २१ दिसम्बर, १९५७ तक २७ दिन का पूरे वेतन पर अवकाश लिया तथा श्री गिरीश चन्द्र ने ४ अक्तूबर से २८ अक्तूबर, १९५७ तक २५ दिन का अवकाश पूरे वेतन पर और उसके बाद २८ जनवरी, १९५८ तक तीन मास का अवकाश चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर आधे वेतन पर एव २९ जनवरी, १९५८ से ७० दिन का असाधारण अवकाश बिना वेतन के लिया।

२—आयोग के कर्मचारिवर्ग

श्री राम नरेश लाल, एम० ए०, एल-एल० बी०, आयोग के सचिव, श्री शिव लाल, सहायक सचिव तथा श्री जहूरुल हस्नैन, अतिरिक्त सहायक सचिव के रूप में वर्ष भर बने रहे।

२—अतिरिक्त सहायक सचिव, सदस्यो के दो वैयक्तिक सहायक, दो सहायक अधीक्षक, चार प्रवर वर्ग सहायक तथा पांच अवर वर्ग सहायक के अस्थायी पदो की अवधि एक वर्ष के लिये और बढ़ा दी गई।

३—उत्तर प्रदेश असैनिक (अधिशासी) सेवा के लिये आपात चुनाव (इमरजेंसी रिक्रूटमेंट) करने के संबध मे एक सहायक अधीक्षक, तीन प्रवर वर्ग सहायक तथा चार अवर वर्ग सहायक के नये पद ६ मास के लिये सृजित किये गये।

४—१९५८-५९ वर्ष की नयी मांगो की सूची के संबध में अतिरिक्त सहायक तथा सदस्यों के दो वैयक्तिक सहायक के अस्थायी पदो को स्थायी करने का प्रस्ताव शासन से किया गया।

५—७ ००० रुपये की जो राशि आकस्मिक कार्याधिक्य को निबटाने के लिये आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त अस्थायी अराजपत्रित कर्मचारिवर्ग की नियुक्ति करने के लिये अध्यक्ष के अधिकार में रक्खी गयी थी, उसका पूरा-पूरा उपयोग किया गया।

३—आय तथा व्यय

२—इस वर्ष कुल ७,५५,०१६ रुपये व्यय हुआ, जब कि गत वर्ष ६,३३,४४२ रुपये व्यय हुआ था। १,२१,५७४ रुपये की वृद्धि उत्तर प्रदेश असैनिक (अधिशासी) सेवा आपात चुनाव परीक्षा के सम्बंध में तथा विज्ञापनों, सरकारी डाक टिकटों, पुस्तकों के क्रय करने आदि में किये गये अधिक व्यय के कारण हुई।

४—आयोग की बैठकें

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में विविध परीक्षाओं तथा चुनावों के संबंध में अभ्यर्थियों की व्यक्तित्व परीक्षायें लेने तथा उनका साक्षात्कार करने के लिये आयोग ने २२४ दिन अपनी बैठकें की। जो समस्यायें पत्रावलियों के परिचारण से निबटाये न जा सकें, उन पर विचार विनिमय करने के लिये भी, आवश्यकता पड़ने पर आयोग ने अपनी बैठकें कीं। गर्मियों में कुछ पदों के लिये साक्षात्कार नैनीताल में किये गये। शेष सभी साक्षात्कार इलाहाबाद ही में किये गये।

५—परीक्षा द्वारा भर्ती

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में आयोग ने निम्नलिखित दस परीक्षायें ली :—

(१) वरिष्ठ वन सेवा (डिप्लोमा) कोर्स, १९५७–६०, में भर्ती होने के लिये परीक्षा।

(२) उत्तर प्रदेश असैनिक (न्यायिक) तथा न्यायिक अधिकारियों की सेवाओं के लिये चुनाव करने के हेतु सम्मिलित परीक्षा (१९५६)।

(३) उत्तर प्रदेश असैनिक (अधिशासी) सेवा आपात चुनाव परीक्षा।

(४) कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल में भर्ती होने के लिये परीक्षा।

(५) अधीनस्थ स्थानीय निधि लेखा—परीक्षा सेवा में सहायक लेखा परीक्षकों के चुनाव के लिये परीक्षा।

(६) उत्तर प्रदेश सचिवालय तथा लोक सेवा आयोग के कार्यालय में अवर वर्ग सहायकों के चुनाव के लिये सम्मिलित परीक्षा तथा उत्तर प्रदेश सचिवालय के अस्थायी अवर वर्ग सहायकों को अवर वर्ग सहायक के स्थायी पदों में विलीन करने के लिये विशेष अर्हकारी उप–परीक्षा (क्वालीफाइंग टेस्ट)।

(७) उत्तर प्रदेश सचिवालय में तथा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में प्रवर वर्ग सहायकों का चुनाव करने के लिये सम्मिलित परीक्षा।

(८) सहकारिता लेखा परीक्षक संगठन में पुनरीक्षित वेतनक्रम में लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करने के लिये उनकी अर्हकरी उप–परीक्षा।

(९) पंचायत लेखा परीक्षक संगठन में लेखा परीक्षकों का चुनाव करने के लिये परीक्षा।

(१०) उत्तर प्रदेश असैनिक (अधिशासी) सेवा, (२) उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा तथा (३) उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के लिय चुनाव करने के हेतु सम्मिलित परीक्षा।

ही वास्तव में बैठे। उपर्युक्त परीक्षाओं के संबंध में आंकड़े संबंधी सम्पूर्ण सूचना परिशिष्ट २ की मद संख्याओं ४ से १३ के सामने दी हुई है।

२—वर्ष में कुल १,३०६ अभ्यर्थियों की व्यक्तित्व परीक्षायें ली गईं, जिनमें से ३७९ चुने और नियुक्ति के लिये संस्तुत किये गये। परिशिष्ट २ की मद संख्याओं १, २, ३, ४, ६, ७ तथा ८ के सामने लिखित ७ परीक्षाओं के संबंध में व्यक्तित्व परीक्षायें ली गईं। मद संख्याओं १ से ३ में उन परीक्षाओं का उल्लेख है, जिनके लिये लिखित परीक्षायें गत वर्ष ली जा चुकी थीं।

३—फारेस्ट रेंजर्स कोर्स (१९५८–६०) परीक्षा तथा उत्तर प्रदेश असैनिक (न्यायिक) एवं न्यायिक अधिकारी सेवाओं के लिये चुनाव करने के हेतु सम्मिलित परीक्षा में बैठने के लिये १,२८७ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। इन दोनों परीक्षाओं के लिये विज्ञापन वर्ष के अंतिम समय में निकाले गये थे। इसी कारण ये परीक्षायें प्रतिवेदनाधीन वर्ष में नहीं ली जा सकीं।

वरिष्ठ वन सेवा (डिप्लोमा) कोर्स, १९५८–६१ में भर्ती करने के लिये परीक्षा की घोषणा वर्ष के अन्तिम समय में की गई थी, किन्तु उसके लिये आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि ७ अप्रैल, १९५८ थी।

४—शासन के विशेष अनुरोध पर आयोग ने गत वर्ष अपराध अनुसंधान विभाग में आशुलिपि प्रतिवेदकों का चुनाव करने के लिये एक परीक्षा ली थी और शासन को अपनी संस्तुति भेजी थी। किन्तु प्रतिवेदनाधीन वर्ष के अन्त तक भी कोई नियुक्ति नहीं की गई।

५—निम्नलिखित मामलों को छोडकर जिनके विषय में शासनाज्ञायें अभी तक नहीं प्राप्त हुई है, शेष सभी मामलों में आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी यथाविधि नियुक्त किये गये :—

(१)	सहायक विक्रीकर अधिकारी तथा मनोरंजन कर निरीक्षक	क्रमशः ४१ तथा १२।
(२)	अधीनस्थ राजस्व (अधिशासी) सेवा में नायब तहसीलदार।	१ (अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी)
(३)	उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा	१ (सामान्य अभ्यर्थी)।
(४)	आपात (इमरजेंसी) चुनाव योजना मे उत्तर प्रदेश असैनिक (अधिशासी) सेवा	१ (सामान्य अभ्यर्थी)।

तालिका

क्रम-सख्या	सेवा या पद का नाम	अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये सुरक्षित रिक्तियों की संख्या	नियुक्त किये गए अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की सख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५
१	सहायक बिक्री-कर अधिकारी तथा मनोरंजन कर निरीक्षक	७ } २ }	९*	*संस्तुत परन्तु नियुक्ति आज्ञाओं की प्रतीक्षा है।
२	नायब तहसीलदार परीक्षा, १९५६	३	२	एक अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी की नियुक्ति की प्रतीक्षा है।
३	(१) उत्तर प्रदेश असैनिक (अधिशासी) सेवा	३	३	उत्तर प्रदेश असैनिक (अधिशासी) सेवा में एक अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी की नियुक्ति फिलहाल रद्द कर दी गई है।
	(२) उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा	२	२	
	(३) उत्तरप्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा	१	१	
	(४) बिक्री-कर अधिकारी सेवा, १९५६	३	३	
४	वरिष्ठ वन सेवा (डिप्लोमा) कोर्स, १९५७-६०	२	१	कोई दूसरा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं था।
५	आपात (इमर्जेंसी) चुनाव योजना परीक्षा, १९५७ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश असैनिक (अधिशासी) सेवा	६	७	शासन ने एक अतिरिक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति की।
६	कानूनगो परीक्षा, १९५७ ...	९	२	कोई दूसरा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं था।
७	अधीनस्थ स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा में सहायक लेखा परीक्षक परीक्षा, १९५७	४	१	तदैव

७—प्रतिवेदनाधीन वर्ष में इलाहाबाद के बाहर के केन्द्रो मे तीन परीक्षाओ—(१) उत्तर प्रदेश असैनिक (अधिशासी) सेवा आ ाल चुनाव, (२) सचिवालय अवर वर्ग सहायक तथा (३) सचिवालय प्रवर वर्ग सहायक का सचालन किया गया। पहिली परीक्षा में २,९८० अभ्यर्थियों को परीक्षा मे बैठने की अनुमति दी गयी थी। अतः आयोग ने इलाहाबाद के अतिरिक्त लखनऊ, मेरठ, आगरा तथा गोरखपुर मे केन्द्र खोलने का निश्चय किया। सचिवालय की परीक्षाओ के लिये, यथापूर्व, इलाहाबाद मे एक केन्द्र के अतिरिक्त लखनऊ मे भी केन्द्र खोले गये थे। इलाहाबाद के बाहर के केन्द्रो मे किये गये प्रबंध का निरीक्षण करने के लिये लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यगण इन स्थानों पर गये।

८—विभिन्न परीक्षाओं के सचालन के लिये आयोग ने दिसम्बर, १९५५ मे जो समय सारिणी शासन को प्रस्तुत की थी, उसको शासन ने प्रतिवेदनाधीन वर्ष मे स्वीकार कर लिया।

९—एक अभ्यर्थी जिसने उत्तर प्रदेश असैनिक (न्यायिक) सेवा तथा न्यायिक अधिकारियो की सेवा मे चुनाव के लिये १९५७ की सम्मिलित परीक्षा मे बैठने के हेतु आवेदन-पत्र दिया था, वह चार वर्ष तथा ३ दिन से अधिक-वयस्क था। उसने शासन से प्रार्थना की कि राजनैतिक पीडन के आधार पर उसके संबंध मे अधिकतम आयु सीमा को उक्त अवधि तक शिथिल कर दिया जाय, किन्तु शासन ने यह कह कर उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया कि राजनैतिक पीडन के आधार पर अधिक से अधिक ४ वर्ष तक की छूट दी जा सकती है और क्योकि उसके मामले मे वास्तविक अवधि ४ वर्ष से अधिक थी, इसलिये उसकी प्रार्थना को स्वीकार करना सभव नही था। अभ्यर्थी ने शासन से फिर प्रार्थना की, किन्तु इस बार भी उसकी प्रार्थना अस्वीकृत कर दी गई। अभ्यर्थी ने तीसरी बार शासन से आवश्यक छूट देने के लिये प्रार्थना की। इस बार शासन ने आयोग के पास प्रस्ताव भेजा कि अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा मे ४ वर्ष की छूट राजनैतिक पीडन के आधार पर तथा शेष तीन दिन की छूट नियुक्ति विभाग ज्ञाप सख्या ११२९ (५)/दो—१७५-३९, दिनाक ३१ जुलाई, १९४१ मे समाविष्ट सामान्य नियम के अन्तर्गत दे दी जाय और आयोग से प्रस्ताव को स्वीकार करने का अनुरोध किया। आयोग ने मामले पर विचार किया किन्तु प्रस्ताव को स्वीकार करने मे अपनी असमर्थता प्रकट की। आयोग के विरोध तथा स्वय की बार-बार की अस्वीकृति के बावजूद शासन ने अभ्यर्थी को आवश्यक छूट दे दी। तत्पश्चात् अभ्यर्थी को परीक्षा मे बैठने की आज्ञा मिल गई।

६—चुनाव द्वारा भर्ती

आयोग ने प्रतिवेदनाधीन वर्ष मे २,१२६ पद के लिये चुनाव किया, जिनके लिये १४,२२७ आवेदन-पत्र आये थे। इन पदो के लिये ६,४५६ अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिये बुलाये गये थे, जिनमे से केवल ५,०९४ अभ्यर्थी उपस्थित हुए। जो अभ्यर्थी चुने और संस्तुत किये गये, उनकी संख्या २,१२८ थी। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा विज्ञापित ३५ अन्य पदो के लिये कोई आवेदन-पत्र नही प्राप्त हुआ था। ४० अन्य पद यद्यपि विज्ञापित किये गये थे और ४३७ आवेदन-पत्र प्राप्त हुये, किन्तु चुनाव रद्द या स्थगित कर दिये गये। तीन पद ऐसे थे, जिनमे से दो पदों के लिये ३७ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे और तीसरे के लिये कोई नही। नियुक्ति प्राधिकारियो के अनुरोध पर इन तीनो पदो के लिये इस कारण फिर से विज्ञापन निकालना पडा कि पूर्व विज्ञापित अर्हताओ मे कुछ संशोधन कर दिये गये थे। एक पद के लिये जब विज्ञापन निकाल दिया गया था और ८ आवेदन-पत्र

नियुक्ति के लिये संस्तुत किया गया था, किन्तु जो पद बाद में तोड़ दिये गये थे। आयोग ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बारे में विस्तृत सूचना परिशिष्ट ३ में दी गई है। इन अंकों में यथा पूर्व, उन पदों सम्बंध कुछ अंक भी शामिल है, जिनके लिये १९५६–५७ में विज्ञापन निकाले गये थे किन्तु उस वर्ष चुनाव नहीं किये जा सके थे। इस परिशिष्ट में १९५५–५६ में निकाले गये दो विज्ञापनों का भी उल्लेख किया गया है, देखिये पद संख्या १३ व ३०। एक मामले में [पद संख्या २०९ (ख)] में साक्षात्कार अंशतः प्रतिवेदनाधीन वर्ष में और अंशतः १९५८–५९ में किया गया।

२—१,३९४ और पदों के लिये भी प्रतिवेदनाधीन वर्ष में विज्ञापन निकाले गये, जिनके उत्तर में १२,६४६ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, किन्तु वर्ष के अन्त तक उनका चुनाव न हो सका। उनके बारे में विस्तृत सूचना परिशिष्ट ३ (क) में दी गई है। इनके अतिरिक्त वर्ष में अन्य कई अर्थनायें (रिक्वीजिशन्स) प्राप्त हुई थी किन्तु उनके बारे में वर्ष के अन्त तक विज्ञापन नहीं निकले जा सके। कुछ मामलों में अर्हता आदि के प्रश्नों पर पत्र-व्यवहार होता रहा, किन्तु अधिकांश अर्थनायें वर्ष के अन्त में प्राप्त हुई थीं। इसलिये उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

३—निम्नलिखित मामलों में प्रत्येक के सामने अंकित कारणों से चुनाव रद्द या स्थगित कर दिये गये :—

क्रम-संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	विज्ञापन रद्द किये जाने के कारण
१	२	३	४	५
१	अधीनस्थ शिक्षा सेवा में जूनियर टेस्टर	४	२९	पद के वेतन-क्रम का पुनरीक्षण किया जा रहा था। अतः चुनाव स्थगित कर दिया गया।
२	सहायता तथा पुनर्वासन योजना में ज्येष्ठ लेखा निरीक्षक	१	५	पद तोड दिये जाने के कारण चुनाव रद्द कर दिया गया।
३	उत्तर प्रदेश के उद्योग संचालक के अधीन मुख्य लेखा निरीक्षक /	४	९६	उद्योग संचालक से एक निर्देश आने पर इन पदों का चुनाव स्थगित कर दिया गया।
	ज्येष्ठ लेखा निरीक्षक	२१	२४७	
४	उत्तर प्रदेश पशु पालन संचालक के कार्यालय में सख्याविद्	१	१२	मितव्ययिता के कारण चुनाव रद्द कर दिया गया।
५	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग में रेस्क्यू होम, कानपुर एवं निराश्रित महिलाओ तथा बच्चों के लिये घर (मथुरा) को महिला अधीक्षक	१ } १ }	१५	शासन के अनुरोध पर इन पदो के लिये चुनाव स्थगित कर दिया गया। बाद में पद तोड दिये गये।

क्रम-संख्या	पद का नाम	पदो की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रो की संख्या	विज्ञापन रद्द किये जाने के कारण
१	२	३	४	५
६	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अधीन राजकीय औद्योगिक विद्यालय, लखनऊ मे बढ़ईगीरी शिक्षक, लोहारी शिक्षक तथा ढलाई शिक्षक (इन्स्ट्रक्टर मोल्डिग)	१ १ १	१७ ५ ६	राजकीय औद्योगिक विद्यालय, लखनऊ में उस उप-विभाग को बन्द कर देने का निश्चय किया गया था, जिसके लिये इन पदो को स्वीकृति मिली थी। इसलिये चुनाव रद्द कर दिया गया।
७	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अधीन चमड़ा योजना में यांत्रिक ओवरसियर	३	३	विज्ञापन निकल जाने पर शासन ने आयोग को सूचित किया कि मितव्ययिता के कारण पद आस्थगित रखे जा रहे हैं। अतः इन पदो के लिये चुनाव रद्द कर दिया गया।
८	एच० बी० टी० आई०, कानपुर में सारभूत तेल योजना (एसेन्शियल आयल स्कीम) में अधीक्षक	१	२	चुनाव रद्द कर दिया गया, क्योंकि योजना में कमी कर दी गई थी।
९	राजकीय बहु औद्योगिक विद्यालय, मेरठ में मास्टर जनरल मेकेनिक	१	८	विज्ञापन निकल जाने पर उद्योग संचालक ने आयोग से उस अभ्यर्थी को नियुक्त करने के लिये अनुरोध किया, जिसको आयोग ने समान वेतनक्रम वाले दो अन्य पदो के लिये पहले प्रस्तुत किया था, किन्तु जो पद बाद मे तोड दिये गये थे। आयोग ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

उपर्युक्त मामलो के अतिरिक्त चार मामले ऐसे थे, जिनमे पद विशेष के लिये चुने गये एक या अधिक अभ्यर्थी उन पदो पर इस कारण नियुक्त नही किये जा सके कि उन पदो के भरे जाने की आवश्यकता नहीं थी और वे अन्य समान पदो पर नियुक्त किये गये [देखिये परिशिष्ट ३ की मद संख्यायें ८, ७५ (क), ८१ (क) तथा ३७४]।

छः अन्य मामलो में, जिन पदो के लिये अभ्यर्थी चुने गये थे, उन पदो पर उनकी नियुक्ति नही की गई, क्योकि जिस योजना के अन्तर्गत वे पद सृजित किये गये थे, वह योजना समाप्त कर दी गई या पद आस्थगित कर दिये गये [देखिये परिशिष्ट ३ की मद संख्यायें १८६ (क), १९६ (ख), २०२, २५२, २६८ (ग) (२) तथा २७२]।

एक मामले मे आयोग से एक पद के लिये चुनाव करने का अनुरोध किया गया, किन्तु आयोग के संस्तुति भेजने के पहले ही शासन ने उनसे चुनाव रोक देने के लिये कहा (देखिये परिशिष्ट ३ की मद संख्या ९५)।

सात ऐसे मामले थे, जिनमे आयोग किसी अभ्यर्थी को संस्तुत करने मे असमर्थ रहे, क्योकि उन पदो के लिये कोई आवेदन-पत्र ही नही प्राप्त हुये या कोई उपयुक्त नही पाये गये। इनमे से अधिकाश मामलो मे आयोग ने पुनर्विज्ञापन का या निजी बातचीत से चुनाव करने का सुझाव दिया। किन्तु बाद मे नियुक्ति प्राधिकारियो ने सूचित किया कि पदो को भरने की आवश्यकता नही थी [देखिये परिशिष्ट ३ की मद संख्याये १७६ (क) एवं (ख) १८६ (ख) १९६ (क), २०७, २६८ (ग) (१) तथा ३२५]।

एक मामले (अर्थात् परिशिष्ट ३ की मद संख्या २१७) मे आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी नियुक्त नही किया गया क्योकि पद वर्गोन्नत कर दिया गया था।

केन बोटेनिस्ट के ए ' पद का विज्ञापन निकालने के लिये एक अर्थना प्राप्त हुई थी, किन्तु शासन के तार द्वारा सूचित करने पर विज्ञापन नही निकाला गया। शिक्षा संचालक के अनुरोध पर विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा मे वनस्पति विज्ञान मे सहायक अध्यापिका का एक पद विज्ञापित किया गया, किन्तु बाद मे यह सूचना मिली कि जीवविज्ञान की सहायक अध्यापिका की अवश्यकता थी, न कि वनस्पति विज्ञान की। अतः पद फिर से विज्ञापित किया गया।

४—परिशिष्ट ३ को देखने से पता चलेगा कि प्राविधिक अर्हता-प्राप्त अभ्यर्थियो का अब भी अभाव है। आयोग ४७६ विज्ञापित पदो के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी संस्तुत नही कर सके। अधिकाश मामलो में आयोग ने स तुति की कि निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियो को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय और तब आयोग के परामर्श से उनकी नियुक्ति कर दी जाय। कुछ अन्य मामलो मे उन्होने विज्ञापित पदों की अर्हताओ में संशोधन करने तथा/अथवा वेतन-क्रमो का पुनरीक्षण करने का सुझाव दिया।

५—शासन की इस आज्ञा के बावजूद कि आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियो के बारे में नियुक्ति आज्ञाये संस्तुतियो की प्राप्ति के दो मास के भीतर ही जारी कर दी जानी चाहिये, परिशिष्ट ३ की मद संख्याओ ९४, १३९, १९१, २०८ (क), २१२, २२३ (ख) तथा (ग), २२७, २३७, २४६, २६१, २६९, २७० तथा २८८ में अंकित पदो के लिये संस्तुत ३० अभ्यर्थियो के बारे में नियुक्ति आज्ञायें बहुत विलम्ब से जारी की गई।

६—गत वर्ष के प्रतिवेदन के अध्याय ६ के पैरा ५ में यह कहा गया था कि १०८ पदों के बारे में नियुक्ति आज्ञाये बहुत विलम्ब से जारी की गई। उनके बारे मे अब स्थिति इस प्रकार है:—

(१) सिस्टर ट्यूटर के पद के लिये संस्तुत छठवी महिला अभ्यर्थी नियुक्त नहीं की गई, क्योकि उत्तर प्रदेश परिचारिका एवं दाई परिषद् ने परिषद् की पंजी मे उसका नाम लिखना स्वीकार नही किया, कारण कि उसे सन्देह हो गया कि अभ्यर्थी ने अपने शैक्षिक अर्हता प्रमाण-पत्र मे कुछ प्रविष्टि कर दी थी।

(२) जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अधीन लघु अभि-यन्त्रण उद्योगो के विकास अधिकारी के पद के लिये सस्तुत किया गया था, वह समान वेतन-क्रम वाले एक अन्य पद के लिये भी पहले ही सस्तुत एव नियुक्त किया जा चुका था। अत· शासन ने आयोग से इस बात पर परामर्श देने का अनुरोध किया कि अभ्यर्थी को अन्ततः किस पद पर नियुक्त किया जाय। आयोग ने परामर्श दिया कि अभ्यर्थी जिस पद को अधिक पसन्द करे उसी पर उसकी नियुक्ति की जाय।

(३) खन्ड विकास अधिकारी के पदो पर ७ अभ्यर्थियो की नियुक्ति आज्ञाओ की प्रतीक्षा अब भी की जा रही है। शेष अभ्यर्थी नियुक्त कर दिये गये।

(४) सिचाई विभाग में सहायक अभियन्ता के ४० पदो के लिये आयोग ने जनवरी, १९५७ मे ३१ अभ्यर्थियो को सस्तुत किया था। आयोग द्वारा भेजे गये अनुस्मारको के उत्तर में हर बार यही कहा गया कि मामला शासन के विचाराधीन था या यह कि अभ्यर्थियो के चरित्र और पूर्ववृत के सत्यापन और उनकी डाक्टरी परीक्षा का काम पूरा नही हुआ था। लगभग २ वर्ष बाद, दिसम्बर १९५८ मे शासन ने आयोग को सूचित किया कि ३१ मे से ३० अभ्यर्थी नियुक्त किये जा चुके थे और शेष एक के चरित्र एव पूर्ववृत के सत्यापन के विषय मे कार्यवाही की जा रही थी। नियुक्ति आज्ञाओ की प्रतिलिपिया अब भी प्राप्त नही हुई और उनकी मांग की गई है।

(५) पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा मे निदान शास्त्र (पैथालाजी) के सहायक प्राध्यापक के पद के लिये सस्तुत अभ्यर्थी एक अन्य पद पर सस्तुत एवं नियुक्त किया जा चुका था। अत. यह पद पुर्नविज्ञापित किया गया।

७—गत वर्षीय प्रतिवेदन के पैरा ६(२) में यह लिखा गया था कि आयोग ने जिन अभ्यर्थियो को अक्तूबर, १९५५ मे सिचाई विभाग मे सहायक अभियन्ता के पदो पर नियुक्ति के लिये संस्तुत किया था, उनके विषय मे नियुक्ति आज्ञाये जारी नही की गई थी। प्रति-वेदनाधीन वर्ष मे भी स्थिति वैसी ही बनी रही और मामला मुख्य मन्त्री महोदय के समक्ष रक्खा गया।

८—गत वर्षीय प्रतिवेदन के पैरा ६(३) मे यह लिखा गया था कि निश्चेतको (अनास्थेटिस्ट्स) के पद के लिये सस्तुत एक अभ्यर्थी की नियुक्ति के प्रश्न पर पत्र-व्यवहार हो रहा था। शासन चाहते थे कि थोरेकिक अनास्थीसिया मे अभ्यर्थी के प्रशिक्षण पर किये गये व्यय की ३,००० रु० की धनराशि को उससे प्रत्यर्पित कराने के बाद उसको ४०० रु० मासिक का उच्चतर प्रारम्भिक वेतन देकर पद पर नियुक्त किया जाय। किन्तु अभ्यर्थी ने उत्तर दिया कि वह ४०० रु० मासिक वेतन स्वीकार नहीं करेगा और ६०० रु० मासिक प्रारम्भिक वेतन पर पद को स्वीकार कर सकता है, परन्तु इस शर्त पर कि उसे ३ ००० रु० लौटाना न पड़े। आयोग के पूछ-ताछ करने पर यह भेद खुला कि प्रशिक्षण की सम्पूर्ण अवधि में अभ्यर्थी सरकारी काम पर (आन ड्यूटी) समझा गया था। तब आयोग ने शासन को परामर्श दिया कि ४०० रु० मासिक प्रारम्भिक वेतन देकर अभ्यर्थी को पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव किया जाय और उससे उसके प्रशिक्षण पर कृत व्यय की धनराशि को लौटाने के लिये न कहा जाय। किन्तु अभ्यर्थी ने तब भी स्वीकार नही किया। आयोग ने शासन को सुझाव दिया कि जब कभी शासन इस प्रकार का व्यय करे वह सदैव अभ्यर्थी से एक सविदा (एग्रीमेन्ट) कर लिया करे।

९—गतवर्षीय प्रतिवेदन के पैरा ९ मे लिखा गया था कि क्षेत्रीय सूचना अधिकारी तथा जिला सूचना अधिकारी ने पदो के लिये आलेख्य विज्ञापनो की शासन से प्रतीक्षा की जा रही थी। प्रतिवेदनाधीन वर्ष मे भी वे आलेख्य विज्ञापन नही प्राप्त हुये। यह बतलाया गया कि मामला शासन के विचाराधीन है।

आयोग ने १२ अभ्यर्थियो को अप्रैल, १९५५ में और ४ अभ्यर्थियों को जून, १९५५ में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (निम्न वेतन-क्रम) में सहायक अभियन्ता के पदों पर नियुक्त करने के लिये संस्तुत किया था। सोलहों अभ्यर्थी अस्थायी आधार पर अस्थायी अभियन्ता नियुक्त किये गये थे, किन्तु उनके विषय मे औपचारिक नियुक्ति आज्ञाओ की अभी भी प्रतीक्षा है।

इसी प्रकार सिंचाई विभाग में सहायक यांत्रिक अभियन्ता के पदों के लिये आयोग ने सितम्बर, १९५५ में अपनी सस्तुति भेजी थी। शासन ने अभ्यर्थियो की अस्थायी नियुक्ति तो कर दी, किन्तु नियमित नियुक्ति की अब भी प्रतीक्षा है। आयोग द्वारा भेजे गये अनुस्मारकों के उत्तर में यह सूचित किया गया कि अभ्यर्थियों के चरित्र एवं पूर्ववृत का सत्यापन किया जा रहा है। आयोग नियमित नियुक्तियों के करने में ऐसे असाधारण विलम्ब को असन्तोषजनक समझते है और उन्होंने मामले को मुख्य मंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है।

१०—जैसा केन्द्र मे किया जा रहा है, एक तदर्थ समिति द्वारा प्राविधिक व्यक्तियों का चुनाव करने के लिये आयोग के पास एक प्रस्ताव आया। आयोग ऐसी समिति के बनाये जाने से सहमत नही हुये क्योंकि ऐसी समिति स्वयं उपयुक्त अभ्यर्थियो को उपलब्ध करने म समर्थ न हो सकेगी। जहा तक समय अथवा एकाधिक प्राविधिक परामर्शदाताओं के सहयोग लेने का प्रश्न है, आयोग ने शासन को विश्वास दिलाया कि वे सदैव ऐसे चुनावों को प्राथमिकता देते है एवं भविष्य में भी देते रहेंगे, और यह कि आवश्यकता पड़ने पर एकाधिक परामर्शदाताओं का बुलाने मे उन्हें कोई आपत्ति नही है। परन्तु, आयोग को इसमें कोई आपत्ति नही है कि प्राविधिक पदो के लिये उपयुक्त अभ्यर्थियों को प्राप्त करने के लिये विशेष प्रयत्न किये जायं। आयोग ने इस सुझाव को भी नही स्वीकार किया कि प्राविधिक पदों के लिये केवल निजी बातचीत द्वारा चुनाव किये जाय, क्योकि संविधान के अनुसार संघ तथा राज्यो की असैनिक सेवाओं के पदो पर चुनाव के लिये प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिलना चाहिये। उन्होंने सुझाव दिया कि विभागाध्यक्षों को चाहिये कि वे भावी अभ्यर्थियों से सम्पर्क बनाये रखें और यह देखें कि वे आयोग के विज्ञापनों के निकलने पर आवेदन-पत्र भेजें।

११—पी० एम० एस० (प्रथम) मे चिकित्सा अधिकारी के ९ पद विज्ञापित किये गये थे। किन्तु जून, १९५७ में साक्षात्कार के समय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक ने, जो आयोग के परामर्शदाता बनकर आये थ, बतलाया कि काफी बडी संख्या में रिक्तियों को भरना है। क्योंकि ६ १/२ वर्ष के बाद चुनाव किया गया था और अभ्यर्थियों का सामान्य स्तर ऊंचा था, इसलिये २७ अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये संस्तुत किये गये। आयोग ने सुझाव दिया कि यदि कोई रिक्तयां शेष रह जायं, तो उनका चुनाव थोड़ा-थोडा करके कई वर्षों में किया जाय, ताकि प्रत्येक वर्ष के उत्तम-उत्तम अभ्यर्थी को समान अवसर मिले।

१२—मुख्य अभियन्ता, स्थानीय स्वशासन अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश ने मार्च १९५७ मे आयोग से अनुरोध किया कि आयोग द्वारा संस्तुत सिविल एवं विद्युत् तथा यान्त्रिक दोनों प्रकार के ओवरसियरों की एक समेकित सूची बनाकर उनके पास भेजी जाय, क्योंकि एक शासकीय आज्ञा के अनुसार दोनों प्रकार के ओवरसियरों में भेद करने की कोई आवश्यकता नही थी। शासकीय आज्ञा की प्रतिलिपि को देखकर आयोग न उत्तर दिया कि सम्बन्धित शासकीय आज्ञा में दोनों सवर्गों को मिला देने का उल्लेख नहीं है और इस कारण वे यह आवश्यक नहीं समझते कि उन दोनों सवर्गों की एक समेकित श्रेष्ठता (मेरिट) सूची बनाई जाय। किन्तु मुख्य अभियन्ता ने सितम्बर, १९५७ में आयोग द्वारा निर्णीत पारस्परिक श्रेष्ठता तथा विभाग में प्रथम नियुक्ति की तिथि के आधार पर तैयार की गई एक समेकित ज्येष्ठता सूची भेजी। उपर्युक्त कारणों से तथा इस लिये भी कि सूची बनाने में जिस सिद्धान्त का अनुसरण किया गया था, वह सही नहीं था, आयोग ने ज्येष्ठता सूची को स्वीकार नही किया। आयोग ने

सुझाव दिया कि सूची रद्द कर दी जाय और यदि दोनों प्रकार के ओवरसियरों की मिश्रित सूची बनाना अनिवार्य रूप से आवश्यक ही हो, तो उस सूची को मुख्य अभियन्ता के अनुरोध करने पर आयोग स्वयं तैयार करेंगे। मुख्य अभियन्ता ने सिविल एवं विद्युत् तथा यान्त्रिक ओवरसियरो के संवर्गों को निश्चित करने के लिये शासन को लिखा है और इस मामले में अग्रतर निर्देश की प्रतीक्षा है।

७—बिना विज्ञापन के भर्ती

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में आयोग से लिखित परीक्षा अथवा अन्य प्रकार की चुनाव की सामान्य प्रक्रिया को शिथिल करके ४१७ अभ्यर्थियो (इनमे गत वर्ष निर्देशित १८ अभ्यर्थियों के मामले भी शामिल हैं) की नियुक्ति के मामलो पर विचार करने के लिये अनुरोध किया गया। इनमें से परिशिष्ट ४ में वर्णित ३७३ अभ्यर्थियों के मामले निबटाये गये, किन्तु परिशिष्ट ४ (क) में वर्णित ४४ अभ्यर्थियों के मामले प्रतिवेदनाधीन वर्ष में नहीं निबटाये जा सके।

परिशिष्ट ४ में दिखलाये गये ३७३ अभ्यर्थियो में से १९२ नियुक्ति के लिये अनुमोदित किये गये, ४६ आरक्षित सूची में संस्तुत किये गये और १३४ नहीं अनुमोदित किये गये। एक के मामले मे अन्तिम निर्णय नही किया जा सका, क्योंकि कुछ सूचना नही प्राप्त हुई थी, जिसके लिये लिखना पडा।

दो अभ्यर्थियों के मामले आयोग के पुनर्विचारार्थ उनके पास लौटा दिये गये और दो के विषय में शासन का निर्णय वर्ष के अन्त तक नही प्राप्त हुआ था। शेष मामलों में शासन ने आयोग का परामर्श स्वीकार कर लिया।

२—सरकारी और सहायता-प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों तथा आदर्श विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों में से विद्यालय प्रति-उप-निरीक्षक के १० पदों पर विज्ञापन के बाद सीधी भर्ती द्वारा अथवा क्षेत्रीय उप-शिक्षा संचालकों के मनोनीत अभ्यर्थियों में से चुनाव करने का प्रश्न, जिसका उल्लेख १९५६-५७ के प्रतिवेदन के अध्याय ७ के पैरा ३ में किया गया था, प्रतिवेदनाधीन वर्ष में भी पत्र-व्यवहारान्तर्गत रहा।

३—परिशिष्ट ४ की मद संख्या ३७ में दिखलाये गये पद अर्थात् रिहन्द बांध संगठन में लियेजां अफसर (जन-सम्पर्क अधिकारी) के पद को आयोग के विचार-क्षेत्र के अन्तर्गत लाये जाने के पूर्व रिहन्द बांध के अधीक्षण अभियन्ता ने विज्ञापित कर दिया था। अतः जब सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता ने आयोग के पास उन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्रों को भेजा, जिन्होंने उस विज्ञापन के उत्तर में आवेदन-पत्र भेजे थे या जिनके विवरण रोजगार के दफ्तर से प्राप्त हुये थे, तब आयोग ने स्वयं विज्ञापन करके फिर से आवेदन-पत्रों को आमंत्रित करना आवश्यक न समझ कर, उन्हीं में से चुनाव किया।

८—पदोन्नति द्वारा भर्ती

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में, आयोग ने अपने विचार क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं और पदों की २६८ रिक्तियो पर पदोन्नति के लिये ८४२ कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया। इनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट ५ में दिया गया है।

२—आयोग ने २६८ में से १९० रिक्तियो पर पदोन्नति के लिये अभ्यर्थियों की संस्तुति की। परिशिष्ट ५ की मद संख्या २६ में दिखलाये गये ४ अभ्यर्थियों के बारे में यह निश्चय किया गया कि उनके लिये तथा अन्य रिक्तियो के लिये, जो उस सेवा में हो गई थी, चुनाव साथ-साथ किये जायं। उक्त परिशिष्ट की मद संख्या ४ में दिखलाई गयी १९ रिक्तियों को भरने

का प्रस्ताव शासन ने कुछ दिनो के लिये टाल दिया, क्योकि यह विनिश्चय किया गया था कि एक अर्हकरी उपपरीक्षा (क्वालीफाइग टेस्ट) लेकर चुनाव किया जाय। उक्त परिशिष्ट की मद सख्या ३४ के सामने दिखलाई गई एक रिक्ति के विषय में आयोग ने परामर्श दिया कि पद को विज्ञापन के पश्चात् भरा जाय और दूसरी रिक्ति के बारे में कहा कि उसे सेवा नियमावली में दिये हुये चुनाव के नियमित श्रोत में से भरा जाय। उक्त परिशिष्ट की मद सख्या ३० मे दिखलाई गई ५३ रिक्तियों के बारे में आयोग ने परामर्श दिया कि पदोन्नति के लिये चुनाव पूरे राज्य मे से अनुपयुक्तों को अस्वीकार करने की शर्त के साथ ज्येष्ठता के आधार पर, न कि मडलों (डिवीजन्स) के अ धार पर, किया जाय। आयोग ने स्थायी नियुक्तियो के लिये चुनाव करते समय काफी बडी सख्या मे दीर्घकालिक, स्थानापन्न तथा अस्थायी रिक्तियो के लिये भी अभ्यर्थियों को सस्तुत किया। इनमें से सब रिक्तियां परिशिष्ट ५ मे नही दिखलाई गई हैं।

३—६५१ रिक्तियों पर पदोन्नति सम्बन्धी ४६ मामले, जिनके बारे मे विस्तृत विवरण परिशिष्ट ५(क) में दिये गये है, वर्ष की समाप्ति तक निबटाये नही जा सके। प्रत्यक के सामने न निबटाये जाने का कारण लिखा हुआ है। यह ज्ञात होगा कि अधिकाश मामलो के निबटाये न जा सकने का कारण केवल अभ्यर्थियों की अद्यावधिक चरित्रावलियो का अभाव था। इनमे से अधिकांश मामलों मे पर्याप्त प्रारम्भिक कार्य प्रतिवेदनाधीन वर्ष में किया जा चुका था।

४—परिशिष्ट ५ की मद संख्याओ १, २, १०, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, २०, २१, २९, ३२ तथा ३३ मे उल्लिखित ८३ रिक्तियो के लिये चुनाव आयोग के अध्यक्ष की या किसी एक सदस्य की अध्यक्षता में चुनाव समितियों द्वारा २०१ अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करने के बाद किया गया। मद संख्या ६ में उल्लिखित एक मामले मे आयोग ने ३ पात्र कर्मचारियों का साक्षात्कार करके अपनी सस्तुति की। शेष मामलो मे आयोग न केवल चरित्रावलियों का अवलोकन करके पदोन्नति द्वारा चुनाव किया।

५—आयोग का परामर्श १८६ रिक्तियों के विषय में नियुक्ति प्राधिकारियो ने मान लिया और ३ के विषय में वर्ष के अन्त तक आदेश नहीं प्राप्त हुये थे। उपर्युक्त परिशिष्ट की मद सख्या ११ में उल्लिखित एक मामले में, जिसमें आयोग ने चुनाव कर लिया था, शासन ने पद को अ स्थगित कर दिया। उपर्युक्त परिशिष्ट की मद संख्या १९ में उल्लिखित एक मामले में आयोग की सस्तुतियों के अनुसार कार्य नही किया गया और शासन ने उस मामले मे अग्रेतर निर्देश करने का वचन दिया था, जो वर्ष के अन्त तक नही प्राप्त हुआ।

६—गत वर्षीय प्रतिवेदन के अध्याय ८ के पैरा ७ मे यह लिखा गया था कि ११६ रिक्तियों के सम्बन्ध में आयोग की सस्तुतियो पर आज्ञाओं की प्रतीक्षा थी। इनमें से एक मामले में आयोग की संस्तुति का अनुपालन नही किया जा सका, क्योकि सस्तुत अभ्यर्थी ने पद स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। २० रिक्तियो के संबंध में अब भी आज्ञाओ की प्रतीक्षा है। शेष ९५ मामलो में आयोग की सलाह मान ली गई।

७—जनवरी, १९५७ मे विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने प्रस्ताव किया कि विभागीय अभ्यर्थियो के लिये आरक्षित २२०–४५० रु० वेतन-क्रम मे खण्ड विकास अधिकारियो के पदो को आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता मे एक चुनाव समिति द्वारा १२०–२५० रु० वेतन-क्रम वाले उन सहायक विकास अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाय, जिन्होंने १ जुलाई, १९५६ को कम से कम एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। आयोग ने कहा कि सामान्यतः दस से पन्द्रह वर्षो की लम्बी अवधि की सेवा के पश्चात् कर्मचारी उच्चतर पदो पर पदोन्नति के लिये पात्र होते है। जहां केवल श्रेष्ठता (मेरिट) के आधार पर चुनाव किया जाता है, वहां भी पाच वर्ष की सेवा की न्यूनतम अवधि को पात्रता की एक शर्त के रूप में निर्धारित किया गया है। अतः आयोग विकास आयुक्त के प्रस्ताव से सिद्धान्ततः सहमत नही हुये। आयोग

ने यह भी कहा कि सहायक विकास अधिकारियों की खण्ड विकास अधिकारी के पदों पर प्रस्तावित पदोन्नति से सहायक विकास अधिकारी एकदम बहुत ऊंचे वेतन-क्रम को पा जायेंगे। इसके अतिरिक्त, अधिकांश सहायक विकास अधिकारी गत वर्ष खण्ड विकास अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चुनाव के सिलसिले में आयोग के सामने दो बार आ आ चुके थे और उनमें से जो उपयुक्त पाये गये थे, वे नियुक्ति के लिये संस्तुत किये जा चुके हैं। अतः अब उन शेष कर्मचारियों में से जिनका साक्षात्कार किया जा चुका और जो उपयुक्त नहीं पाये गये थे, फिर से दूसरा चुनाव करना सेवा के हित में नहीं होगा। आयोग ने सलाह दी कि सहायक विकास अधिकारी पहले कम से कम ५ वर्ष की सेवा पूरी कर ले, तब उनके लिये उच्चतर पद सुरक्षित किये जायें या उन पदो पर उनकी पदोन्नति पर विचार किया जाय। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिये आरक्षित खण्ड विकास अधिकारी के पदो को भी सीधी भर्ती द्वारा भरा जाय, जिसमें सहायक विकास अधिकारी यदि वे विज्ञापन के अनुसार पात्र हो, तो अन्यों के साथ भाग ले सके। विकास आयुक्त सहमत नहीं हुये और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उनके पूर्व प्रस्ताव में अर्हकरी सेवा की अवधि क एक वर्ष और बढ़ा कर दो वर्ष करके, उसके अनुसार चुनाव किया जाय। आयोग ने मामले पर पुनर्विचार किया किन्तु उन्होंने अपनी पूर्व अभिव्यक्त राय को बदलना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि खण्ड विकास अधिकारी के कर्त्तव्यो को दक्षतापूर्वक सम्पन्न करने के लिये जिन गुणों की अपेक्षा है, उन गणों को सहायक विकास अधिकारी दो वर्षों की अवधि में, जिसे पदोन्नति के लिये पात्रता की एक शर्त के रूप में निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया था, नहीं प्राप्त कर सकते। इसके अतिरिक्त, खन्ड विकास अधिकारी के पद राज्य सेवा के पद नहीं है, इसलिये उन पदों पर पदोन्नति अनुपयुक्तों को अस्वीकार करने की शर्त के साथ ज्येष्ठता के आधार पर करना पड़ेगा। और चूंकि ज्येष्ठतम सहायक विकास अधिकारी ने भी तीन या चार वर्ष से अधिक सेवा न की होगी, इसलिये पदोन्नति द्वारा चुनाव से अभिलषित फल न प्राप्त होगा। अतः आयोग ने इन पदो के लिये सीधी भर्त्ती द्वारा चुनाव करने की सलाह दी और यह सुझाव दिया कि वाछितफल प्राप्त करने के लिये आयु सीमा को ४५ वर्ष तक बढ़ा देना और उपयुक्त अभ्यर्थियों के मामलों में शैक्षिक अर्हताओं को शिथिल करने का उपबन्ध भी कर देना अयुक्तियुक्त न होगा। शासन ने सलाह नहीं मानी और जनवरी, १९५८ में आदेश निकाल दिया कि खण्ड विकास अधिकारियो के संवर्ग में ३३ प्रतिशत पद उन सहायक विकास अधिकारियों तथा अन्य विकास विभागों के समान स्तर के अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे, जिन्होंने अपने पदों पर कम से कम ३ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

९—अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण

आयोग ने प्रतिवेदनाधीन वर्ष में एक वर्ष से अधिक की या एक वर्ष से अधिक हो जाने की सम्भावना वाली अस्थायी नियुक्तियों के नियमितकरण के ४८३ अभ्यर्थियों के मामलों को निबटाया, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, १९५४ के विनियम ५(क) या ६ (ग) के अन्तर्गत उनको निर्देशित किये गये थ। इनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट ६ में दिया गया है।

२—उपरिनिर्देशित ४८३ अभ्यर्थियो में से ३७० अनुमोदित किये गये और ४९ नहीं। जिन मामलों मे अनुमोदन दिया गया, उनमे अदीर्घावधि वाले प्रायः सभी पदो में पद की 'अवधि की समाप्ति तक अथवा उस समय तक के लिये अनुमोदन दिया गया, जब तक कि पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियमित रूप से चुने हुये अभ्यर्थी उपलब्ध न हो जायं। शेष ६४ अभ्यर्थियो के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार थी :—

(१) परिशिष्ट ६ की मद सख्याओ २३, ३४, ७९, ८० तथा ८३ में उल्लिखित ६ अभ्यर्थियों के मामलों मे आयोग न निरन्तर अस्थायी नियुक्ति के

लिये उनकी उपयुक्तता के बारे में कोई राय नहीं व्यक्त की, लेकिन यह परामर्श दिया कि उनके द्वारा धारित पदों का नियमित रूप से पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा भरा जाय, जिसमें वे अभ्यर्थी भी भाग ले सकें।

(२) परिशिष्ट ६ की मद संख्या ३१ में उल्लिखित एक मामले में यह बतलाया गया कि आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अस्थायी नियुक्ति की अवधि के एक वर्ष से अधिक होने की सम्भावना नहीं थी। किन्तु शासन को यह लिखा गया कि उन्हें एक अनर्ह और अपात्र व्यक्ति की नियुक्ति न करनी चाहिये थी।

(३) परिशिष्ट ६ की मद संख्याओं १, १०, २२, ३९, ४२, ६०, ८१ तथा ८४ में शामिल या उनमें उल्लिखित ५७ कर्मचारियों के मामलों पर विचार नहीं किया जा सका, क्योंकि अग्रेतर सूचना या चरित्रावलियों की मांग करनी पड़ी।

३—पूर्ववर्ती पैरा में वर्णित ५७ कर्मचारियों के मामलों के अतिरिक्त, परिशिष्ट ६ (क) में वर्णित ४६ मामले, जिनमें ३८१ अभ्यर्थियों पर विचार करना था, वर्ष के अन्त में प्रत्येक के सामने दिये हुये कारणों से निबटाये न जा सके।

४—अप्रैल, १९५६ में आयोग को सिंचाई विभाग में प्रचार अधिकारी के एक अस्थायी राजपत्रित पद पर अस्थायी नियुक्ति के विषय में सूचना दी गई। अस्थायी नियुक्ति २८ फरवरी, १९५७, या उस समय तक के लिये जब तक कि आयोग द्वारा चुना हुआ अभ्यर्थी उपलब्ध न हो जाय, जो भी पहले हो, की गई थी। १२ जून, १९५७ को आयोग ने यह पूछा कि उस पद पर की गई अस्थायी नियुक्ति जारी है या नहीं और यदि हां तो, अस्थायी नियुक्ति के नियमितकरण के लिये कोई निर्देश किया गया है या नहीं। शासन ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, किन्तु अस्थायी नियुक्ति की अवधि को एक वर्ष के लिये और बढ़ा दिया। जिस ढंग से पद के अस्थायी पदधारी की अवधि में, बिना आयोग से परामर्श किये, वृद्धि कर दी गई थी, उस पर आयोग ने आपत्ति की।

५—प्रतिवेदनाधीन वर्ष में जिन कर्मचारियों की नियुक्ति आज्ञायें नियुक्ति (ख) विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या २४८६/दो-बी—१६४-५५, दिनांक ११ अगस्त, १९५५ में जारी किये गये शासकीय आज्ञा के अनुसार आयोग को भेजे गये थे, उनकी कुल संख्या ५७९ थी। बहुत सी नियुक्ति आज्ञाओं के विषय में वर्ष में कोई अग्रेतर सूचना नहीं मिली। उनके संबंध में अनुस्मारक भेजकर पूछा गया कि स्थिति क्या थी।

१०—उत्तर प्रदेश शासन की सेवाओं में अथवा पदों पर विलीनीकृत राज्यों तथा अन्तरक्षेत्रीय खंडों के भूतपूर्व कर्मचारियों का विलीनीकरण

इस वर्ष आयोग ने विलीनीकृत राज्यों तथा अन्तरक्षेत्रीय खंडों के २ कर्मचारियों (इनमें एक उस कर्मचारी का मामला भी शामिल है जिसके विषय में १९५६-५७ में आयोग

विलीनीकरण के मामलों पर विचार किया। इनका विवरण निम्नलिखित सारिणी में दिया हुआ है :—

क्रमांक	विलीनीकृत राज्य अथवा अन्तरक्षेत्रीय खंड का नाम	सेवा या पद, जिसके लिये विचार किया गया	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५
१	चरखारी	ओवरसियर	१	आयोग ने अभ्यर्थी के दोषपूर्ण सेवा अभिलेख के कारण उसको विलीनीकरण के लिये अनुमोदित नहीं किया।
२	रामपुर	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा	१	यह आयोग के पुर्नविचारार्थ भेजा गया था। पुनर्विचार के बाद आयोग ने परामर्श दिया कि अभ्यर्थी का विलीनीकरण ७५—२०० रु० वेतन-क्रम में न करके अधीनस्थ शिक्षा सेवा के ट्रेन्ड ग्रेजुएट ग्रेड में १२०—३०० रु० वेतन-क्रम में किया जाय।

२—दोनो मामलों में शासन ने आयोग की संस्तुति को स्वीकार कर लिया।

३—भूतपूर्व बनारस राज्य के एक कर्मचारी के विलीनीकरण के मामले में आयोग ने दो बार परामर्श दिया था कि चूंकि संबंधित कर्मचारी का विलीनीकरण ट्रेन्ड ग्रेजुएट ग्रेड में पहले ही हो चुका है, इसलिये उसका विलीनीकरण फिर किसी अन्य ग्रेड में नहीं किया जा सकता, और यह कि पदोन्नति की निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करके चुनाव किये बिना उसकी नियुक्ति किसी उच्चतर पद पर नहीं की जा सकती। शासन ने सलाह मान कर तदनुसार आदेश जारी कर दिया। किन्तु कुछ अभ्यावेदनों के आने पर शासन ने मामले को तीसरी बार आयोग के पास लौटा दिया और पुर्नविचार करने का अनुरोध किया। आयोग अपने पूर्वमत पर दृढ रहे, पर शासन ने सलाह नहीं मानी और अभ्यर्थी को विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) में विलीन करने के आदेश जारी कर दिये।

११—स्थानान्तरण द्वारा भर्ती

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के निम्नलिखित दो मामलों में आयोग से परामर्श किया गया :—

(१) राजकीय रजा डिग्री कालेज, रामपुर के प्रधानाचार्य के पद से एक अभ्यर्थी का, जो उस पद पर आयोग के परामर्श से नियुक्त किया गया था, एक राजकीय माध्यमिक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर २५०—८५० रु० वेतन-क्रम में स्थानान्तरण।

(२) सामान्य सचिवालय से ५ पत्रकारो तथा १ अनुवादक का सूचना संचालकालय, उत्तर प्रदेश मे स्थानान्तरण। इन दोनों मामलो में आयोग ने प्रस्तावित स्थानान्तरणो को अनुमोदित किया।

२—गत वर्षीय प्रतिवेदन के अध्याय ११ में यह लिखा गया था कि आयोग मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय के एक आशुलिपिक के सार्वजनिक निर्माण विभाग के आशुलिपिक के पद पर स्थानान्तरण के प्रस्ताव से सहमत नही हुए थे। यह मामला आयोग के पुर्नविचारार्थ भेजा गया। पुर्नविचार के पश्चात् आयोग प्रस्ताव से इस शर्त पर सहमत हुए कि भविष्य में होने वाली रिक्तियो को प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा भरा जायगा।

१२—पुष्टिकरण

इस वर्ष आयोग से २९८ कर्मचारियो (गत वर्ष के कुछ को मिलाकर) के पुष्टिकरण के लिये उनकी उपयुक्तता पर विचार करने के हेतु अनुरोध किया गया। इनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट ७ में दिया हुआ है।

२—परिशिष्ट ७ मे मद संख्याओं ४३ से ५३ मे उल्लिखित १६७ कर्मचारियों के मामले न निबटाये जा सके। उक्त परिशिष्ट की मद संख्या ५१ मे उल्लिखित एक मामले में, जिसमें ६० अधिकारियों पर विचार करना था, शासन ने आयोग से अनुरोध किया कि वे उन मामलो पर विचार करना स्थगित रखें। अन्य १०७ कर्मचारियों के मामलों के न निबटाये जाने के कारण यह थे कि या तो वे वर्ष के समाप्त होते समय प्राप्त हुए थे, या प्रेषित चरित्रावलियो में अद्यावधिक प्रविष्टिया नहीं थी या कुछ और सूचना मांगनी पड़ी थी। शेष १३१ कर्मचारियों के मामलों को आयोग ने प्रतिवेदनाधीन वर्ष में निबटाया।

३—जिन १३१ कर्मचारियों के मामले निबटाये गये, उनमें से ६३ पुष्टिकरण के लिये अथवा परीक्षणकाल भर स्थायी पदोन्नति के लिये संस्तुत किये गये थे। शेष ६८ कर्मचारियो के मामले, जो पुष्टिकरण के लिये अनुमोदित नही किये गये, उनमें—

(१) चौदह कर्मचारी ऐसे थे, जिनको आयोग ने अग्रेतर परीक्षा (ट्रायल) के लिये संस्तुत किया,

(२) पांच कर्मचारी ऐसे थे, जिनको आयोग ने प्रतिभारण (रिटेन्शन) के लिये भी उपयुक्त नहीं समझा और इसलिये उनकी सेवाओ को समाप्त करने की सलाह दी,

(३) ४९ कर्मचारी ऐसे थे, जिनको आयोग ने किसी न किसी कारण से पुष्टिकरण के लिये उपयक्त नही समझा। उनमें से कुछ मामलो में आयोग ने सलाह दी कि स्थायी पदों को विज्ञापित करके नया चुनाव किया जाय या पदोन्नति द्वारा नियमित चुनाव किया जाय और उन चुनावों में स्थानापन्न पदधारी भी अन्यों के साथ भाग ले।

४—परिशिष्ट ७ की मद संख्याओं २३ और ३५ में उल्लिखित ४ कर्मचारियो के मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों में आयोग की सलाह मान ली गई। शेष चारों मामले आयोग के पुर्नविचारार्थ लौटा दिये गये और आयोग उन पर विचार ही कर रहे थे कि वर्ष समाप्त हो गया।

५—१९४४-४५ में, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग (जिसका नाम अब स्थानीय स्वशासन अभियन्त्रण विभाग है) के तीन ओवरसियरों को आयोग से परामर्श

किये बिना ही अस्थायी सहायक अभियन्ता के पदों पर इसके बावजूद कि उनमें सहायक अभियन्ता के लिये वांछित अर्हतायें नहीं थी, पदोन्नत कर दिया गया था। इन पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं में से दो सेवा-निवृत्त हो गये और तीसरे के विषय में शासन ने मई, १९५७ में प्रस्ताव किया कि उसे अपने पद पर पुष्टिकृत कर दिया जाय, क्योंकि जब १९४४ में वह पद पर चुना जा कर नियुक्त किया गया था, तब कोई सेवा-नियम नहीं थे, और यह कि उसने ११ वर्ष तक सहायक अभियन्ता के पद पर अस्थायी रूप से कार्य किया था तथा उसका कार्य बराबर अच्छा रहा। आयोग ने बताया कि क्योंकि अभ्यर्थी अनर्ह था, इसलिये सहायक अभियन्ता के पद पर उसको पदोन्नत करना ही सिद्धान्ततः गलत था, और यह कि सेवा नियमों के अभाव में शासन के लिये यह और भी आवश्यक था कि वे अभ्यर्थी की अस्थायी पदोन्नति के संबंध में आयोग से परामर्श करते, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम १९३५, जो उस समय लागू था, की धारा ३६६(३) के अन्तर्गत आयोग से अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के विषय में ही नहीं, बल्कि नियुक्ति करने में अनुसरण किये जाने वाले चुनाव की रीति तथा सिद्धांतों के विषय में भी परामर्श करना आवश्यक है। आयोग ने यह भी कहा कि एक वर्ष के उपरान्त इतने लम्बे समय तक अभ्यर्थी की स्थानापन्न नियुक्ति को, बिना आयोग के पास निर्देश भेजे, चलाते रहना और भी अनियमित था। आयोग ने प्रस्ताव को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और मामले को मुख्य मंत्री महोदय के समक्ष रक्खा। मुख्य मंत्री महोदय आयोग से इस बात पर सहमत हुए कि सम्बंधित कर्मचारी की पदोन्नति नियम विरुद्ध की और उन्होंने आज्ञा दी कि उसे उसके स्थायी ओवरसियर के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाय।

१३--अपीलें तथा आनुशासिक कार्यवाही के मामले

आलोच्य वर्ष में २० अपीलें तथा १३ मौलिक आनुशासिक कार्यवाही के मामले आयोग के परामर्श के लिये उनको निर्देशित किये गये। १ अप्रैल, १९५७ को अपीलों तथा आनुशासिक कार्यवाही के न निबटाये गये मामलों की संख्या क्रमशः १३ व ५ थी। इन ५१ मामलों में से, दो के कागज-पत्रों को शासन ने वापस मंगा लिया, क्योंकि संबंधित कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय में समादेश प्रार्थना-पत्र (रिट पेटीशंस) दाखिल किया था। बाकी ४९ मामलो में से २७ मामलों के बारे में आयोग की सलाह शासन को भेजी गई और २२ मामले शेष रह गये।

२--इन २२ मामलों को इस कारण नहीं निबटाया जा सका कि अपूर्ण अभिलेख भेजे गये थे और कुछ महत्वपूर्ण कागज-पत्र मामलो को निबटाने के लिये, जिनकी आवश्यकता थी, मंगवाने पड़े। कुछ मामलों में, जो कागज-पत्र भेजे गये थे, वे प्रमाणित नहीं थे और उन्हें शासन के पास समुचित प्रमाणीकरण के लिये लौटाना पड़ा।

३--जिन २७ मामलों में आयोग ने सलाह दी, उनमें से २२ मामलों में उनकी सिफारिशें मान ली गईं और तीन के बारे में वर्ष के अन्त तक शासनाज्ञा नही प्राप्त हुई थी। एक मामला आयोग को पुनर्विचारार्थ लौटा दिया गया। शेष एक मामले में शासन ने आयोग के परामर्श के अनुसार संबंधित कर्मचारी सेवा से पदच्युत क्यों न कर दिया जाय, इसके विरुद्ध उससे कारण दिखलाने के लिये कहने के बजाय अपनी स्वेच्छा से सेवा-निवृत्ति के लिये उसके प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर लिया।

४--१९५६-५७ के तीन मामलो तथा १९५५-५६ के एक मामले में १९५६-५७ में शासनादेशों की प्रतीक्षा की। इन चार मामलों में से, २ में आयोग की सलाह मान ली गई। शेष दो मामले आयोग के पुनर्विचारार्थ उनके पास लौटा दिये गये। फिर से

गौर करने पर दोनों में से किसी एक भी मामले में आयोग को अपनी पहिली राय बदलने का औचित्य नहीं जान पड़ा। एक मामले में आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली के पैरा ५५ तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) के अनुसार आनुशासिक कार्यवाही फिर से शुरू की जाय। दूसरे में उन्होने कहा कि संबधित कर्मचारी सेवा से अलग कर दिया जाय। इन दोनों मामलो में वर्ष की समाप्ति तक शासनाज्ञायें नहीं प्राप्त हुईं।

१४—असाधारण पेंशन तथा उपदान

इस वर्ष परिशिष्ट ८ में निर्दिष्ट असाधारण पारिवारिक अथवा चोट पेंशन तथा/अथवा उपदान के ३४ मामले आयोग के परामर्श के लिये निर्देशित किये गये। इनके अतिरिक्त, असाधारण पेंशन का एक मामला १ अप्रैल, १९५७ को आयोग के पास विचारार्थ शेष था। इन ३५ मामलों में से, २६ पुलिस विभाग से संबंधित थे, दो राजस्व विभाग से, तीन बन विभाग से और एक-एक सिचाई, पंचायत राज, पशुपालन और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों से संबंधित थे। आयोग ने इन मामलो में से ३४ में अपनी सलाह दी और एक मामले को आलोच्य वर्ष के अन्त तक न निबटा सके। यह मामला इस कारण निबटाया नहीं जा सका कि कुछ सूचना तथा कागज-पत्र, जिनकी मांग की गई, वर्ष के अन्त तक शासन से प्राप्त नहीं हुए थे।

२—जिन ३४ मामलों को निबटाया गया, उनमें से २८ मामलो में आयोग की सलाह मान ली गई, किन्तु एक मामले* में नहीं मानी गई। पांच मामलो में वर्ष की समाप्ति तक शासन के आदेश प्राप्त नहीं हुए थे।

३—१९५५-५६ का एक मामला आयोग के पुनर्विचारार्थ लौटा दिया गया था। आलोच्य वर्ष में इसको निबटाया नहीं जा सका, क्यो कि शासन ने इससे संबंधित सम्पूर्ण अभिलेख वर्ष के अन्त तक नहीं भेजे थे।

१५—वैध व्ययों के लौटाने के लिये दावे

आलोच्य वर्ष में सरकारी कर्मचारियो के अपनी रक्षा के लिये किये गये वैध व्ययों को लौटाने के दो मामले आयोग के परामर्श के लिये भेजे गये, जिनका विवरण परिशिष्ट ९ में दिया गया है। आयोग ने उनमें से एक में तथा १९५६-५७ के एक शेष मामले में भी अपना परामर्श दिया। दोनों मामलों में आयोग की सलाह मान ली गई। एक मामला निबटाया नहीं जा सका, क्योकि जो कागज मांगे गये थे, वे वर्ष के अन्त तक प्राप्त नहीं हुए।

१६—सेवाओं तथा पदों के लिये नियम

आलोच्य वर्ष में ६१ ऐसे मामले थे, जिनका संबंध विभिन्न सेवाओं तथा पदो पर भर्ती संबंधी तथा/अथवा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो संबंधी नियमों से था। आयोग ने इनका परीक्षण करके अपनी आलोचना भेजी, या प्रस्तावित संशोधनों पर सलाह दी अथवा स्वयं संशोधन के लिये सुझाव दिये। इन सब मामलों का विवरण परिशिष्ट १० में दिया हुआ है।

---

*देखिए गृह (पुलिस 'ख') विभाग पत्र संख्या ४१६६-आर/आठ-बी—१०००(३)-१९५१, दिनांक १८ दिसम्बर, १९५७।

२—जिन नियमावलियों या नियमावलियो के संशोधनो के आलेख्यो पर आयोग ने अपनी आलोचनायें भेजीं, उनमें से निम्नलिखित को आलोच्य वर्ष में, अन्तिम रूप दिया गया—

*(१) उत्तर प्रदेश वन सेवा नियमावली, १९५२ के परिशिष्ट (क) के पैरा १३ का संशोधन (फारेस्ट कालेज, देहरादून के प्रशिक्षार्थियों को शुल्क तथा यात्रा भत्ता आदि देने के संबंध में)।

(२) उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (क्लास दो) (सिंचाई जल-विद्युत् शाखा) नियमावली के नियम ९ से संलग्न रेल कर्मशालाओं तथा विद्युत् एवं यांत्रिक फर्मों की सूची।

(३) सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियन्ताओ के ग्रेड में पदोन्नति के लिये सहायक अभियन्ताओं के चुनाव के नियमों के नियम ७ का संशोधन।

(४) सार्वजनिक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ताओ के ग्रेड में सहायक अभियन्ताओ की पदोन्नति के नियमों के नियम ७ का संशोधन।

(५) उत्तर प्रदेश असैनिक सेवा (न्यायिक शाखा) (सेवा की शर्तें) नियमावली, १९४२ के नियम १० (२) के चौथे परन्तुक को निकाल देना।

(६) अधीनस्थ कार्यालय निरीक्षण सेवा नियमावली के नियम ७ का संशोधन (आयु सीमाओं के संबंध में)।

(७) उत्तर प्रदेश सामान्य सचिवालय अराजपत्रित सचिवालयीय कर्मचारिवर्ग नियमावली, १९४२ के प्रथम परिशिष्ट का संशोधन। सचिवालय के प्रवर एवं अवर वर्ग के सहायकों के पदो पर चुनाव करने के लिये प्रतियो-गितात्मक परीक्षा के नियमो तथा पाठ्य-क्रम का पुनरीक्षण।

(८) सामान्य नियम, जिसके अनुसार यदि कोई महिला अभ्यर्थी, किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर ले, जिसके एक जीवित पत्नी हो, तो उसे सरकारी नौकरी में नहीं रखा जायगा।

(९) उत्तर प्रदेश वन सेवा नियमावली, १९५२ के परिशिष्ट "क" के पैरा ७ तथा नियम १७ के संशोधन (वेतन-क्रम में पंचवार्षिक दक्षता रोक लागू करने तथा उत्तर प्रदेश वन महाविद्यालय में भर्ती होने के लिये प्रतियोगिता-त्मक परीक्षा के प्रश्न-पत्रो के स्तर के संबंध में)।

(१०) सार्वजनिक निर्माण विभाग में ओवरसियरों के लिये विभागीय परीक्षा नियमावली के पैरा "डी" के नीचे नोट (३) का जोड़ना।

(११) आयोग की मार्फत सीधी भर्ती द्वारा चुनाव करने के संबंध में अनुदेश।

(१२) अधीनस्थ वन (रेंजरों, उप-रेंजरो तथा फारेस्टरो) सेवा नियमावली के नियम ११ (क) और (ख) का संशोधन।

---

*(१) विज्ञप्ति संख्या २०७५/१४--१७-५२, दिनांक ९ अप्रैल, १९५७।

(२) कार्यालय ज्ञाप संख्या ४९८-ई-एच/तेईस-पी-बी—२६-ई-एच-५२, दिनांक २३ अप्रैल, १९५७।

(३) विज्ञप्ति संख्या १६७७-ए/२३-आई-ए--२० ओ-एस-डी (आर)-५०, दिनांक ११ मई, १९५७।

(४) शासकीय आज्ञा संख्या १३४२-ई-बी-आर/२३-पी-डब्ल्यू-बी—८८-ई-बी-आर-४८, दिनांक २७ जून, १९५७।

*(१३) उत्तर प्रदेश सामान्य सचिवालय अराजपत्रित सचिवालय कर्मचारि वर्ग नियमावली के नियमों ४० और ४५ के संशोधन। (पंचवार्षिक दक्षता-रोक को लागू करने तथा उसको पार करने की कसौटी के संबंध में)।

३—६ जनवरी, १९५८ को शासन ने इस आशय की एक आज्ञा जारी की कि अनुसूचित जातियो के लिये रिक्तियो के आरक्षण (रिजर्वेशन) का सिद्धान्त विभागीय अभ्यर्थियो की प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा पदोन्नति से भरे जाने वाले राज्य शासन के अन्तर्गत सभी सेवाओ के सभी ग्रेडो मे भी लागू होंगे, और यह कि, प्रत्येक मामले में आरक्षण की संख्या वही होगी, जो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदो के लिये निर्धारित है, अर्थात् १८ प्रतिशत। इस निदेश के प्राप्त होने पर आयोग ने इस बात की ओर संकेत किया कि पदोन्नति के मामले में किसी जाति या वर्गविशेष के लिये रिक्तियो के आरक्षण के नियम को लागू करना सिद्धाततः गलत होगा और इससे सेवाओ की कार्य-कुशलता पर बुरा प्रभाव प गा। उन्होने शासन से इस आज्ञा को वापस ले लेने का अनुरोध किया।

४—१७ जून, १९५७ को शासन ने राज्यपाल के नियामक नियन्त्रण के अधीन सरकारी कर्मचारियो की अनिवार्य सेवा निवृत्ति की आयु को ५५ से बढा कर ५८ कर दिया, और यह आदेश दिया कि उस तारीख को जिन लोगों का सेवा-काल बढ़ा दिया गया था, या जो निवृत्तिपूर्व अवकाश अथवा प्राप्त वयस्कोत्तर अवकाश (पोस्ट सुपरैनुएशन लीव) पर थे, या ५५ वर्ष की आयु प्राप्त करके सेवा-निवृत होने वाले थे, वे सब तब तक सेवा में बने रहेंगे, जब तक कि उनकी आयु ५८ वर्ष की नही हो जाती। बाद में २० जून, १९५७ को शासन ने एक दूसरा आदेश निकाला कि सब पुर्नानियुक्त सरकारी कर्मचारी ५८ वर्ष की आयु तक सेवा म बने रहेंगे। ९ अगस्त, १९५७ को, एक और आदेश जारी किया गया, जिसमें यह निदेश दिया गया कि वे सब कर्मचारी, जो सेवा-निवृत्ति के बाद पुर्नानियुक्त किये गये थे, ५८ वर्ष की आयु तक पुर्नानियुक्त रहेंगे, यदि वह पद, जिस पर वे नियुक्त किये थे अथवा वह कार्यविशेष, जिसके लिये उनकी पुर्नानियुक्ति की गई थी, उस समय तक चले, जब तक कि पुर्नानियुक्त कर्मचारी ५८ वर्ष की आयु न प्राप्त कर लें। परन्तु यदि उनका काम जल्दी पूरा हो जाय, तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी। इन आदेशो के प्राप्त होने पर आयोग ने इस बात की ओर संकेत किया कि बिना उनके परामर्श के इन आदेशो को नहीं निकालना चाहिये था। आयोग ने यह भी कहा कि आदेशों का संबंध जहां तक ५८ वर्ष की आयु की प्राप्ति तक निवृत्त कर्मचारियों की पुर्नानियुक्ति का थ, यदि उनकी पुर्नानियुक्ति की अवधि एक वर्ष से अधिक हो गई और आयोग से परामर्श न किया गया तो वह पुर्नानियुक्ति अवैध हो जायेगी और सुझाव दिया कि आदेशो का संशोधन करके इन मामलो में आयोग से परामर्श लेने का उपबन्ध किया जाय।

---

(५) विज्ञप्ति सख्या पी-१३६४/दो-ए—५६१-१९४८, दिनांक २ अगस्त, १९५७।

(६) विज्ञप्ति संख्या १०७०/ओ ऐन्ड-एम-९-१९५६, दिनांक २१ अगस्त, १९५७।

(७) कार्यालय ज्ञाप सख्या ४०२७-ई/२०-ई—२७४ (३)-१९५४, दिनांक ५ सितम्बर, १९५७।

(८) विज्ञप्ति संख्या २७९५/दो-बी—११८-५४, दिनांक १० सितम्बर, १९५७।

(९) विज्ञप्ति संख्या ५६०७/१४—१५०-३१, दिनाक १७ सितम्बर, १९५७।

(१०) कार्यालय ज्ञाप संख्या १६७५-ई० बी० आर० २३-पी-डब्ल्यू० बी० ६६-ई० बी० आर -१९४७, दिनांक १८ सितम्बर, १९५७।

(११) कार्यालय ज्ञाप संख्या ४१७०/दो-बी—१८९-१९५३, दिनांक १८ दिसम्बर, १९५७।

(१२) विज्ञप्ति संख्या ९१३३/१४—७-५६, दिनांक १५ जनवरी, १९५८।

*(१३) विज्ञप्ति सं० २९६१-ई०/२२०-ई० २८२-१९५४, ता० १३ फरवरी, १९५८।

१७—कृत्यों का परिसीमन संबंधी विनियम

आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित पद *आयोग के विचार-क्षेत्र में रखे गये :—

(१) ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक .. (३-७-१९५७)

(२) मत्स्य निरीक्षक .. (तदेव)

(३) पशुपालन विभाग में ओवरसियर (तदेव)

(४) जन सम्पर्क अधिकारी (लियेजां अफसर), रिहेन्द बांध संगठन (११-९-१९५७)

(५) सचिवालय मे अवर वर्ग सहायक के अस्थायी पद (८-१०-१९५७)

(६) पशुधन मार्केटिंग अधिकारी . (अक्तूबर, १९५७)

(७) पशुपालन विभाग में कम्प्यूटर . (तदेव)

(८) श्रम विभाग में अनुसंधान सहायक (१२-११-१९५७)

(९) श्रम विभाग में सहायक समय तथा चाल (मोशन) अध्ययन अधिकारी . (तदेव)

(१०) सूचना संचालकालय में प्रवरवर्ग सहायक, अवर वर्ग सहायक, निर्देश लिपिक, लेखापाल, कोषाध्यक्ष, आशुलिपिक, अनुवादक, सूक्ष्म परीक्षक (स्क्रूटिनाइजर) तथा पत्रकार के स्थायी एवं अस्थायी पद (८-२-१९५८)

(११) सहायक /जिला एम्प्लायमेंट अफसर ... (१९-३-१९५८)

(१२) क्षेत्रीय/जिला सूचना अधिकारी (तदेव)

(१३) सहायक जिला सूचना अधिकारी (तदेव)

(१४) पंचायत राज विभाग में पत्रकार (११-५-१९५७)

(१५) सैनिक शिक्षा एवं समाज सेवा प्रशिक्षण में सहायक इंस्ट्रक्टर .. (९-८-१९५७)

(१६) श्रम विभाग में पत्रकार (३१-३-१९५८)

---

*प्रत्येक के सामने कोष्ठक में वह तारीख लिखी हुई है, जिस तारीख को उस पद को आयोग के विचार-क्षेत्र में रखने की शासन की आज्ञा निकाली गई।

२—उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश, के अनुरोध पर आयोग ने मुख्य लेखा निरीक्षक के चार तथा ज्येष्ठ लेखा निरीक्षक के २२ पदों का विज्ञापन निकाला। बाद में, मई १९५७ में सचालक ने एक दूसरा निर्देश भेजकर आयोग से इन पदों के अस्थायी पदधारियो की निरन्तर नियुक्ति को अनुमोदित करने का अनुरोध किया। तब यह पूछा गया कि ये पद अधीनस्थ उद्योग सेवा के हैं या नही। यदि हां, तो ये उस सेवा में कब शामिल किये गये थे और यह भी कि ये आयोग के विचार-क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं या नहीं।

तब संचालक ने अनुरोध किया कि जब तक इस मामले पर कोई फैसला न हो जाय तब तक विज्ञापित पदो का चुनाव न किया जाय। बाद में, संचालक ने सूचित किया कि ये पद अधीनस्थ उद्योग सेवा के नही थे और न ये आयोग के विचार-क्षेत्र मे ही आते थे। शासन को स्थिति की पूरी-पूरी रिपोर्ट भेजी गई और इस बात पर बल दिया गया कि चूंकि पद महत्वपूर्ण थे और आयोग के विज्ञापन के फलस्वरूप बडी संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, इसलिये यह वाछनीय होगा कि इन पदो को आयोग के विचार-क्षेत्र में रखने के लिये औपचारिक आदेश निकाल दिये जायें।

३—सितम्बर, १९५७ में, शासन ने जिला गजेटियरों के पुनरीक्षण के लिये पंचशाला योजना के संबध में शासन के मुख्यालय में सृजित २००–४५० रु० वेतन-क्रम में संकलन-कर्त्ता (कम्पाइलर) के सात पदो के लिये आवेदन-पत्रो को आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन निकाल दिया। शासन ने इस तथ्य की सूचना देते हुए, कहा कि उन्होंने यह रास्ता यह सोचकर अपनाया कि आयोग के द्वारा चुनाव करने में सीमित अवधि के इस आवश्यक कार्य में विलम्ब होने की संभावना थी और अनुरोध किया कि इन पदो का चुनाव करने के लिये जो चुनाव समिति बनाई गई थी, उसकी अध्यक्षता करने के लिये आयोग अपने सदस्यों में से किसी एक को तैनात कर दें। आयोग ने शासन के प्रस्ताव को यह विचार करके स्वीकार नहीं किया कि शासन के द्वारा विज्ञापन निकाले जाने पर समय की बचत भी न होगी और लाभ भी कम होगा और यह कि सीधी भर्ती द्वारा कोई चुनाव करने के लिये बनी हुई चुनाव समिति की अध्यक्षता मात्र करने के लिये आयोग के किसी सदस्य को मनोनीत करने का अर्थ पूरे आयोग के अनुविहित उत्तरदायित्व को उससे छीन लेना होगा। अतः आयोग ने परामर्श दिया कि इन पदो को उनके विचारक्षेत्र में रखकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इनका चुनाव करने के लिए एक अर्थना (रिक्वीजीशन) भेजी जाय। शासन इन पदो को आयोग के विचार-क्षेत्र में रखने के लिये सहमत नहीं हुये और जिला गजेटियर के राज्य सम्पादक (स्टेट एडीटर) को इन पदो पर नियुक्ति करने का अधिकार दे दिया।

१८—उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम

अक्तूबर १९५७ में शासन ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, १९३७ के विनियम १६, १७ तथा १८ को संशोधित करते हुए एक विज्ञप्ति* जारी की। उन संशोधनो के अनुसार आयोग के सचिव का कार्यकाल पांच वर्ष से घटा कर तीन वर्ष इस उपबन्ध के साथ कर दिया गया है कि उसमे अधिक से अधिक दो वर्ष की वृद्धि की जा सकती है और उस पद का चुनाव करने के लिये पात्रता-क्षेत्र निम्नलिखित वर्ग के अधिकारियो में ही सीमित कर दिया गया है:—

(क) आई० ए० एस० के उच्च वेतन-क्रम (सीनियर स्केल) के अधिकारी, तथा

(ख) राजकीय असैनिक सेवा अथवा अन्य राजकीय सेवाओं के वे सदस्य, जिन्होंने १५ वर्ष से कम सेवा न की हो।

---

* संख्या ३६६८/दो-बी०—१६५–५७, दिनांक, ८ अक्तबर १९५७।

यह भी निर्धारित कर दिया गया है कि सचिव को उनके वेतन-क्रम का वेतन तथा २५० रु० मासिक विशेष वेतन मिलेगा।

१९—विविध निर्देश

शासन के अधीन विभिन्न सेवाओ और पदों के चुनाव के लिये डिग्रियों और डिप्लोमाओं की मान्यता, सेवा-निवृत्त अधिकारियो की एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये पुर्नानियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण आदि से सम्बंधित ८४ अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण निर्देशों की एक सूची परिशिष्ट ११ में दी हुई है।

२—जिन अर्हताओ के विषय में आयोग से १९५७-५८ में या पूर्व वर्षों में परामर्श किया गया था, उनमें से निम्नलिखित अर्हतायें आलोच्य वर्ष में प्रत्येक के सामने अंकित कार्यों के लिये स्वीकार कर ली गई :—

क्रम संख्या	तिथि जब मान्यता के आदेश जारी किये गये	अर्हता	कार्य, जिसके लिये मान्यता दी गई
१	२	३	४
१	२५-४-५७	केन्द्रीय अथवा किसी राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा समाविष्ट विश्वविद्यालयो द्वारा प्रदत्त सभी इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा	सिंचाई विभाग में अभियन्त्रण सेवाओं के चुनाव के लिये।
२	१६-७-५७	टेस्टामूर सर्टिफिकेट आफ इंस्टीट्यूशन आफ म्युनिसिपल (ऐन्ड काउन्टी) इंजीनियर्स, लंदन	स्थानीय स्वशासन अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत अभियन्त्रण सेवाओ के चुनाव के लिये।
३	६-८-५७	जादवपुर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त-यांत्रिक, विद्युत् एवं रसायनिक अभियंत्रण में डिग्रियां	उद्योग विभाग में उन पदों के चुनाव के लिये जिनके लिये ऐसी अर्हतायें निर्धारित हों।

३—२५ नवम्बर, १९५७ को शासन के परिवहन विभाग ने मुरलीधर गजानन्द प्राविधिक विद्यालय (टेक्निकल इंस्टीट्यूट), हाथरस द्वारा प्रदत्त सर्वेयरो तथा कम्पूटरों के लिये डिप्लोमाओ को परिवहन संगठन में सर्वेयर तथा कम्प्यटर के पदों का चुनाव करने के लिये स्वीकार करने का आदेश जारी किया। चूंकि ये पद आयोग के विचार-क्षेत्र के अन्तर्गत है, इसलिये आयोग ने इस बात की ओर संकेत किया कि आदेश जारी करने के पूर्व उनसे परामर्श कर लेना चाहिये था।

१०—अन्य विषय

१—अनुचित कठोरता (अन्डयू हार्डशिप) के मामलों मे सेवा नियमों को शिथिल करने के लिये सामान्य नियम।—अक्तूबर, १९५६ में, आयोग इस बात से सहमत हुए कि एक सामान्य नियम प्रख्यापित किया जाय, जिसमे राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम को इस प्रकार शिथिल करने का उपबन्ध हो कि किसी प्रकरण को न्यायोचित रीति से निबटाया जा सके और अनुचित कठोरता (अन्डयू हार्डशिप) न पैदा हो। शासन ने आलोच्य वर्ष में ऐसा नियम प्रख्यापित किया, देखिए नियुक्ति (ख) विभाग, विज्ञप्ति संख्या ३९७७/दो-बी०—७७-५४, दिनांक २८ अक्तूबर, १९५७ जो इस प्रकार है:—

"(१) जहां राज्य शासन को संतोष हो जाय कि राज्य के सरकारी कर्मचारियो की, अथवा ऐसे सरकारी कर्मचारियों के किसी वर्ग की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन के कारण, किसी मामले में अनुचित कठोरता हो जाती है, वहां उस मामले में लागू नियमो में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शासन उस मामले को न्यायोचित रीति से निबटाने के लिये आदेश निकाल कर उस नियम की आवश्यकताओ को उस हद तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, हटा या शिथिल कर सकता है, जिस हद तक और जैसी वह आवश्यकता समझे।

(२) इस नियम में 'राजकीय सरकारी कर्मचारियो' से तात्पर्य उन सभी व्यक्तियो से है, जिनकी सेवा की शर्तो को सविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा बनाये गये नियमो से विनियमित किया जा सकता हो।

(३) जिन मामलो में आयोग से परामर्श करके नियम बनाये गये हों, उनमें नियम के शिथिल करने के पूर्व उनसे परामर्श किया जायगा।"

२—जिन महिला अभ्यर्थियो ने किसी ऐसे पुरुष से विवाह किया है, जिसके एक पत्नी जीवित हो, उन्हें सरकारी सेवा में नौकरी से प्रतिवारित करने के लिये सामान्य नियम—१० सितम्बर, १९५७ को शासन ने आयोग के परामर्श से निम्नलिखित सामान्य नियम जारी किया:—

"कोई महिला अभ्यर्थी, जिसने किसी ऐसे पुरुष से विवाह किया है, जिसके एक पत्नी पहले से जीवित हो, उत्तर प्रदेश राज्य में किसी सेवा या पद पर चुनाव के लिये पात्र न होगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्यपाल को संतोष हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण है, तो वे किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकते है।"

३—आवेदन-पत्रो को अग्रप्रेषित करने के संबंध में अनुदेश—आयोग के अनुरोध पर शासन ने दिसम्बर, १९४८ में इस विषय में निम्नलिखित अनुदेश जारी किया था:—

'जब कोई सरकारी कर्मचारी लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित किसी पद के लिये आवेदन-पत्र भेजे तो उसके आवेदन-पत्र को अग्रप्रेषित करने वाले अधिकृत प्राधिकारी को चाहिये कि वह अभ्यर्थी के सेवा अभिलेख (आवश्यकता हो तो उसमें अद्यावधिक प्रविष्टि करा के) को जांच ध्यानपूर्वक कर ले और आवेदन-

पत्र मे निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी की योग्यता (मैरिट) पर अपनी राय लिख दे और यदि उसके ज्ञान में ऐसी कोई बात हो जिसके कारण अभ्यर्थी पद के लिये अनुपयुक्त हो जाय, तो उसे साफ साफ लिख दे।"

चूंकि आयोग द्वारा विज्ञापित पदो के लिये आवेदन-पत्र देने वाले सरकारी कर्मचारियो के आवेदन-पत्रो को आयोग के पास अग्रप्रेषित करने वाले अधिकाश अधिकारी उपर्युक्त अनुदेशो की अवहेलना करते थे, इसलिये आयोग ने सुझाव दिया कि सभी सबंधित अधिकारियो का ध्यान उपर्युक्त अनुदेशो का अनुपालन भविष्य में कड़ाई के साथ करने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट किया जाय। शासन सहमत हुए और वैसा किया, देखिए कार्यालय ज्ञाप संख्या ५१४२/दो-बी--३६-५८, दिनांक १५ मार्च, १९५८।

४--अतिरिक्त कार्य--(१) अध्यक्ष ने संघ तथा राज्यलोक सेवा आयोगो के अध्यक्षो के सम्मेलन में, जो दिल्ली में ६ से ८ जनवरी, १९५८ को हुआ था, भाग लिया।

(२) आयोग ने सदा की भांति इस वर्ष भी संघ लोक सेवा आयोग की ओर से निम्नलिखित परीक्षाओ के संचालन तथा उनकी देखरेख का प्रबन्ध किया :--

(१) मिलिटरी कालेज परीक्षा, जून १९५७।
(२) स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेन्टिसेज परीक्षा, जून, १९५७।
(३) असिस्टैन्ट्स ग्रेड परीक्षा, जुलाई, १९५७।
(४) इंडियन नेवी परीक्षा, जुलाई, १९५७।
(५) आर्मी मेडिकल कोर परीक्षा, जुलाई, १९५७।
(६) भारतीय प्रशासी सेवा आदि परीक्षा, सितम्बर-अक्तूबर, १९५७।
(७) इंजीनियरिंग सर्विसज परीक्षा, सितम्बर-अक्तूबर, १९५७।
(८) मिलिटरी कालेज, परीक्षा, नवम्बर १९५७।
(९) इंडियन नेवी परीक्षा, दिसम्बर, १९५७।
(१०) नेशल डिफेन्स अकादमी, परीक्षा, दिसम्बर, १९५७।

५--अभ्यर्थियो के विरुद्ध कार्यवाही--एक अभ्यर्थी जो डी० ए० वी० कालेज, लखनऊ केन्द्र से उत्तर प्रदेश असैनिक (अधिशासी) सेवा आपात (इमरजेंसी) चुनाव परीक्षा में भाग ले रहा था, उस परीक्षा से प्रतिवारित कर दिया गया और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई, क्योंकि हिन्दी के एक पर्चे का उत्तर देते समय परीक्षा भवन में उसके पास "न्यायालय शब्द कोष" नामक एक पुस्तक पाई गई थी।

६--१९५६-५७ के वार्षिक प्रतिवेदन के अध्याय १९ के पैरा ४ मे यह लिखा गया था कि तीन डाक्टरो के पुष्टिकरण के मामलो पर विचार करने के बाद आयोग ने परामर्श दिया था कि उनमें से दो परीक्षण-काल पर रखे जाय और यथासमय पी० एम० एस० (२) में स्थायी कर दिये जाय और यह कि तीसरे की सेवाओ को एक मास की नोटिस देकर समाप्त कर दिया जाय। यह भी लिखा गया था कि इन मामलों में १९५६-५७ के अन्त तक शासन के आदेश नहीं प्राप्त हुये थे। इन तीनो मामलो में आयोग के परामर्श को कार्यान्वित करते हुये शासनादेश आलोच्य वर्ष में प्राप्त हुये।

७--आयोग को दी गई विशेष सहायता--आयोग शासन तथा अन्य नियुक्ति प्राधिकारियो के कृतज्ञ है कि उन्होने प्राविधिक पदों के लिये अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करने समय उनके सहायतार्थ प्राविधिक परामर्शदाताओं की प्रतिनियुक्ति की। वे इस प्रकार प्रतिनियुक्त विभागीय अधिकारियो तथा गैर-सरकारी परामर्शदाताओ के भी उनके बहुमूल्य परामर्शो के लिये कृतज्ञ है।

२१--सामान्य कथ्य और निष्कर्षीय वक्तव्य

१—कार्य की अधिकता—आयोग द्वारा आलोच्य वर्ष अर्थात् १९५७–१९५८ में किये गये कार्यों का एक समेकित विवरण परिशिष्ट १ में दिया गया है। नीचे इन अंकों की तुलना पूर्व वर्षों के अंकों से की गई है।

विवरण	गत पांच वर्षों अर्थात् १९५२–५३ से १९५६–५७ का वार्षिक औसत	१९५७–५८ के वास्तविक आंकड़े
१	२	३
१—प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा एवं केवल साक्षात्कार द्वारा दोनों प्रकार के चुनावो के संबंध में निबटाये गये आवेदन–पत्रों की संख्या ..	१७,८७०	२३,५०१
२—चुने गये एवं संस्तुत किये गये अभ्यर्थियो की संख्या ..	१,४२३	२,५०७
३—उन प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या, जिनके विषय में संबंधित वर्षों में चुनाव पूरे न किये जा सके अर्थात् जो आगामी वर्षों के लिये छोड दिये गये ..	५,९३८	१३,९३३
४—उन अभ्यर्थियों की संख्या, जिन पर बिना विज्ञापन के भर्ती के, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के, पुष्टिकरण के और अस्थायी नियुक्तियों के नियमितकरण के संबंध में विचार किया गया ...	२,४२०	२,००४

ऊपर के आकड़ों से पता चलता है कि आयोग तथा उनके कर्मचारिवर्ग के ऊपर काम का बोझ आलोच्य वर्ष में गत पांच वर्षों के औसत से कहीं अधिक रहा और यह कि बढ़े हुए काम के बोझ को सम्हालने के लिये यह परम आवश्यक है कि आयोग के कर्मचारिवर्ग में स्थायी रूप में वृद्धि की जाय।

२—परीक्षा भवन एवं कार्यालय के लिये स्थान—परीक्षा भवन के निर्माण कार्य में अच्छी प्रगति हो रही है और आशा की जाती है कि निर्माण कार्य जल्दी ही पूरा हो जायगा और परीक्षा भवन काम में लाने के लिये मिल जायगा। पर आयोग के कार्यालय के विस्तार के लिये अपेक्षित स्थान का प्रबन्ध आलोच्य वर्ष में भी नहीं किया जा सका।

३—आयोग को निर्देश भेजते समय प्रकरण संबंधी पूर्ण अभिलेख तथा अद्यावधिक चरित्रावलियां भेजने की वांछनीयता—आयोग को खेद के साथ यह लिखना पड़ता है कि अपील तथा सरकारी कर्मचारियो के विरुद्ध आनुशासिक कार्यवाही के मामलों में उनके पास प्रायः अपूर्ण अभिलेख भेजे जाते है, जिसका फल यह होता है कि शेष कागज–पत्रों को मंगवाना पड़ता है। इसी प्रकार, नियमितकरण, पदोन्नति तथा पुष्टिकरण के मामलों में देखा गया है कि जो चरित्रावलियां भेजी जाती है उनमें से अधिकांश में अद्यावधिक प्रविष्टियां नहीं रहती और अनुपलब्ध प्रविष्टियों को इकट्ठा करने के लिये काफी लिखा–पढ़ी करनी पडती है। वांछित कागज–पत्रो एवं प्रविष्टियों को भेजने में नियुक्ति प्राधिकारी बहुत समय ले लेते है। फलतः इन मामलों को निबटाने में बहुत देर हो जाती है। यदि नियुक्ति–

४—नियुक्ति-प्राधिकारियों द्वारा अस्थायी नियुक्ति संबंधी उपबन्ध का दुरुपयोग—उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, १९५४, के विनियम ५ (क) तथा ६ (ग) के उपबन्धों से नियुक्ति-प्राधिकारियों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे ऐसी नियुक्तियां कर सकते है, जिनकी अवधि एक वर्ष से अधिक होने की संभावना न हो। इसका आशय बिल्कुल साफ है। जब किसी नियुक्ति के कार्यकाल के एक वर्ष से अधिक बढ़ने की संभावना हो तो उसके लिये नियमित चुनाव आयोग द्वारा, काफी पहले या अस्थायी नियुक्ति करने के शीघ्र बाद ही, हो जाना चाहिये ताकि अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्ति के एक वर्ष पूरा करने के पहिले ही नियमित चुनाव कर लिया जा सके। यदि नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय, तो आयोग को भेजे जाने वाले अस्थायी नियुक्तियों के नियमितकरण संबंधी निर्देशों में काफी कमी हो जाय। किन्तु परिशिष्ट ६ व ६ (क) में दिए हुए मामलों की लम्बी सूची से स्पष्ट है कि स्थिति इसके विपरीत है। आयोग ने यह भी देखा है कि कुछ मामलों में अस्थायी नियुक्तियों के नियमितकरण संबंधी निर्देश प्रारंभिक नियुक्ति के बहुत समय बाद भेजे जाते है।

५—प्राविधिक पदों के लिये अभ्यर्थियों की दुर्लभता बनी हुई है—इस राज्य में कवल कृषि की अर्हताओं को रखने वाले अभ्यर्थी तो काफी मिले, किन्तु कृषि, पशु पालन तथा गव्य-व्यवसाय (डेरीइंग) से संबंधित विशिष्ट विषयों के लिये संतोषजनक संख्या में अभ्यर्थी नहीं मिले। कृषि संबंधी विषयों में प्रशिक्षण देने वाले अपूर्णतः सज्जित संस्थाओं के कारण जिस कोटि के अभ्यर्थी आयोग को मिले उनसे उनको संतोष नहीं हुआ। कृषि स्नातकों (ग्रेजुएटों) ने अपने विभाग के बाहर वाले पदों के लिये आवेदन-पत्र भेजा, क्योंकि (क) कृषि स्नातकों की संख्या कृषि विषयक पदों के लिये वांछित अभ्यर्थियों से अधिक थी, (ख) उनके अपने क्षेत्र में पदोन्नति के लिये अधिक क्षेत्र नहीं था और (ग) अन्य विभागों में वेतन उच्चतर तथा सेवा की शर्तें अधिक अच्छी थी। विदेशी प्रशिक्षण के संबंध में आयोग का अनुभव यह रहा है कि सामान्यतः विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त तथा विदेशी अर्हता वाले अभ्यर्थी समान भारतीय अर्हताओं और प्रशिक्षण वाले अभ्यर्थियों से श्रेष्ट होते है। किन्तु विदेशी प्रशिक्षण से जो लाभ प्रशिक्षणार्थियो को मिलता है, वह व्यक्ति, व्यक्ति में भिन्न होता है और प्रायः इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रशिक्षणार्थी ने कितनी रुचि ली थी और प्रशिक्षण की अवधि क्या थी। आयोग ने यह देखा कि जो प्रशिक्षण कोई अभ्यर्थी विदेशों में प्राप्त करता है, उसका कोई संबंध भारतीय परिस्थितियों से नहीं रहता है और बहुतों के प्रशिक्षण लेने का अभिप्राय इसकी अपेक्षा कि जो कुछ उन्होंने विदेशो में सीखा है उसको आत्मसात् कर लें, केवल यह रहता है कि विदेशी अर्हता उनके नाम के साथ जुड जाय। आयोग ने यह भी देखा कि जो अभ्यर्थी बाहर गये थे, उनमें से बहुतों ने समय और धन के व्यय के अनुपात से अधिक लाभ नहीं उठाया था। इसमें वहां के प्रशिक्षण का दोष नहीं है बल्कि कारण यह है कि अभ्यर्थी प्रशिक्षण या अनुसंधान के लिये पहले से तैयार नहीं थे। आयोग का सुझाव यह है कि जब अभ्यर्थियों को देश के बाहर प्रशिक्षण या अनुसंधान के लिये भेजने का प्रस्ताव किया जाय, तब होना यह चाहिये कि विशेषज्ञों की एक परिषद् उनकी परीक्षा बारीकी से कर लें और उनके चुनाव की कसौटी केवल उनकी कागजी अर्हतायें न रहें।

६—उपसंहार—आयोग को यह लिखते हुए संतोष होता है कि केवल थोड़े से मामलों को छोड़कर, जिनका वर्णन इस प्रतिवेदन में किया गया है, शासन तथा अन्य नियुक्ति-प्राधिकारियों ने भारतीय संविधान एवं लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियमों के उपबन्धों का समुचित रूप से पालन किया और आयोग द्वारा दिये गये परामर्शों को भी यथाविधि मान लिया। आयोग मुख्य मंत्री के विशेष रूप से कृतज्ञ है कि जो मामले उनके समक्ष रक्खे गये, उन पर उन्होंने शीघ्र समुचित कार्यवाही की।

परिशिष्ट १

आयोग द्वारा १९५७–५८ वर्ष के अन्तर्गत किये गये कार्यों की सूची

१—परीक्षा द्वारा भर्ती—

(१) ली गई परीक्षाओं की संख्या .	१०
(२) प्राप्त आवेदन-पत्रो की संख्या .	९ २७४
(३) अभ्यर्थियो की संख्या, जिन्हें परीक्षाओं मे बैठने की आज्ञा प्रदान की गई ..	८,५९१
(४) अभ्यर्थियो की संख्या जो परीक्षाओं में बैठे ..	६,९२५
(५) साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियो की संख्या ..	१,३०६
(६) चुने गये अभ्यर्थियो की संख्या ..	३७९

२—साक्षात्कार के उपरान्त चनाव द्वारा भर्ती—

(१) निकाले गये विज्ञापनो की संख्या ..	५३६
(२) विज्ञापित पदो की संख्या जिनके लिये—	
[क] चुनाव वर्ष के अन्तर्गत किया गया ..	२ १२६
[ख] चुनाव वर्ष के अन्तर्गत पूरा नहीं किया गया .	१,३९४
(३) आवेदन-पत्रों की संख्या जिनके लिये—	
[क] चुनाव वर्ष के अन्तर्गत किया गया ..	१४,२२७
[ख] चुनाव वर्ष के अन्तर्गत पूरा नहीं किया गया	१२,६४६
(४) साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या ..	५,०९४

१—विविध विवरण—

(१) ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या, जिन पर निम्नलिखित मामलों के संबंध में विचार किया गया:—

[१] बिना विज्ञापन के भर्ती	..	३७३
[२] पदोन्नति	..	८४२
[३] अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण	..	४८३
[४] स्थानान्तरण द्वारा भर्ती	..	८
[५] पुष्टिकरण	..	२९८
(२) विलीनीकृत राज्यों के उन पदाधिकारियो की संख्या, जिन पर राज्य सेवाओं में अन्तर्निधान करने के हेतु विचार किया गया	..	३
(३) निबटाये गये अपील के तथा आनुशासिक मामले	..	२७
(४) निबटाये गये असाधारण पेंशन तथा/अथवा उपदान के मामले	..	३४
(५) निबटाये गये वैध व्ययों के मामले	..	२
(६) नियमावलियां और उनके संशोधन, जिनपर विचार किया गया	...	६१
(७) अन्य महत्वपूर्ण विविध निर्देश	..	८४

परिशि

परीक्षा द्वारा भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	परीक्षा में बैठने की अनुमति पाये हुए अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा में बैठे हुए अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा की तारीख	परीक्षा का स्थान
१	२	३	४	५	६	७	८
१	सहायक विक्रीकर अधिकारियों तथा मनोरंजन कर निरीक्षकों के लिये सम्मिलित परीक्षा	४१ १२	२,६१६	२,४५२	२,१९२	नवम्बर २९ तथा ३०, १९५६	(१) डी०ए० वी० कालेज लखनऊ (२) क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ (३) आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल इलाहाबाद (४) सीनेट हाल, इलाहाबा
२	अधीनस्थ राजस्व अधिशासी सेवा में—						
	(१) नायब तहसीलदारों तथा (२) पेशकारों के लिये सम्मिलित परीक्षा	१६ १	२,२२०	२,०४७	१,६९६	दिसम्बर ३ और ४, १९५६	तदेव

२

१९५७–५८

पर्यवेक्षक का नाम	व्यक्तित्व परीक्षा अथवा साक्षात्कार की तिथि	टेक्निकल परामर्श–दाता का नाम, यदि कोई हो	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या	नियुक्त किये अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
९	१०	११	१२	१३	१४	१५
(१) श्री एम० पी० शास्त्री,प्रिंसिपल (२) डा० सी० एम० ठाकोर, प्रिंसिपल (३) श्री शिवलाल, सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश (४) श्री एस० जेड० हसनैन, अतिरिक्त सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश	जुलाई १५, १६, १७, १८, १९, २२, २३, २४ और २९, १९५७ और अगस्त २, ५ और ९,१९५७	...	२४१	७१	...	नियुक्ति आज्ञाओं की प्रतीक्षा है।
तदेव	नवम्बर १८ से २२, १९५७	...	१३७	३३ — ४	१५ — १	अनुसूचित जाति के एक अभ्यर्थी की नियुक्ति, आज्ञा की प्रतीक्षा है।

१	२	३	४	५	६	७	८
३	निम्नलिखित के लिये सम्मिलित परीक्षा (१९५६)—						
	१—उत्तर प्रदेश असैनिक (अधिशासी) सेवा	१४	१,०८५	९०८	७८३	दिसम्बर २१, २२, २४, २६ और ३१, १९५६ और जनवरी २, ५, ७, ९ से १२ और १४, से १८, १९५७	(१) सीनेट हाल, इलाहाबाद (२) आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, इलाहाबाद
	२—उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा	१०					
	३—उत्तर प्रदेश वित्त एव लेखा सेवा	३					
	४—उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिकारी सेवा	१९					
४	वरिष्ठ वन सेवा (डिप्लोमा) कोर्स, १९५७–६०	५	१२८	९९	६१	जून १७ से २१, १९५७	आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, इलाहाबाद
५	निम्नलिखित के लिये सम्मिलित परीक्षा (१९५६)—						
	१—उत्तर प्रदेश असैनिक (न्यायिक) और	२४	८८६	८१६	६२५	जनवरी २४, २५, २७ से ३०, १९५७	(१) सीनेट हाल, इलाहाबाद

९	१०	११	१२	१३	१४	१५
(१) डा० आई० डी० कैलब, सहायक निबन्धक, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद (२) श्री शिवलाल, सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश	दिसम्बर ३, ६, ९ से १३ और १८ से २१, १९५७	केवल उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के लिये ३—६ दिसम्बर, १९५७ को श्री जियाराम, आई० पी०, उप-प्रधान पुलिस निरीक्षक और उसके बाद १८ दिसम्बर, १९५७ तक श्री एस० अली कदीर, आई० पी० एस०, सहायक प्रधान निरीक्षक (रेलवे)	२०३	३२ ३० १७ ५०	*१४ १० †२ १९	*उत्तर प्रदेश असैनिक (अधिशासी) सेवा में अनुसूचित जाति के एक अभ्यर्थी के बारे में नियुक्ति-आज्ञा फिलहाल रद्द कर दी गई है। †एक सामान्य अभ्यर्थी के बारे में नियुक्ति आज्ञा की अब भी प्रतीक्षा है।
श्री शिव लाल, सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश	अगस्त ३१, १९५७	श्री आर० सहाय, आई० एफ० एस०, मुख्य अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश, नैनीताल	१५	७	५	..
१—श्री आर० एन० लाल, सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश	...	...	...	...	...	आलोच्य वर्ष में व्यक्तित्व परीक्षा नही ली जा सकी।

१	२	३	४	५	६	७	८
	२—उत्तर प्रदेश न्यायिक अधि-कारियों की सेवा	१०	...	...	...	...	(२) ला कालेज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद
६	उत्तर प्रदेश असैनिक (अधिशासी) सेवा आपात (इमरजेन्सी) भर्ती की परीक्षा	३५	३,२६४	२,९८०	२,५५३	जुलाई ४ से ६, १९५७	(१) मेरठ कालेज, मेरठ
							(२) आगरा कालेज, आगरा
							(३) सेन्ट एंड्रयूज कालेज, गोरखपुर
							(४) क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ
							(५) डी० ए० वी० कालेज, लखनऊ
							(६) सीनेट हाल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद
							(७) ला कालेज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद

९	१०	११	१२	१३	१४	१५
(२) श्री एस० जेड० हसनैन, अतिरिक्त सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश						
(१) श्री मदन मोहन, प्रिंसिपल	जनवरी २, ३, ६–१०, १३, १५, १७, २०–२४, २७–३१, १९५८ और फरवरी ३ से ७, १० से १४, १७ से २० और २१, १९५८	...	५६६	४३	३५	शासन ने अनुसूचित जाति के एक अतिरिक्त अभ्यर्थी को नियुक्त कर लिया और एक सामान्य अभ्यर्थी की नियुक्ति आज्ञा की अब भी प्रतीक्षा है ।
(२) डा० एम० रे, प्रिन्सिपल						
(३) श्री एम० ओ० वर्के, प्रिन्सिपल						
(४) डा० सी० यम० ठाकोर, प्रिन्सिपल						
(५) श्री एम० पी० शास्त्री, प्रिन्सिपल						
(६) श्री आर० एन० लाल, सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश						
(७) श्री एस० जेड० हसनैन, अतिरिक्त सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश						

१	२	३	४	५	६	७	८
७	कानूनगो	५०	१,०३५	९४५	६०७	अगस्त १२–१४,१९५७	(१) सीनेट हाल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद।
							(२) आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, इलाहाबाद
८	अधीनस्थ स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा में सहायक लेखा–परीक्षक	१०	९९	८४	६२	अगस्त १९ से २१, १९५७	आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, इलाहाबाद
९	अवर वर्ग सहायक :—						
	(१) उत्तर प्रदेश सचिवालय में	बाहरी–३१ विभागीय–३१	१,४७७	१,४२४	१,३५८	सितम्बर ४, से ६, १९५७	(१) विद्यांत हिन्दू डिग्री कालेज, लखनऊ
	(२) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोम के कार्यालय में	१२	...	...	...	...	(२) डी० ए० वी० कालेज, लखनऊ
	(३) अहंकारी उप परीक्षा (स्पेशल)	स्पेशल–९०	...	..	...	..	(३) क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ
							(४) आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, इलाहाबाद

९	१०	११	१२	१३	१४	१५
(१) श्री शिव लाल, सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश	२८ अक्तूबर से १ नवम्बर, १९५७	...	११८	७०	५०	श्री पी० के० चतुर्वेदी, भूमि अभिलेख अधिकारी इलाहाबाद, ने ३१ अक्तूबर, १९५७ और
(२) श्री एस० जेड० हसनैन, अतिरिक्त सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश						२ नवम्बर, १९५७ को ८ मील पैदल चलने की परीक्षा का संचालन किया।
श्री एस० जेड० हसनैन, अतिरिक्त सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश	मार्च १५ और १८, १९५८	...	२६	१५	१०	
(१) श्री एस० सी० मुकर्जी, प्रिन्सिपल	...	...	...	...	..	आलोच्य वर्ष में परीक्षाफल घोषित नहीं किया जा सका।
(२) श्री एम० पी० शास्त्री, प्रिन्सिपल						
(३) डा० सी० एम० ठाकोर, प्रिन्सिपल						
(४) श्री एस० जेड० हसनैन, अतिरिक्त सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश						

१	२	३	४	५	६	७	८
१०	प्रवर वर्ग सहायक—						
	(१) उत्तर प्रदेश सचिवालय में	बाहरी १४ / विभागीय ७	१,०५२	१,००९	८१६	सितम्बर ९ से १२, १९५७	(१) डी० ए० वी०, कालेज, लखनऊ
	(२) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, के कार्यालय में	२	...	...	...	...	(२) सीनेट हाल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद
११	सहकारिता लेखा-परीक्षा संगठन में पुनरीक्षित वेतन-क्रम मे नियुक्ति के लिए लेखा परीक्षकों की अर्हकरी उप-परीक्षा	...	२२८	२२८	१४	अक्तूबर २८ और २९, १९५७	आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, इलाहाबाद
१२	पंचायत लेखा परीक्षा सगठन में लेखा परीक्षक	९९	१५९	१३०	१०३	जनवरी १६ से १८, १९५८	आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, इलाहाबाद
१३	निम्नलिखित के लिये राज्य सेवाओं की सम्मिलित परीक्षा (१९५७)						
	(१) उत्तर प्रदेश असैनिक (अधिशासी) सेवा	२०	९४६	८७६	७२६	फरवरी ३, ४, ५, ६, ७, ८, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १७, १८, १९, २०, २१, २२, और २४, १९५८।	(१) आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, इलाहाबाद
	(२) उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा	१०					(२) सीनेट हाल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद
	(३) उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा	२					
		*४९१	*९,२७४	*८,५९१	*६,९२५		

*इन अंकों में स्तम्भ ३ से ६ में मद संख्या १ से ४ के सामने दिखलाये गये अंक शामिल

९	१०	११	१२	१३	१४	१५
(१) श्री एम० पी० शास्त्री, प्रिन्सिपल (२) श्री एस० जेड० हसनैन, अतिरिक्त सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश	...	...	...	..	...	आलोच्य वर्ष में परीक्षाफल घोषित नहीं किया जा सका।
श्री एस० जेड० हसनैन, अतिरिक्त सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश	...	...	..	६	६	...
श्री यस० जेड० हसनैन, अतिरिक्त सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश	...	..	...	.		आलोच्य वर्ष में व्यक्तित्व परीक्षा नहीं ली जा सकी
(१) श्री शिव लाल, सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश (२) डा० आई० डी० कैलब, सहायक निबन्धक, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद	...	..	...	. .	...	तदैव
			१,३०६	३७८		

परि

चुनाव द्वारा

क्रम–संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्य–र्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्य–र्थियो की संख्या
१	२	३	४	५	६
१	राजकीय अस्पताल, इलाहाबाद या किंग एड–वर्ड सप्तम सेनेटोरियम भुवाली, नैनीताल में अनेस्थेटिस्ट	१	५	४	२
२	टी० बी० अस्पताल, फिरोजाबाद में अनेस्थे–टिस्ट	१	२	२	१
३	उ० प्र० उद्योग संचालकालय की क्वालिटी मार्किंग स्कीम के अधीन उद्योग के मंडला–धीक्षक	१	२७	१०	९
४	उ० प्र० कृषि सेवा (क्लास दो) के सेक्शन 'डी' में भूमि संरक्षण तथा क्षरित (इरोडेड) भूमि एवं ऊसर की अवाप्ति की योजना में सहायक कृषि अभियन्ता	१	२०	९	५
५	गन्ना आयुक्त, उ० प्र०, लखनऊ के कार्यालय के लिये लेखा अधिकारी	१	४	१	..

३

भर्ती १९५७-५८

चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
७	८	९	१०
. ..	१ अप्रैल, १९५७	डा० पी० डी० श्रीवास्तव, उ० प्र० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओ के अतिरिक्त संचालक	जिन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया गया, उनमें से कोई दोनो में से किसी पद के लिये उपयुक्त नहीं पाया गया। आयोग ने सुझाव दिया कि संशोधित अर्हताओं तथा उच्चतर प्रारम्भिक वेतन के उपबन्ध के साथ पदो को पुर्नविज्ञापित किया जाय।
१	१ अप्रैल, १९५७	..	..
१	२ अप्रैल, १९५७	डा० ए० खान, उप-संचालक, भूमि संरक्षण, लखनऊ	..
..	२ अप्रैल, १९५७	श्री भरत नारायण, संयुक्त सचिव, उ० प्र० शासन, वित्त विभाग, लखनऊ	केवल एक साक्षात्कार के लिये बुलाया गया था। वह भी नहीं आया। आयोग ने सुझाव दिया कि उपयुक्त अभ्यर्थी पाने के लिये या तो उच्चतर प्रारम्भिक वेतन देने का उपबन्ध किया जाय या अर्हताओ में संशोधन किया जाय।

१	२	३	४	५	६
६	राजकीय पालीटेक्निक, देहरादून के लिये—				
	(क) फोरमैन ..	१	१०	७	५
	(ख) ड्राइंग मास्टर, ..	१	३	३	३
	(ग) सहायक फोरमैन तथा ..	१	३	३	३
	(घ) आटोमोबाइल इन्स्ट्रक्टर ..	१	६	५	३
७	राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर के लिये फर्स्ट ट्रैक्टर मेकैनिक इन्स्ट्रक्टर	१	३	३	३
८	राजकीय पालीटेक्निक, झांसी के लिये सेकेण्ड जनरल मेकैनिक इन्स्ट्रक्टर	१	३	२	२
९	उ० प्र० सिंचाई विभाग के कृषि अभियन्त्रण उपविभाग में यांत्रिक निरीक्षक	१०	२१	१४	१३*
१०	केन्द्रीय डिजाइन केन्द्र, लखनऊ में निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिये एक क्राफ्ट्स डिजाइनर—				
	(१) कुम्हारी ..	१	५	३	३
	(२) बुनाई ..	१	५	४	४
	(३) रंगाई व छपाई ..	१	४	१	१
	(४) धातु-कार्य ..	१	२	२	२
	(५) काष्ठशिल्प ..	१	८	६	५

७	८	९	१०
२	३ अप्रैल, १९५७	श्री बी० एस० त्यागी, प्रिंसिपल, जी० टी० आई०, गोरखपुर	
२	..	..	
१	...	..	
२	..	..	
१	३ अप्रैल, १९५७	तदेव	
१	३ अप्रैल, १९५७	तदेव	चूंकि पालीटेक्निक का कार्य शुरू नहीं हुआ और चूंकि अभ्यर्थी समान वेतन-क्रम वाले दूसरे पद पर नियुक्त कर दिया गया, जिसके लिये भी वह आयोग से संस्तुत किया जा चुका था, इसलिये नियुक्ति आज्ञा जारी नहीं की जा सकी।
११	४ अप्रैल, १९५७	श्री आर० एस० चतुर्वेदी अधीक्षण अभियन्ता, बुन्देल-खण्ड विकास सर्किल, इलाहाबाद	*एक और अभ्यर्थी के मामले पर उसकी अनुपस्थिति में विचार किया गया।
१ १	५ अप्रैल, १९५७	श्री श्रीपत, आई० ए० एस०, उद्योग संचालक, उ० प्र०, कानपुर तथा बी० सेन, संचालक, केन्द्रीय डिजाइन केन्द्र, लखनऊ	आयोग को वस्तुतः कोई अभ्यर्थी किसी भी पद के लिये उपयुक्त नहीं मिला और उनकी राय हुई कि उन पदों पर समुचित प्राविधिक प्रशिक्षण तथा अनुभव वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी चाहिये और यदि कोई पर्याप्त ऊंची प्रतिभा का अभ्यर्थी मिल जाय तो २५०--८५० रु० के वेतन-क्रम में उसे ५२० रु० का प्रारम्भिक वेतन दिया जाय। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी

१	२	३	४	५	६
११	पं० जे० जे० राजकीय पालीटेक्निक, अल-मोड़ा तथा राजकीय पालीटेक्निक, टेहरी (गढ़वाल) के लिये फोरमैन	२*	१२	८	७
१२	पं० जे० जे० राजकीय पालीटेक्निक, अलमोड़ा के लिये सीनियर इन्स्ट्रक्टर	१	१२	७	७
१३	सिंचाई विभाग, उ० प्र० में मेकैनिक ..	१२	५३	२६	१६
१४	उ० प्र० उद्योग सेवा, क्लास दो में गवर्नमेंट स्कूल आफ आर्ट्स ऐण्ड क्राफ्ट्स, लखनऊ के लिये आर्कीटेक्चर के प्रोफेसर	१	२	२	१

७	८	९	१०
			पदों के लिये निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियो को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय और उनको आयोग की स्वीकृति लेकर नियुक्त कर दिया जाय। उन्होंने संस्तुत किया कि यदि कोई उपयुक्त अभ्यर्थी न मिले तो उनके द्वारा संस्तुत दोनों अभ्यर्थी कुम्हारी और बुनाई के पदों पर नियुक्त कर दिये जायं और जब तक अधिक उपयुक्त अभ्यर्थी न मिल जायं, तब तक वे चलते रहे। अधिक उपयुक्त अभ्यर्थियों की उपलब्धि तक आयोग द्वारा संस्तुत दोनों अभ्यर्थी नियुक्त कर दिये गये हैं। निजी बातचीत के परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है।
२	९ अप्रैल, १९५७	पं० कृपा शंकर, उद्योग उप-संचालक (शिक्षा), कानपुर	*राजकीय पालीटेक्निक, टेहरी के पद की सूचना बाद में मिली जब कि विज्ञापन निकल चुका था।
२	तदेव	तदेव	...
८	१० व ११ अप्रैल, १९५७	श्री बी० एस० माथुर, अधीक्षण अभियन्ता, रिहन्द बांध निर्माण वृत्त, इलाहाबाद	...
...	१५ अप्रैल, १९५७	श्री एस० आर० खास्तगीर, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट स्कूल आफ आर्ट्स ऐण्ड क्राफ्ट्स, लखनऊ तथा श्री पी० एल० शर्मा, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, आगरा	आयोग द्वारा एक ही अभ्यर्थी का साक्षात्कार किया गया था और वह भी अनुपयुक्त पाया गया। आयोग ने सुझाव दिया कि निजी बातचीत द्वारा एक उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय और उसे आयोग के परामर्श से

१	२	३	४	५	६
१५	पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा में पैथोलाजी तथा बैक्टीरियोलाजी के प्रोफेसर	१	१०	३	३
१६	सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के लिये विशेष निश्चेतक	१	७	६	१
१७	कानपुर विद्युत् प्रदाय प्रशासन मे अधिशासी अभियन्ता (प्राजेक्ट्स)	१	१	१	१
१८	गवर्नमेंट स्कूल आफ आर्ट्स ऐण्ड क्राफ्ट्स, लखनऊ में फाइन आर्ट्स के सहायक प्रोफेसर	१	१८	१२	११
१९	गवर्नमेंट स्कूल आफ आर्ट्स ऐण्ड क्राफ्ट्स, लखनऊ में मार्डेलिंग तथा स्कल्पचर के सहायक प्रोफेसर	१	४	४	४
२०	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (संस्कृत)	२	५६	१३	१२
२१	फलोपयोग (फ्रूट युटीलाइजशन) संचालकालय, उ० प्र०, रानीखेत के अधीन ज्येष्ठ मार्केटिंग निरीक्षक	१	३	३	२
२२	सिचाई विभाग, उ० प्र० की कृषि अभियन्त्रण शाखा में मेकैनिकल ड्राफ्ट्समैन	१	१	१	१
२३	उ० प्र० कृषि सेवा, क्लास दो के सेक्शन 'सी' में राजकीय फल अनुसन्धान केन्द्र, सहारनपुर मे जूनियर हार्टीकल्चरिस्ट	१	३	२	१
२४	मनोविज्ञानशाला, उ० प्र०, इलाहाबाद में मनोवैज्ञानिक	१	२०	९	९

७	८	९	१०
१	१५ अप्रैल, १९५७	श्री पी० जी० पांडे, पशुपालन संचालक, उ० प्र०, लखनऊ	...
२	तदेव	श्री के० एम० लाल, संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ० प्र०	*दो अन्य अभ्यर्थियों के मामलों पर उनकी अनुपस्थिति में विचार किया गया।
१	तदेव	श्री के० सी० गुप्त, जनरल मैनेजर, कानपुर विद्युत् प्रदाय प्रशासन	...
२	१६ अप्रैल, १९५७	श्री एस० आर० खास्तगीर, प्रिंसिपल, कालेज आफ आर्ट्स ऐण्ड क्राफ्ट्स, लखनऊ	...
२	तदेव	तदेव	...
			...
४	१७ अप्रैल, १९५७	डा० एस० एन० शास्त्री, राजकीय डिग्री कालेज, ज्ञानपुर में संस्कृत प्राध्यापक	
१	तदेव	श्री वी० साने, फलोपयोग संचालक, उ० प्र०, रानीखेत	...
१	तदेव	श्री आर० एस० चतुर्वेदी, अधीक्षण अभियन्ता, बुन्देलखण्ड वृत्त, इलाहाबाद	...
१	१८ अप्रैल, १९५७	श्री आर० एस० सिंह, कृषि संचालक, उ० प्र०	पहले विज्ञापन में एक गलती हो जाने तथा अभ्यर्थियों की दुर्लभता के कारण पद का विज्ञापन दो बार किया गया।
२	तदेव	डा० सोहनलाल, मुख्य मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक संगठन, भारत सरकार, रक्षा मन्त्रालय, नई दिल्ली	...

१	२	३	४	५	६
२५	पशुचिकित्सा तथा पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा में--				
	(क) डिमांस्ट्रेटर ..	६	१५	१०	९
	(ख) अनुसन्धान सहायक (कैटिल स्टेरिलिटी स्कीम)	१	४	३	१
	(ग) अनुसंधान सहायक (ब्रुसेलोसिस स्कीम)	१	२	२	१
	(घ) कनिष्ठ अनुसन्धान सहायक	१	२	२	..
२६	उ० प्र० की शिक्षा संस्थाओ में सैनिक शिक्षा तथा सामाजिक सेवा प्रशिक्षण की योजना के अधीन इन्स्ट्रक्टर	२	७९	१६	१२
२७	उ० प्र० पशुचिकित्सा सेवा, क्लास दो में विरोलाजी तथा बैक्टीरियोलाजी के लिये अनुसंधान अधिकारी	१	८	५	२
२८	उ० प्र० पशुचिकित्सा सेवा, क्लास दो में अनुसन्धान अधिकारी (पैरासाइटोलाजी)	१	८	४	२
२९	उ० प्र० पशुचिकित्सा सेवा, क्लास दो में अनुसन्धान अधिकारी (हेरीटेबिलिटी)	१	११	६	३
३०	सिंचाई विभाग, उ० प्र० में ओवरसियर	४२०**	५५७	४३४	३९९
३१	पशुपालन संचालक, उ० प्र० के प्रशासकीय नियन्त्रण के अधीन उ० प्र० पशुचिकित्सा	३	२०	९	८

७	८	९	१०
७ … . …	२३ अप्रैल, १९५७	श्री सी० वी० जी० चौधरी, प्रिंसिपल, पशुचिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा	…
२	२४ अप्रैल, १९५७	ब्रिगेडियर वी० डी० जयाल, डी० जी० ओ०, सैनिक शिक्षा तथा सामाजिक सेवा प्रशिक्षण संचालक, उ० प्र०, लखनऊ	…
१	तदेव	श्री सी० वी० जी० चौधरी, प्रिंसिपल, पशु-चिकत्सा महाविद्यालय, मथुरा	…
१*	तदेव	तदेव	*संस्तुत अभ्यर्थी एक दूसरे पद के लिये भी पहले संस्तुत किया जा चुका था और उसी पद पर नियुक्त कर दिया गया। अतः यह पद पुर्नविज्ञापित किया गया।
२	तदेव	तदेव	…
३४८	२४, २५, २९, ३० अप्रैल, ३, ६, ७, ८ ९ तथा १० मई, १, २, ९, १२ तथा १३ अगस्त, १९५७	श्री आर० एस० चतुर्वेदी, अधीक्षण अभियन्ता, बुन्देलखंड वृत्त, इलाहाबाद	**इसमें नियोजन विभाग के ६० पद भी शामिल हैं।
४	२५ अप्रैल, १९५७	श्री पी० जी० पाडे, पशुपालन संचालक, उ० प्र०, लखनऊ	…

१	२	३	४	५	६
३२	उ० प्र० पशु-चिकित्सा सेवा, क्लास दो में कृत्रिम गर्भाधान कार्य के लिये अनुसन्धान अधिकारी	१	१३	८	६
३३	उ० प्र० पशु-चिकित्सा सेवा, क्लास दो में एनिमल ब्रीडर	१	९	६	३
३४	उ० प्र० सिंचाई विभाग में कल्याण अधिकारी	१	१४	७	६
३५	ग्लास टेक्नॉलॉजिस्ट, उ० प्र० शासन, कानपुर	१	११*	७	७
३६	विद्युत् निरीक्षक, उ० प्र० शासन के संगठन में सहायक विद्युत् निरीक्षक	२	१८	१६	८
३७	राजकीय फल अनुसंधान स्टेशन, सहारनपुर में उ० प्र० कृषि सेवा के निम्न-वेतन क्रम के सेक्शन 'सी' में—				
	(क) सहायक माइकोलॉजिस्ट	१	८	८	५
	(ख) सहायक एन्टोमॉलॉजिस्ट	१	९	९	८
३८	गन्ना विकास विभाग, उ० प्र० के लिये उ० प्र० कृषि सेवा, क्लास दो में स्वायल केमिस्ट	१	१४	११	८

७	८	९	१०
३	२५ अप्रैल, १९५७	श्री सी० वी० जी० चौधरी, प्रिंसिपल, पशुचिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा	..
..	तदेव	तदेव	आयोग ने जिन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया, उनमें से कोई उपयुक्त नहीं पाया गया।
२	तदेव	श्री ओ० एन० मिश्र, आई० ए० एस०, श्रम आयुक्त, उ० प्र० प्राविधिक परामर्शदाता के रूप में आयोग की सहायता करने को थे, किन्तु वे उपस्थित नही हुये।	.
१	२७ अप्रैल, १९५७	(१) डा० आत्मा राम, संचा-लक, सेन्ट्रल ग्लास ऐण्ड सिरॉमिक्स रिसर्च इन्स्टी-ट्यूट, जादवपुर, कलकत्ता (२) डा० एस० पी० वर्मा, विकास अधिकारी (खनिज उद्योग), भारत सरकार तथा (३) श्री आर० बी० सक्सेना, अतिरिक्त उद्योग सचालक, उ० प्र०	*निजी बातचीत के फल-स्वरूप शासन से प्राप्त एक को लेकर।
४	२९ अप्रैल, १९५७	श्री एच० एल० कश्यप, विद्युत् निरीक्षक, उ० प्र० शासन	केवल चौथे अभ्यर्थी ने एक पद पर नियुक्त होना स्वीकार किया और उसकी नियुक्ति हो गई। दूसरे पद का विज्ञापन फिर से निकाला गया।
१ २	३० अप्रैल, १९५७	श्री आर० एस० सिंह, कृषि संचालक, उ० प्र०	.
३	३ मई, १९५७	संचालक, गन्ना अनुसन्धान स्टेशन, शाहजहांपुर	..

१	२	३	४	५	६
३९	उ० प्र० उद्योग संचालकालय के अधीन प्रदर्शिनी तथा प्रचार अधिकारी	१	२५	६	५
४०	अधीनस्थ शिक्षा सेवा, पुरुष शाखा में हिन्दी अध्यापक	१८	३८६	९०	७२
४१	उ० प्र० सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में चिकित्सा अधिकारी	४६	५५	५५	३५
४२	शिक्षा विभाग, उ० प्र० के अधीन पुनर्व्यवस्था योजना के लिये विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में कृषि सुपरवाइजर	५	५५	२३	१७
४३	राजकीय डिग्री महाविद्यालय, नैनीताल अथवा ज्ञानपुर (वाराणसी) के लिये अंग्रेजी के सहायक प्राध्यापक	३	१६	१२	९
४४	उपसंचालक, बोध (इन्टेलीजेंस) तथा प्रचार, उ० प्र० के अधीन अधीनस्थ कृषि सेवा, ग्रूप दो में आर्टिस्ट	१	६	२	२
४५	राजकीय डिग्री महाविद्यालय, ज्ञानपुर (वाराणसी) के लिये वाणिज्य के सहायक प्राध्यापक	१	१५	१३	१०
४६	प्लानिंग रिसर्च ऐण्ड ऐक्शन इन्स्टीट्यूट, उ० प्र०, लखनऊ में—				
	(क) सीनियर असोशियेट टु स्पेशलिस्ट आन स्वायल कन्जर्वेशन	१	७	५	४
	तथा				
	(ख) जूनियर असोशियेट टु स्पेशलिस्ट आन स्वायल कन्जर्वेशन	१	४	४	२

७	८	९	१०
१	३ मई, १९५७	..	..
२३	७ से १० मई, १९५७	डा० सी० बी० एल० गुप्त, प्राध्यापक, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, ज्ञानपुर (वाराणसी)	.
३४	७, ८, ९ तथा १० मई १९५७	७ मई, १९५७ को डा० पी० डी० श्रीवास्तव, अतिरिक्त संचालक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवायें, उ० प्र० तथा ८, ९ और १० मई, १९५७ को डा० अव्यक्तानन्द, सहायक संचालक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाये	..
१०	१३ व १४ मई, १९५७	डा० बी० एन० लाल, कृषि उप-संचालक (मुख्यालय), उ० प्र०, लखनऊ	..
४	१३ मई, १९५७	प्रो० एस० सी० देव, अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष, प्रयाग विश्वविद्यालय	..
१	१४ मई, १९५७	श्री शेर सिंह, उपसचालक, शोध तथा प्रचार, उ० प्र०, लखनऊ	..
२	१४ मई तथा १ अगस्त, १९५७	श्री बी० एल० श्रीवास्तव, वाणिज्य के प्राध्यापक, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, ज्ञानपुर	..
१ १	१५ मई, १९५७	श्री डी० पी० सिह, आई० ए० एस०, संचालक, प्लानिंग रिसर्च ऐण्ड ऐक्शन इंस्टीटयूट, उ० प्र०	(क) आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी दूसरे पद पर नियुक्त कर दिया गया है। अतः यह पद पुर्नविज्ञापित किया गया है।

१	२	३	४	५	६
४७	बी० पी० के० राजकीय पॉलीटेक्निक, वाराणसी में—				
	(क) जूनियर इंस्ट्रक्टर, कास्टिंग ऐण्ड क्ले-मॉडलिंग	१	३	२	२
	(ख) जूनियर इन्स्ट्रक्टर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तथा	१	५	३	१
	(ग) ड्राइंग मास्टर	१	८	३	२
४८	(क) विज्ञान में व्याख्याता	१	१९	५	४
	(ख) वास्तुकला (स्कलपचर) में व्याख्याता	१	४	३	२
	(ग) कुम्हारी में व्याख्याता, तथा	१	५	५	३
	(घ) वाणिज्यीय कला में व्याख्याता	१	६	६	६
४९	उ० प्र० उद्योग संचालकालय के अधीन क्वालिटी मार्किंग स्कीम में—				
	(क) अधीक्षक, सेंट्रल डिपो	१	१८	१०	८
	(ख) अधीक्षक, ज़री कसीदाकारी, आगरा	१	१	१	१
	(ग) अधीक्षक, खेल कूद (स्पोर्ट्स) के सामान, मेरठ	१	३	१	१
	(घ) अधीक्षक, गोल्ड थ्रेड, वाराणसी	१	२	२	२
	(ङ) अधीक्षक, कम्बल, नजीबाबाद	१	३	३	३
	(च) परीक्षक, ज़री कसीदाकारी, आगरा	१	१	..	..
	(छ) परीक्षक, खेलकूद के सामान, मेर	१	१	१	१
	(ज) परीक्षक, गोल्ड थ्रेड, वाराणसी	१	..	..	..
	(झ) परीक्षक, कम्बल, नजीबाबाद	१	२	१	१
	(ञ) प्रचार निरीक्षक तथा मार्केटिंग संग नकर्ता	१	५	३	१

७	८	९	१०
			(ख) आयोग ने जिस अभ्यर्थी को संस्तुत किया था, उसको वांछित अनुभव की शर्त से मुक्त करने के लिये भी लिखा था। शासन वांछित अनुभव से मुक्ति देने के लिये सहमत नहीं हुये, क्योंकि उनके विचार से वांछित अनुभव आवश्यक था। आयोग इस मत से सहमत हो गये और पद के पुर्नविज्ञापन का सुझाव दिया। अतः यह पद भी पुर्नविज्ञापित किया गया।
२ १ १	१६ मई, १९५७	श्री एस० आर० खास्तगीर, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट स्कूल आफ आर्ट्स ऐण्ड क्राफ्टस, लखनऊ	..
२ १ १ २	१६ व १७ मई, १९५७	श्री एस० आर० खास्तगीर, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट स्कूल आफ आर्ट्स ऐण्ड क्राफ्टस, लखनऊ	..
२ १ * १ १ * १ १ २	२०, २१ तथा २२ मई, १९५७	श्री पी० के० कौल, आई० ए० एस०, संयुक्त उद्योग संचालक, उ० प्र० केवल २० व २१ मई, १९५७ को	*(ग), (च) और (ज) के लिये आयोग ने सुझाव दिया कि निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय और आयोग का परामर्श लेकर उन्हे नियुक्त किया जाय।

१	२	३	४	५	६
५०	उ० प्र० उद्योग सचालकालय के अधीन क्वालिटी मार्किंग स्कीम में परीक्षक (दरी)	१	५	३	२
५१	राजकीय लेदर वर्किंग स्कूल, कानपुर में लेदर वर्किंग इन्स्ट्रक्टर	३*	१०	७	७
५२	राजकीय केन्द्रीय पेडागॉजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद से सम्बद्ध एक्सपेरीमेन्टल मनो-विज्ञान तथा शिक्षा में डिमान्स्ट्रेटर	१	५	३	१
५३	राजकीय डिग्री महाविद्यालय, नैनीताल या ज्ञानपुर (वाराणसी) के लिये रसायन-शास्त्र (अकार्बनिक) के सहायक प्राध्यापक	१	१३	९	९
५४	एच० बी० टी० आई० कानपुर में पुस्तकाध्यक्ष	१	१	१	१
५५	राजकीय रजा डिग्री महाविद्यालय, रामपुर के लिये उ० प्र० शिक्षा सेवा (निम्न वेतन-क्रम) में प्रधानाचार्य	१	२२	१२	११
५६	पी० एम० एस० २ की महिला शाखा में पद	८०	४४	४४	४५

७	८	९	१०
१	२१ मई, १९५७	श्री पी० के० कौल, आई० ए० एस०, संयुक्त उद्योग सचालक, उ० प्र० केवल २० व २१ मई, १९५७ को	.
५	२२ मई, १९५७	श्री के० एल० म्योर, प्रिंसिपल, लेदर वर्किंग स्कूल, कानपुर	*एक रिक्ति जिसकी रिपोर्ट बाद में की गई थी, उसको लेकर। दसो अभ्यर्थी एक व्यावहारिक परीक्षा के लिये बुलाये गये थे, किन्तु केवल आठ परीक्षा में बैठे, उनमें से सात परीक्षोत्तीर्ण हुये और साक्षात्कार के लिये बुलाये गये।
१	तदेव	डा० एस० एन० मेहरोत्रा, संचालक, मनोविज्ञान-शाला, उ० प्र०, इलाहाबाद	आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी दूसरे पद के लिये संस्तुत और उस पर नियुक्त किया जा चुका था। अतः वह उपलब्ध नहीं हुआ। इसलिये यह पद फिर से विज्ञापित किया गया।
२	२३ मई, १९५७	डा० ए० सी० चटर्जी, प्राध्यापक तथा रसायन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष तथा डीन फैकल्टी आफ साइंस, लखनऊ वि:वविद्यालय	..
१	तदेव	..	..
१	२४ मई, १९५७	..	..
४४	२७, २८, २९, ३० व ३१ मई, १९५७	डा० (कु०) जी० वी० कमाजी, अतिरिक्त संचालक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवायें (महिला), उ० प्र०	प्राविधिक परामर्शदाता ने केवल २७, २८ व २९ मई, १९५७ को आयोग की सहायता की। आयोग ने दो अभ्यर्थियो, प्रति दिन एक, का साक्षात्कार ३० व ३१ मई, १९५७ को बिना परामर्शदाता की सहायता के किया, क्योकि वे साक्षात्कार के लिये नियुक्त

१	२	३	४	५	६
५७	यन्त्रीकृत राज्य प्रक्षेत्र, उ० प्र० में फार्म असिस्टेंट तथा डेरी ऐण्ड कैटिल इन्चार्ज	२	१२	१०	८
५८	कल्टीवेशन इन्चार्ज, कैटिल ब्रीडिंग-कम-डेरी फार्म, काल्सी (देहरादून)	१	३	३	३
५९	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा (पुरुष शाखा) में सहायक अध्यापक (हिन्दी)	३	१९१	१८	१६
६०	सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, उ० प्र० के फाइलेरिया संगठन में सहायक एन्टोमोला-जिस्ट	३	९	८	७
६१	जियोलाजी तथा माइनिंग संचालकालय, उ० प्र०, लखनऊ में प्राविधिक सहायक	५	१०	९	८
६२	सार्वजनिक निर्माण विभाग, उ० प्र० में सहायक अभियन्ता, विद्युत् एवं यांत्रिक	४	७५	३४	१४
६३	विशष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (अंग्रेजी)	४	११७	२२	२०
६४	सिंचाई विभाग, उ० प्र० में लेखा अधकारी	१	७	३	३
६५	उ० प्र० पशुपालन संचालक के शासकीय नियन्त्रण में उप-संचालक, इन्चार्ज की विलेज स्कीम	१	१५	१३	१०

७	८	९	१०
४	२७ मई, १९५७	श्री राजनाथ सिंह, उप-संचालक, यंत्रीकृत राज्य प्रक्षेत्र, उ० प्र०, लखनऊ	..
१	तदेव	तदेव	..
७	२८ मई, १९५७	डा० सी० वी० एल० गुप्त, प्राध्यापक, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, ज्ञानपुर (वाराणसी)	..
४	२९ मई, १९५७	डा० जे० रहमान, उप-संचालक (मलेरियालाजी), उ० प्र०, लखनऊ	..
५	तदेव	श्री एस० आर० नारायण राव, अवैतनिक संचालक, जियोलाजी तथा माइनिंग संचालकालय, उ० प्र०, लखनऊ	.
७	३० व ३१ मई, १९५७	श्री एच० सी० वर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन, उ० प्र० सार्वजनिक निर्माण विभाग	.
६	तदेव	..	..
१	३१ मई, १९५७	श्री एस० पी० साहनी, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कर्मशाला वृत्त, कानपुर	.
२	३ जून, १९५७	श्री पी० जी० पांडे, पशु-पालन संचालक, उ० प्र०	..

१	२	३	४	५	६
६६	चिकित्सा अधिकारी, पी० एम० एस०, प्रथम (पुरुष शाखा)	९	१२२	८४	७३*
६७	स्थानीय स्वशासन अभियन्त्रण विभाग, उ० प्र० में विद्युत् एवं यांत्रिक अभियन्ता	१५	४७	३८	२८
६८	उ० प्र० उद्योग सेवा, क्लास दो में सहायक उद्योग संचालक (ट्रेनिंग)	१	३०	१३	७
६९	पूर्णकालिक जिला कारागार अधीक्षक	२	९६	१७	१४
७०	उ० प्र० पशुचिकित्सा सेवा, क्लास दो में पशुधन सुपरवाइजर प्रशिक्षण कक्षा के प्रधानाचार्य	१	१०	५	४
७१	उ० प्र० पशुचिकित्सा सेवा, क्लास दो में सहायक मत्स्य संचालक, उ० प्र०	१	८	६	५
७२	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (ग्रेजुएट ग्रेड) में विद्यालय मनोवैज्ञानिक (४ पुरुष शाखा और १ महिला शाखा के लिये)	५	१६	६	५
७३	उ० प्र० सार्वजनिक निर्माण विभाग, अनुसन्धान इन्स्टीटयूट, लखनऊ में जूनियर असिस्टेंट केमिस्ट	४	८	८	५
७४	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (वाणिज्य)	२	६४	१७	१६

७	८	९	१०
२७	४, ५, ६, १०, ११, १२ व १३ जून, १९५७	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक तथा डा० एस० एन० चटर्जी, सिविल सर्जन, इलाहाबाद (दोनों ४ जून को और अन्य दिनों में केवल सिविल सर्जन)	*तीन और अभ्यर्थियों के मामलों पर उनकी अनुपस्थिति में विचार किया गया।
१५	४, ५ व ६ जून, १९५७	श्री आर० डी० वर्मा, मुख्य अभियन्ता, स्थानीय स्वशासन अभियन्त्रण विभाग, उ० प्र०, लखनऊ	..
३	१० जून, १९५७	श्री पी० के० कौल, आई० ए० एस०, संयुक्त उद्योग संचालक, उ० प्र०, कानपुर	..
३	१२ जून, १९५७	..	..
२	१३ जून, १९५७	श्री पी० जी० पांडे, उ० प्र० पशुपालन संचालक	..
२	तदेव	तदेव	..
५	१७ जून, १९५७	डा० एस० एन० मेहरोत्रा, संचालक, मनोविज्ञान शाला, उ० प्र०, इलाहाबाद	..
४	तदेव	श्री पी० एम० भटनागर, उप-मुख्य अभियन्ता, उ० प्र० सार्वजनिक निर्माण विभाग	..
४	तदेव	..	..

१	२	३	४	५	६
७५	(क) राजकीय पालीटेक्निक, टेहरी (गढ़वाल) में वर्कशाप फोरमैन	१	१६	१०	८
	(ख) राजकीय पालीटेक्निक, श्रीनगर (गढ़वाल), में वर्कशाप फोरमैन	१	५	५	३
	(ग) राजकीय पालीटेक्निक, टेहरी (गढ़वाल) तथा श्रीनगर (गढ़वाल) में ड्राइंग मास्टर	*१	६	४	१
७६	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (जीव-विज्ञान)	९	९१	३९	३१
७७	राजकीय पाइलट कर्मशालाओ के लिय वर्क-शाप फोरमैन	४	७	६	६
७८	राजकीय बालिका पालीटेक्निक, रामपुर के लिये प्रधान अध्यापिका	१	६	५	४

७	८	९	१०
३ २	१८ जून, १९५७	डा० कृपा शंकर, उप उद्योग संचालक (शिक्षा), उ प्र०	(क) जब आयोग की संस्तुतियां उद्योग संचालक को भेज दी गई तब उद्योग संचालक ने सूचित किया कि टेहरी में वर्कशाप फोरमैन के पद के सृजन की योजना विलम्बित कर दी गई। अतः मुख्य सूची के अभ्यर्थी को समान वेतन-क्रम और उन्हीं अर्हताओं वाले एक दूसरे पद पर नियुक्त किया गया।
१	तदेव	तदेव	*(ग) केवल दो पदों का विज्ञापन निकाला गया था। श्रीनगर (गढ़वाल) में एक और पद होने की सूचना बाद में आई। किन्तु केवल एक अभ्यर्थी चुना जा सका। अतः दूसरे विज्ञापित पद के लिये आयोग ने सुझाव दिया कि या तो पद को पुनर्विज्ञापित किया जाय या निजी बात-चीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय और उसको आयोग के परामर्श से नियुक्त कर दिया जाय।
११	१८ व १९ जून, १९५७	श्री आर० आर० लहरी, उप-शिक्षा संचालक, उ० प्र०, इलाहाबाद	..
४	१९ जून, १९५७	श्री पी० के० कौल, आई० ए० एस०, संयुक्त उद्योग संचालक, उ० प्र०	.
१	तदेव	डा० डी० आर० िंगरा, संयुक्त उद्योग संचालक (शिक्षा), उ० प्र०	.

१	२	३	४	५	६
७९	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (भूगोल)	२	८१	१७	१५
८०	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (कृषि)	१	१३	७	५
८१	उ० प्र० उद्योग संचालकालय के अधीन—				
	(क) उत्पादन अधीक्षक (कम्बल) ..	२	७	४	४
	(ख) सहायक उत्पादन अधीक्षक (कम्बल)	१	५	३	२
८२	अधीनस्थ उद्योग सेवा में कार्माशियल ट्रैवेलर्स (नियमित संवर्ग के बाहर)	३	१२	७	६
८३	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (गणित)	६	१२९	४३	३६
८४	स्थानीय स्वशासन अभियन्त्रण विभाग, उ० प्र० में असैनिक अभियन्ता	५०	६२	६२	३३
८५	उ० प्र० अधीनस्थ पशुचिकित्सा सेवा में वेटेरिनरी सहायक सर्जन	५०	५४	५४	४९
८६	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (इतिहास)	६	१४०	३४	२९

७	८	९	१०
४	२० जून, १९५७	..	..
३	तदेव	..	..
३ २	तदेव तदेव	श्री ए० पी० दीक्षित, उप-उद्योग संचालक, उ० प्र०	(क) का केवल एक पद सूची के प्रथम अभ्यर्थी द्वारा भरा गया। दूसरे पद के भरने की आवश्यकता नहीं थी, अतः नहीं भरा गया। इसलिये दूसरा अभ्यर्थी समान वेतन-क्रम वाले किसी दूसरे पद पर, जिसके लिये भी वह आयोग द्वारा संस्तुत किया गया था, नियुक्त किया गया।
३	२० जून, १९५७	श्री अयोध्या प्रसाद दीक्षित, पी० सी० एस०, उप-उद्योग संचालक (हैण्डलूम योजना) उ० प्र०, कानपुर	..
१२	२१ व २४ जून, १९५७	श्री सीतावर सरन श्रीवास्तव, प्रिंसिपल, राजकीय केन्द्रीय पेडागाजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद	..
१४	२४, २५ व २७ जून तथा १४ अगस्त, १९५७	श्री आर० डी० वर्मा, मुख्य अभियन्ता, स्थानीय स्वशासन अभियन्त्रण विभाग, उ० प्र०, लखनऊ	..
४३	२४, २५ व २६ जून, १९५७	श्री हृदय राम अरोरा, उप-संचालक, पशुपालन, इलाहाबाद	आयोग ने परामर्श दिया कि शेष रिक्तियों तथा बाद में होने वाली अन्य रिक्तियों के लिये फिर से विज्ञापन निकाला जाय।
१०	२५ व २६ जून, १९५७	..	..

१	२	३	४	५	६
८७	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक, तर्कशास्त्र	१	१४	८	७
८८	कृषि विभाग, उ० प्र० में सहायक कृषि अभियन्ता	३	४८	१८	१५
८९	उ० प्र० पशुपालन संचालक के मुख्यालय में संख्या उपविभाग के लिये—				
	(क) सहायक संख्याविद्	१	१०	६	६
	(ख) ज्येष्ठ सांख्यकीय सहायक	१	६	६	६
	(ग) सांख्यकीय सहायक	२	४	४	४
९०	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (अंग्रेजी)	६	११९	३७	२८
९१	उ० प्र० कृषि सेवा (निम्न वेतन–क्रम) के सेक्शन 'बी' में कैटिल यूटीलाइजेशन अफसर	१	६	४	४
९२	उ० प्र० उद्योग संचालकालय की ट्यूशनल क्लासेज स्कीम के अधीन—				
	(क) उद्योग अधीक्षक (मुख्यालय)	१	१६	५	३
	(ख) सहायक उत्पादन अधीक्षक	६	३२	१२	८
९३	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (रसायन–शास्त्र)	५	८५	२७	२१

७	८			१०
२	२६ जून, १९५७	"	चौधरी, शुचिकित्सा पालन थुरा	आयोग ने केवल २ पदों के लिये संस्तुति की और सुझाव दिया कि तीसरे पद (अर्थात् अनुसन्धान सहा-यक-कृत्रिम गर्भाधान) के लिये निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय, क्योंकि उसके लिये कोई आवेदन-पत्र नहीं प्राप्त हुआ था। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि शेष रिक्त पद फिर से विज्ञापित किये जायं।
५	२७ जून तथा १४ अगस्त, १९५७	श्री वी० पी० [illegible], [illegible] एस० ई०, शासन के [illegible] रिक्त सचिव तथा [illegible] रिसोर्सेज [illegible], उ० प्र०		
२ ३ २	२७ जून, १९५७	श्री के० किशन, [illegible] के मुख्य संख्याधिकारी, [illegible] विभाग तथा श्री [illegible] जुनेजा, संयुक्त [illegible] (नियोजन), [illegible] विभाग, उ० प्र०	खां गोरी, मदरसा, बाद	आयोग द्वारा साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया। किन्तु इसके पहले कि शिक्षा संचालक को स्थिति से अवगत कराया जाय, शासन ने कुछ कारणों से आयोग से चुनाव को रोक देने का अनुरोध किया।
१२	२७ व २८ जून, १९५७	"		
२	२८ जून, १९५७	श्री एच० बी० साही, पशु-पालन आयुक्त, उ० प्र०, लखनऊ		
२ ६	१ जुलाई, १९५७	श्री बी० बी० सिंह, उप-संचालक, उद्योग (मुख्यालय), उ० प्र०	, संचा-न स्टे- तथा ० मल-भियन्ता, वृत्त,	
१०	१ व २ जुलाई, १९५७	श्री र० स० जौहरी, [illegible], विद्यालय तथा महाविद्या-लय शिक्षा परिषद, उ० प्र०, इलाहाबाद	ज्ञानाचार्य, लखनऊ	

७	८	९	१०
२	२ जुलाई, १९५७	श्री सी० बी० जी० चौधरी, प्रधानाचार्य, पशुचिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा	आयोग ने केवल २ पदों के लिये संस्तुति की और सुझाव दिया कि तीसरे पद (अर्थात् अनुसन्धान सहा-यक-कृत्रिम गर्भाधान) के लिये निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय, क्योंकि उसके लिये कोई आवेदन-पत्र नहीं प्राप्त हुआ था। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि शेष रिक्त पद फिर से विज्ञापित किये जायं।
..	२ जुलाई, १९५७	श्री शब्बीर अहमद खां गोरी, निरीक्षक, अरबी मदरसा, उ० प्र०, इलाहाबाद	आयोग द्वारा साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया। किन्तु इसके पहले कि शिक्षा संचालक को स्थिति से अवगत कराया जाय, शासन ने कुछ कारणों से आयोग से चुनाव को रोक देने का अनुरोध किया।
५	२ जुलाई, १९५७		
२	२ जुलाई, १९५७	डा० आर० के० टंडन, संचा-लक, गन्ना अनुसन्धान स्टे-शन, शाहजहांपुर तथा श्री एस० डी० एम० मल-होत्रा, अधीक्षण अभियन्ता, रिहन्द जल-विद्युत् वृत्त, इलाहाबाद	
२	८ जुलाई, १९५७	श्री रामा राव, प्रधानाचार्य, जी० टी० आई०, लखनऊ	
१	तदेव	तदेव	

१	२	३	४	५	६
१००	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (अर्थशास्त्र)	३	११२	२८	२२
१०१	चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय पालीटेक्निक, मेरठ के लिये मास्टर शीट मेटल वर्क्स	१	२	२	२
१०२	राजकीय डिग्री महाविद्यालय, ज्ञानपुर या नैनीताल के लिये जूलाजी के प्राध्यापक	१	९	६	५
१०३	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में अनाटमी में रीडर	१	४	४	-
१०४	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (भौतिक शास्त्र)	१३	९६	७०	५
१०५	हैण्डलूम उद्योग विकास योजना के अधीन मंडल उद्योग अधीक्षक	१	५	४	३
१०६	उ० प्र० उद्योग संचालकालय की हैण्डलूम विकास योजना के अधीन रीजनल मार्केटिंग आफिसर	२	१८	१३	१३
१०७	अधीक्षक, नर्सिंग सेवायें, उत्तर प्रदेश	१	५	५	५
१०८	उप-संचालक, उ० प्र० समाज कल्याण संचालकालय में समाज कल्याण अधिकारी (महिलायें)	१	१८	५	४
१०९	सेकण्ड असिस्टेंट मास्टर, जी० टी० आई, गोरखपुर	१	१	१	१

७	८	९	१०
९	८, ११ व १८ जुलाई, १९५७	..	
१	८ जुलाई, १९५७	श्री रामा राव, प्रधानाचार्य, जी० टी० आई०, लखनऊ	
१	११ जुलाई, १९५७	डा० ए० बी० मिश्र, प्रोफेसर आफ जूलाजी, काशी विश्व-विद्यालय, वाराणसी	
१	११ जुलाई, १९५७	संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को आयोग की सहायता के लिये आना था, किन्तु वे नहीं आये। अतः डा० एस० एन० चटर्जी, सिविल सर्जन, इलाहाबाद से अनुरोध किया गया और वे आये	
१९	११, १५, १६ व १७ जुलाई, १९५७	डा० बी० एन० एस० सक्सेना, अतिरिक्त सचिव, विद्यालय तथा महाविद्यालय, परीक्षा परिषद्, उ० प्र०, इलाहाबाद	
२	१२ जुलाई, १९५७	श्री एम० समीउद्दीन, आई० ए० एस०, अतिरिक्त उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश	
३	तदेव	तदेव	
२	तदेव ..	डा० पी० डी० श्रीवास्तव, संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश	
१	तदेव	श्री ए० के० सिंह, समाज कल्याण संचालक, उत्तर प्रदेश	
१	१५ जुलाई, १९५७	श्री एम० बी० रामा राव, प्रधानाचार्य, जी० टी० आई०, लखनऊ	संस्तुत अभ्यर्थी एक दूसरे पद के लिये भी संस्तुत किया जा चुका था। उस पद

१	२	३	४	५	६
११०	राजकीय पालीटेक्निक, जौनपुर मे——				
	(क) फर्स्ट इन्स्ट्रक्टर मोटर मेकैनिक्स ..	१	९	४	२
	(ख) फर्स्ट इलेक्ट्रीशियन इन्स्ट्रक्टर ..	१	२	२	२
	(ग) ड्राइंग मास्टर .	१	३	३	२
	(घ) सेकण्ड इन्स्ट्रक्टर, मोटर मेकैनिक्स	१	८	६	४
	(ङ) सेकण्ड इन्स्ट्रक्टर, जनरल मेकैनिक्स	१	५	३	३
	(च) सेकण्ड इन्स्ट्रक्टर, मोल्डिंग .	१	५	४	४
	(छ) सेकन्ड इन्स्ट्रक्टर, शीट मेटल स्मिथी	१	४	४	३
१११	जी० टी० आई०, गोरखपुर व लखनऊ में एक–एक——				
	(क) विद्युत् अभियन्त्रण में व्याख्याता	२	३	३	३
	(ख) यांत्रिक अभियन्त्रण में व्याख्याता	२	२	२	२
	(ग) फोरमैन .	२	८	४	४
	(घ) ड्राइंग मास्टर ..	२	१	१	१
	(ङ) मेकैनिकल इन्स्ट्रक्टर .	२	५	५	५
	(च) फिटिंग इन्स्ट्रक्टर ..	२	९	५	४
११२	सी० एम० एस० राजकीय पालीटेक्निक, मेरट म एलेक्ट्रीशियन	१	४	३	३
११३	श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश में हाउसिंग इन्स–पेक्टर	१०	११८	७७	६२
११४	प्रान्तीय नर्सिंग सेवा, उत्तर प्रदेश में मेट्रन	४	३०	२४	१९
११५	सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा में सहायक अधीक्षक	१	१२	७	६
११६	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय में व्यापार चिन्हों के उल्लंघन तथा नकली सामान की बिक्री को रोकने की योजना के अधीन अधीक्षक	१	३५	८	७
११७	उत्तर प्रदेश सर्विस आफ ब्वायलर्स ऐन्ड फैक्ट्रीज के क्लास दो में फैक्टरी इंसपेक्टर (मेडिकल)	२	९	५	५

७	८	९	१०
			गई। अतः यह पद फिर से विज्ञापित किया गया।
१ १ १ १ १ १ २	१५ व १६ जुलाई, १९५७	श्री म० वी० रामा राव, प्रधानाचार्य, जी० टी० आई०, लखनऊ	...
२ १ २ १ २ २	१६ व १७ जुलाई, १९५७—	तदेव	'ख' और 'घ' के दूसरे पद के लिये कोई उपयुक्त नहीं पाया गया।
१	१७ जुलाई, १९५७	तदेव	...
२०	१८, १९, २२, २३ तथा २९ जुलाई, १९५७	श्री जे० एन० तिवारी, आई० ए० एस०, उप-श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश	...
६	१८ और १९, जुलाई, १९५७	श्रीमती डी० ए० बीट, स्थानापन्न नर्सिंग सेवा अधी-क्षिका, उत्तर प्रदेश	...
२	२३ जुलाई, १९५७	डा० परमानन्द, सिविल सर्जन, आगरा।	...
२	तदेव	...	...
४	२४ जुलाई, १९५७	डा० के० के० माथुर, उप-संचालक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवायें (कर्मचारी राज्य बीमा योजना), उत्तर प्रदेश, कानपुर	...

१	२	३	४	५	६
११८	सूचना संचालकालय, उत्तर प्रदेश के फिल्म सेक्शन में सीनरियो-कम-स्क्रिप्ट राइटर	१	१०	१०	९
११९	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय में—				
	(क) केमिकल इंजीनियर	१	४७†	७	६
	(ख) केमिकल टेक्नोलाजिस्ट, तथा	१		६	१
	(ग) इंडस्ट्रियल इकोनामिस्ट	१		२*	१
१२०	मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश, में मत्स्य मार्केटिंग अधिकारी	२	१५	१४	१३
१२१	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, क्लास दो में असिस्टेंट इकोनामिक बोटेनिस्ट	१	१४	१४	१३

७	८	९	१०
१	२४ जुलाई, १९५७	श्री भगवती शरण सिंह, सूचना संचालक, उत्तर प्रदेश	..
...	२५ व २६ जुलाई, १९५७ को लखनऊ में	(१) श्री बी० बी० लाल, आई० सी० एस०, वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	आयोग को तीनों में से किसी भी पद के लिये कोई भी उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिला। उन्होंने सुझाव दिया कि निजी बात चीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय।
.			
...		(२) श्री श्रीपत, आई० ए० एस०, उद्योग सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, तथा	
		(३) डा० एच० त्रिवेदी, प्रधानाचार्य, एच० बी० टी० आई०, कानपुर	
		(४) डा० गोपाल त्रिपाठी, प्रधानाचार्य तथा केमिकल इंजीनियरिंग तथा टेक्नोलाजी विभाग, काशी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष [केवल (क) और (ख) के लिये];	†इस संख्या में ३३ उन अभ्यर्थियों के नाम भी हैं, जिन्होंने नियमित रूप से आवेदन-पत्र नहीं भेजा था, किन्तु जिनके नामों को शासन या उद्योग संचालक ने आयोग के विचारार्थ भेजा था।
		(५) श्री ओ० पी० गुप्त, कामर्शियल इकोनामिक्स विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष [केवल (ग) के लिये]	‡(ग) के लिये १ अभ्यर्थी के मामले पर, जो भारत से बाहर था, उसकी अनुपस्थिति में विचार किया गया।
३	२५ जुलाई, १९५७	श्री पी० जी० पांडे, पशु-पालन, संचालक, उत्तर प्रदेश	..
२	२६ जुलाई, १९५७	श्री ए० के० मित्रा, इकोनामिक बोटेनिस्ट (रबी सीरियल्स तथा आलू), उत्तर प्रदेश, कानपुर	

१	२	३	४	५	६
१२२	सिंचाई अनुसंधान संस्था, रुड़की में--				
	(क) असिस्टेन्ट रिसर्च अफसर फार बेसिक रिसर्च (स्वायल्स)	१	५	५	३
	(ख) असिस्टेंट रिसर्च अफसर फार बेसिक रिसर्च (हिड्रालिक्स), तथा	१	४	४	४
	(ग) असिस्टेंट रिसर्च अफसर फार बेसिक रिसर्च (जिओलाजिस्ट)	१	६	६	१
१२३	उत्तर प्रदेश श्रम विभाग में कल्याण अधीक्षक	५	७९	३५	३२
१२४	पशुचिकित्सा तथा पशुपालन महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश, मथुरा में बैक्टीरियोलाजी के सहायक प्राध्यापक	१	६	६	५
१२५	उत्तर प्रदेश, उद्योग सेवा, क्लास दो में--				
	(क) प्रधानाचार्य, सी० एम० एस० राजकीय पोलीटेक्निक, मेरठ	१	११	६	६
	(ख) प्रधानाचार्य, सी० एम० एम० राजकीय पोलीटेक्निक, दौराला (मेरठ)	१	६	६	६
१२६	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (ग्रेजुएट ग्रेड) (पुरुष शाखा) में सहायक अध्यापक (जीव विज्ञान)	२०	११९	७२	६८
१२७	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (ग्रेजुएट ग्रेड) (पुरुष शाखा) में सहायक अध्यापक (सिरेमिक्स)	१	१२	६	५
१२८	उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में स्टोर्स के पुनस्संगठन के संबंध में स्टोर्स अफसर	२	२	१	१
१२९	उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में स्टोर्स के पुनस्संगठन के संबंध में स्टोर्स सुपरिन्टेन्डेंट	७	४०	१५	१५

७	८	९	१०
१ १ ...	२९ जुलाई, १९५७	श्री यू० एल० चतुर्वेदी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश	(ग) के लिये आयोग ने सुझाव दिया कि निजी बात चीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय और आयोग के परामर्श से उसको नियुक्त कर दिया जाय।
१०	२९ व ३० जुलाई, १९५७	श्री जय नारायण तिवारी, आई० ए० एस०, उप-श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश	..
२	३० जुलाई, १९५७	श्री सी० वाई० जी० चौधरी, प्रधानाचार्य, पशु-चिकित्सा तथा पशु-पालन महाविद्यालय, मथुरा	...
१ २	३० जुलाई, १९५७	डा० एच० त्रिवेदी, प्रधानाचार्य, एच० बी० टी० आई०, कानपुर, परमर्शदाता के रूप में आने को थे, पर आये नहीं ।	...
२८	१, २, ५ और ९ अगस्त, १९५७,	डा० आर० आर० लहरी, उप-सचालक (सामान्य), मुख्यालय	
२	१ अगस्त, १९५७	तदेव	
१	१२ अगस्त, १९५७	श्री एम० एम० गुप्त, उप-परिवहन आयुक्त (वर्कशाप), कानपुर	...
८	१२ अगस्त तथा २२ नवम्बर, १९५७	तदेव	..

१	२	३	४	५	६
१३०	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (ग्रेजुएट ग्रेड) (पुरुष शाखा) में सहायक अध्यापक (अर्थ शास्त्र)	११	३५२	७०	५७
१३१	सूचना संचालकालय, उत्तर प्रदेश में अफसर इन्चार्ज, फोटोग्राफी तथा फिल्म	१	१६	७	७
१३२	सूचना संचालकालय, उत्तर प्रदेश में न्यूज-रील कैमरामैन	१	६	४	४
१३३	एच० बी० टी० आई०, कानपुर में यान्त्रिक अभियन्त्रण के सहायक प्राध्यापक	१	३	२	१
१३४	एच० बी० टी० आई०, कानपुर में रासायनिक अभियन्त्रण के सहायक प्राध्यापक	१	३	२	*
१३५	कानपुर विद्युत् प्रदाय प्रशासन, कानपुर में सहायक अभियन्ता	१	६	५	१
१३६	उत्तर प्रदेश विशेषज्ञ (राजकीय मुद्रणालय अधिकारी) सेवा में राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, इलाहाबाद के लिये सहायक अधीक्षक	१	९	४	३
१३७	गवर्नमेंट कालेज आफ आर्ट्स ऐन्ड क्राफ्ट्स, लखनऊ में लियो फोटो मेकैनिकल प्रासेस में व्याख्याता	१	३	३	२

७	८	९	१०
१४	१२, १३ तथा १९ अगस्त, १९५७	श्री मोहियुद्दोन अहमद, उप-शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश, तृतीय क्षेत्र, इलाहाबाद	..
१	१३ अगस्त, १९५७	श्री भगवती शरण सिंह, सूचना संचालक, उत्तर प्रदेश	.
१	तदेव	तदेव	
...	१४ अगस्त, १९५७	डा० एच० त्रिवेदो, प्रधानाचार्य, एच० बी० टी० आई०, कानपुर	आयोग ने सुझाव दिया कि निजो बातचीत द्वारा एक उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय और उसे आयोग के परामर्श से नियुक्त कर दिया जाय।
	१४ अगस्त, १९५७	तदेव	साक्षात्कार के समय एक अभ्यर्थी यूनाइटेड किंगडम में था। आयोग ने उसकी अनुपस्थिति में उसके मामले पर विचार किया और उसको ३५० रु० मासिक उच्चतर प्रारंभिक वेतन पर नियुक्त करने के लिये संस्तुत किया।
...	१९ अगस्त, १९५७	श्री एस० एस० अरोरा, डिप्टी जनरल मैनेजर, कानपुर विद्युत् प्रदाय प्रशासन, कानपुर	आयोग ने सुझाव दिया कि पद को पुनः विज्ञापित किया जाय और पदधारी को नियमित चुनाव होने तक स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने दिया जाय।
१	तदेव	श्री एम० जी० शोम, अधीक्षक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	...
१	तदेव	श्री एस० आर० खास्तगीर, प्रधानाचार्य, गवर्नमेंट कालेज आफ आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्स, लखनऊ	...

१	२	३	४	५	६
१३८	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (ग्रेजुएट ग्रेड) (पुरुष शाखा) में सहायक अध्यापक (विज्ञान तथा गणित)	१६	१९२	५६	४३
१३९	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अधीन राजकीय उत्तर प्रदेश हैन्डीक्राफ्ट्स के विकास के लिये--				
	(क) मार्केटिंग अनालिस्ट, तथा	१	१३	१३	१०
	(ख) डिसप्ले अधिकारी	१	९	९	७
१४०	गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, कानपुर में--				
	(क) फर्स्ट टेलरिंग इंस्ट्रक्टर	१	३२	११	१०
	(ख) ड्राई क्लीनिंग ऐन्ड स्पाटिंग इस्ट्रक्टर	१	१	१	१
	(ग) होजियरी इंस्ट्रक्टर, तथा	१	५	४	४
	(घ) ड्राइंग ऐन्ड प्रिंटिंग इंस्ट्रक्टर	१	९	५	३
१४१	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (ग्रेजुएट ग्रेड) (पुरुष शाखा) में सहायक अध्यापक (वाणिज्य)	५	८४	३१	२७
१४२	एच० बी० टी० आई०, कानपुर में--				
	(क) प्राविधिक सहायक (एसेन्शियल आयल)	१	७	६	५
	(ख) प्राविधिक सहायक	१	२	१	१
	(ग) अनुसंधान सहायक (तेल विभाग)	१	९	८	८
	(घ) अनुसंधान सहायक (आयल स्टोरेज ऐन्ड आयल सीड्स	१	३	३	३
	(ङ) प्रयोगशाला तथा कर्मशाला (वर्कशाप) पर्यवेक्षक	१	२	१	१
	(च) ग्लास ब्लोअर, तथा	१	२	२	२
	(छ) केमिकल इंजीनियरिंग में व्याख्याता	१	३	३	३
१४३	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (ग्रेजुएट ग्रेड) (पुरुष शाखा) में सहायक अध्यापक (नागरिक शास्त्र)	१०	३२१	७२	५९
१४४	उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग में ओवरसियर	४	५	५	४

७	८	९	१०
२०	२०, २१ व २२ अगस्त, १९५७	डा० सीतावर सरन, प्रधानाचार्य, गवर्नमेंट सेन्ट्रल पेडागाजिकल इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद	...
२ १	२३ अगस्त, १९५७	श्री रा० ब० सक्सेना, संयुक्त उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश	...
२ १ १ २	२६ अगस्त, १९५७	डा० ई० डी० दारुवाला, प्रधानाचार्य, जी० सी०टी० आई०, कानपुर	...
८	२६ व २७ अगस्त, १९५७	...	
३ ... ४ २ १ १ १	२७ व २८ अगस्त, १९५७	डा० एच० त्रिवेदी, प्रधानाचार्य, एच० बी० टी० आई०, कानपुर	(ख) के पद के लिये जिस अभ्यर्थी का साक्षात्कार किया गया था, वह आयोग द्वारा उपयुक्त नहीं समझा गया ।
१६	२७, २८, २९ व ३० अगस्त, १९५७	श्री मोहियुद्दीन, उप-शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश, तृतीय क्षेत्र, इलाहाबाद	...
१*	२८ अगस्त, १९५७	श्री हरि गोपाल वर्मा, अधीक्षण अभियन्ता (नियोजन), सार्वजनिक निर्माण विभाग	*शेष तीन पदों के लिये आयोग ने सुझाव दिया कि निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय और उन्हें आयोग के परामर्श से

१	२	३	४	५	६
१४५	उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा, क्लास दो (राजपत्रित) में एच० बी० टी० आई०, कानपुर में मशीन ड्राइंग में ज्येष्ठ व्याख्याता	१	३	२	२
१४६	डी० एस० बी०, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, नैनीताल के लिये अनुसंधान सहायक	१	८	५	३
१४७	राजकीय नर्सरी प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय, लाहाबाद के लिये प्रधानाचार्या	१	४	४	३
१४८	राजकीय नर्सरी प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय, इलाहाबाद के लिये उप-प्रधानाचार्या	१	७	४	४
१४९	उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग मे जिला मनोवैज्ञानिक	१	११	६	६
१५०	राजकीय पालीटेक्निक, जौनपुर में ब्लैकस्मिथ इन्स्ट्रक्टर	१	३	३	२
१५१	राजकीय पोलीटेक्निक, चरखारी में ड्राइंग मास्टर	१	३	३	३
१५२	नार्दर्न रीजनल स्कूल आफ प्रिंटिंग टेक्नोलाजी, इलाहाबाद के लिये फोरमैन	१	३	३	३
१५३	राजकीय पोलीटेक्निक, गोरखपुर तथा गाजीपुर के लिये फोरमैन	२	३	३	२

७	८	९	१०
१	२८ अगस्त, १९५७	डा० एच० त्रिवेदी, प्रधानाचार्य, एच० बी० टी० आई०, कानपुर	...
१	तदेव	..	.
..	२९ अगस्त, १९५७	डा० बी० एम० हुंकरवाल, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग	कोई उपयुक्त नहीं पाया गया। आयोग ने स्थिति को सूचना दी और अर्हताओं में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया।
..	तदेव	तदेव	तदेव ।
२	तदेव	डा० एस० एन० मेहरोत्रा, संचालक, मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा प्रोफेसर कालीप्रसाद, अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय	..
१	२ सितम्बर, १९५७	श्री एम० बी० रामाराव, प्रधानाचार्य, राजकीय टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ	...
१	तदेव	तदेव	...
१	तदेव	तदेव	...
—*	तदेव	तदेव	*केवल एक अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये उपयुक्त पाया गया। किन्तु जिस विभाग में वह काम करता था, उस विभाग ने उसके आवेदन-पत्र को रोक लिया। इसलिये आयोग

१	२	३	४	५	६
१५४	राजकीय बालिका पोलीटेक्निक, रामपुर में ड्राइंग मास्टर	१	५	४	३
१५५	जियोलाजी तथा माइनिंग संचालकालय, उत्तर प्रदेश के लिये—				
	(क) जियोलाजिस्ट	१	७	६	५
	(ख) सहायक जियोलाजिस्ट, तथा	३	१३	१०	७
	(ग) जियोकेमिस्ट	१	७	७	४
१५६	राजकीय पोलीटेक्निक, लखनऊ में रेडियो प्रैक्टिकल के इंस्ट्रक्टर	१	९	८	६
१५७	उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा तथा पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा में उत्तर प्रदेश पशु-चिकित्सा सेवा क्लास एक में अनाटमी के प्राध्यापक	१	४	४	३
१५८	मोबाइल ब्लैकस्मिथी योजना में डिमांस्ट्रेटर तथा इन्स्ट्रक्टर	२	५	५	३
१५९	मोबाइल कारपेन्टरी योजना में वुड वर्किंग डिमान्स्ट्रेटर	४	११	६	५
१६०	इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट, मुरादाबाद की योजना में फोरमैन	१	१	१	..

७	८	९	१०
			किया और परामर्श दिया कि निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय और आयोग के परामर्श से उन्हें नियुक्त कर दिया जाय।
२	२ सितम्बर, १९५७	श्री एम० बी० रामाराव, प्रधानाचार्य, राजकीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट, लखनऊ।	..
२ ३ २	२ और ३ सितम्बर, १९५७	अवैतनिक संचालक, जिओलाजी तथा माइनिंग संचालकालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	...
२	२ सितम्बर, १९५७	श्री एम० बी० रामाराव, प्रधानाचार्य, जी० टी० आई०, लखनऊ	...
..	३ सितम्बर, १९५७	श्री सी० बी० जी० चौधरी, प्रधानाचार्य, उत्तर प्रदेश पशु-चिकित्सा एवं पशु-पालन महाविद्यालय, मथुरा	तीनों साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया। स्थिति की रिपोर्ट की गई।
२	तदेव	संयुक्त उद्योग संचालक (स्माल स्केल), उत्तर प्रदेश, कानपुर।	..
५	तदेव	तदेव	...
..	तदेव	तदेव	केवल एक अभ्यर्थी था, जिसे साक्षात्कार के लिये बुलाया गया, पर वह आया नहीं। आयोग ने सुझाव दिया कि निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय और आयोग के परामर्श से उसे

१	२	३	४	५	६
१६१	ड्राफ्ट्समैन इंडस्ट्रियल इस्टेट्स	१	१	१	१
१६२	प्लास्टिक वस्तु निर्माण योजना में इंस्ट्रक्टर	१	२	२	१
१६३	गुड़ विकास योजना में ज्ये० गुड़ विकास निरीक्षक	२	२८	१६	१५
१६४	गुड़ विकास योजना में गुड़ विकास निरीक्षक	५	१६	१५	१४
१६५	पाम जैगरी स्कीम में खजूर गुड़ मार्केटिंग निरीक्षक	१	४	४	४
१६६	पाम जैगरी स्कीम में खजूर गुड़ निरीक्षक	१	४	४	४
१६७	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में सर्जरी में व्याख्याता	१	९	९	७
१६८	उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा, क्लास एक में एच० बी० टी० आई०, कानपुर के अप्लाइड माइक्रोबायोलाजी के अध्यक्ष	१	२	२	२
१६९	(क) सहायक केमिस्ट ..	१	७	५	४
	(ख) लैबोरेटरी असिस्टेंट	१	२	२	१

७	८	९	१०
१	३ सितम्बर, १९५७	संयुक्त उद्योग सचालक (स्माल स्केल), उत्तर प्रदेश, कानपुर	...
१	तदेव	तदेव	...
२	४ व ५ सितम्बर, १९५७	उप-उद्योग संचालक (सो), उत्तर प्रदश, कानपुर	..
६	तदेव	तदेव	...
२	तदेव	तदेव	...
२	तदेव	तदेव	...
२	४ सितम्बर, १९५७	संचालक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	...
...	तदेव	डा० एच० त्रिवेदी, प्रधानाचार्य, एच० बी० टी० आई०, कानपुर	आयोग ने दोनों मे से किसी को भी उपयुक्त नही पाया और सुझाव दिया कि निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय और आयोग के परामर्श से उसे नियुक्त कर दिया जाय।
२	५ सितम्बर, १९५७	श्री के० एल० म्योर, प्रधानाचार्य, राजकीय लेदर वर्किंग स्कूल, कानपुर	
...	तदेव	तदेव	जिस अभ्यर्थी का साक्षात्कार किया गया था, वह उपयुक्त नही था और आयोग ने सुझाव दिया कि निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय और उसे आयोग के परामर्श से नियुक्त किया जाय।

१	२	३	४	५	६
	(ग) मिसलेनियस लेदर गुड्स इंस्ट्रक्टर	१	७	५	३
	(घ) शू मेकिंग इंस्ट्रक्टर ..	१	३	३	३
	(ङ) राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय, फतेहपुर में ड्राइंग मास्टर	१	९	३	१
	(च) लेदर वर्किंग स्कूल, कानपुर में ड्राइंग मास्टर	१			
१७०	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय की हैन्डलूम योजना में--				
	(क) उत्पादन अधीक्षक (प्रथम)	१	२७	२४	१९
	(ख) उत्पादन अधीक्षक (नान टेक्सटाइल)	१	२४	१४	१३
	(ग) उत्पादन अधीक्षक (द्वितीय)	६*	५६	२९	२५
	(घ) सहायक प्रबन्धक (बिक्री)	१	१७	१२	११
	(ङ) क्षेत्रीय मार्केटिंग निरीक्षक	४	३०	२३	१९
	(च) टेक्सटाइल निरीक्षक	२	२०	९	६
	(छ) उद्योग निरीक्षक	१	३	३	२
	(ज) सहायक उत्पादन अधीक्षक	४**	१७	८	७
१७१	सहायता तथा पुनर्वास योजना में उत्पादन अधीक्षक	४	४४	२०	१९
१७२	सहायता तथा पुनर्वास योजना में ऋण अधीक्षक	१	५७	१४	१०
१७३	सहायता तथा पुनर्वास योजना में सीनियर इंस्ट्रक्टर (२ विद्युत् के लिये तथा १ रेडियो सर्विसिंग के लिये)	३	३ ३	३ ३	३ १
१७४	लोन्स ऐन्ड ग्रान्ट्स स्कीम में उपयोग (युटीलाइजेशन) अधीक्षक	१	१५	६	४
१७५	व्यापार चिह्नों (ट्रेड मार्क्स) के उल्लंघन तथा नकली वस्तुओं को रोकने की योजना में निरीक्षक	६	१२	१२	९

७	८	९	१०
१	५ सितम्बर, १९५७	श्री के० एल० म्योर, प्रधानाचार्य, राजकीय लेदर वर्किंग स्कूल, कानपुर	
१	तदेव	तदेव	
१	तदेव	तदेव	आयोग ने सुझाव दिया कि ड्राइंग मास्टर के दूसरे पद के लिये निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय और आयोग के परामर्श से उसे नियुक्त किया जाय।
२ ३ १२ २ ७ ४ + ६	९, १०, ११ व १२ सितम्बर, १९५७	श्री ए० पी० दीक्षित, उप उद्योग संचालक (हैन्डलूम) उत्तर प्रदेश, कानपुर	*बाद में एक रिक्ति बढ़ा दी गई। +स्थिति की सूचना दी गई। **बाद में दो रिक्तियां बढ़ा दी गईं।
७	११ सितम्बर, १९५७	श्री बी० बी० सिंह, उप-संचालक, एम० एस० आई०, उत्तर प्रदेश	
२	१२ व १३ सितम्बर, १९५७	श्री पी० के० कौल, आई० ए० एस०, संयुक्त उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश (एस० एस० आई०)	
२ १	१२ सितम्बर, १९५७	तदेव	
१	१३ सितम्बर, १९५७	तदेव	
६	१३ सितम्बर, १९५७	श्री पी० के० कौल, आई० ए० एस०, संयुक्त उद्योग संचालक (एस० एस० आई०), उत्तर प्रदेश	

१	२	३	४	५	६
१७६	जी० सी० टी० आई०, कानपुर में—				
	(क) इन्चार्ज टेस्टिंग लैबोरेटरी	१	२	२	२
	(ख) भौतिक शास्त्र तथा गणित सहायक	१	१	१	१
१७७	उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश में गणित में व्याख्याता	१	२	२	२
१७८	उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा, क्लास दो में उत्तर क्षेत्रीय मुद्रण टेक्नोलाजी विद्यालय, इलाहाबाद के प्रधानाचार्य	१	३	३	३
१७९	आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण देने के विचार से चार अभ्यर्थियों (मेकेनिकल अथवा आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ग्रैजुएट्स) का चुनाव	४	७	३	२
१८०	शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन बहुप्रयोजन विद्यालयों में अनियत्रण पाठ्यक्रमों का समावेश करने के संबंध में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिये व्याख्याता	२०	१४	११	७

७	८	९	१०
..	१३ सितम्बर, १९५७	डा० ई० डी० दारूवाला, प्रधानाचार्य, जी० सी० टी० आई०, कानपुर	जिन अभ्यर्थियो का साक्षात्कार किया गया, उनमे से कोई उपयुक्त नही पाया गया। आयोग ने सुझाव दिया कि पदों को पुर्नविज्ञापित किया जाय। लेकिन उद्योग संचालक ने कहा कि पदो को भरने की आवश्यकता नही है। अतः उनके पुर्नविज्ञापन का प्रश्न समाप्त कर दिया गया।
..			
१	तदेव	तदेव	
.	तदेव	डा० डी० आर० ढिंगरा, संयुक्त उद्योग संचालक, (शिक्षा), उत्तर प्रदेश, कानपुर तथा श्री एम० जी० शोम, अधीक्षक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	जिन अभ्यर्थियो का साक्षात्कार किया गया, उनमे से कोई उपयुक्त नही पाया गया। आयोग ने सुझाव दिया कि पद को ५००-५०-१,२०० रु० के पुनरीक्षित वेतन-क्रम में पुर्नविज्ञापित किया जाय।
२	तदेव	श्री एम० एम० गुप्त, उप-परिवहन आयुक्त, (रोडवेज) उत्तर प्रदेश	
४	तदेव	श्री एम० वी० रामा राव, प्रधानाचार्य जी० टी० आई०, लखनऊ	आयोग ने सुझाव दिया कि शेष रिक्तियों को, निर्धारित अर्हताओं में कुछ संशोधन करके, पुर्नविज्ञापित किया जाय।

१	२	३	४	५	६
१८१	ट्यूशनल क्लासेज स्कीम के लिये—				
	(क) अधीक्षक ..	१	४	३	३
	(ख) मैनेजर कम मार्केटिंग आर्गनाइजर	१	२	२	२
	(ग) ट्राथ मेकिंग इन्स्ट्रक्टर	१	६	६	४
	(घ) लमिनेटेड वर्क, तारकशी वर्क तथा वेनीर वर्क इन्स्ट्रक्टर	३*	४	४	३
	(ङ) पेंटर ...	१	३	३	३
	(च) दर्जीगिरी के लिये प्राविधिक सहायक	२	१०	८	७
	(छ) प्रचार सहायक	१	१	१	१
१८२	सैन्ड वाशिंग प्लांट, शंकरगढ़ (इलाहाबाद) के लिये फोरमैन	१	१	१	..
१८३	चिकन कसीदाकारी योजना, लखनऊ के लिये प्राविधिक सहायक	१	४	४	४
१८४	पशु अनुसंधान स्टेशन, मथुरा के लिये सहायक रोग अनुसंधान अधिकारी	१	५	५	४
१८५	राजकीय डिग्री महाविद्यालय, नैनीताल या ज्ञानपुर (वाराणसी) के लिये सहायक प्राध्यापक—				
	(क) अर्थशास्त्र में	१	५	४	४
	(ख) राजनीति में	१	५	४	४

७	८	९	१०
२ १ २ ३ २ ४ १	१७ व १९सितम्बर, १९५७	उप-उद्योग संचालक (मुख्यालय), उत्तर प्रदेश, कानपुर	*केवल एक रिक्ति का विज्ञापन निकाला गया था, किन्तु बाद में उद्योग संचालक ने कहा कि तीन रिक्तियां हैं और तदनुसार चुनाव किया जाना चाहिये। लेकिन प्रथम संस्तुत अभ्यर्थी की ही नियुक्ति की गई, क्योंकि उद्योग संचालक ने फिर सूचित किया कि केवल एक ही रिक्ति थी।
...	१७ व १९सितम्बर, १९५७	उप-उद्योग संचालक (मुख्यालय), उत्तर प्रदेश, कानपुर	केवल एक ही अभ्यर्थी था, जिसे साक्षात्कार के लिये बुलाया गया, किन्तु वह आया नहीं। आयोग ने सुझाव दिया कि निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय और आयोग के परामर्श से उसे नियुक्त किया जाय।
२	तदेव	तदेव	.
२	१९ सितम्बर, १९५७	डा० डी० के० मूर्ति, अनुसंधान अधिकारी, ब्रूसीलोसिस, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा	.
१	तदेव	डा० बलजीत सिंह, प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, लखनऊ विश्वविद्यालय	.
..	तदेव	डा० बी० एम० शर्मा, अध्यक्ष, राजनीति विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय	शासन से एक निर्देश प्राप्त होने पर आयोग ने अर्हताओं में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया और उच्चतर प्रारंभिक वेतन का उपबन्ध करने को भी संस्तुत किया।

१	२	३	४	५	६
	(ग) भौतिक शास्त्र में	१	१	१	१
	(घ) वनस्पति शास्त्र (बाटनी) में	१	३	२	२
	(ङ) प्राणि विज्ञान (जुलाजी) में	१	७	३	२
	(च) इतिहास में	१	६	५	५
	(छ) दर्शन शास्त्र में	१	९	४	२
१८६	उत्तर प्रदेश पशु-चिकित्सा सेवा, (क्लास एक) में—				
	(क) संयुक्त संचालक, पशु पालन (प्लानिंग), तथा	१	४	४	४
	(ख) संयुक्त संचालक, मत्स्य	१	२	१	१

७	८	९	१०
१*	२१ सितम्बर, १९५७	डा० पी० एन० शर्मा, भौतिक शास्त्र के अध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय	*आयोग ने संस्तुति की कि या तो इस अभ्यर्थी को, जिसमें विज्ञापन की शर्तों के अनुसार वांछित सैद्धान्तिक भौतिक शास्त्र में विशेषज्ञता की कमी थी, नियुक्त कर लिया जाय या पद को पुर्नविज्ञापित किया जाय। शासन ने दूसरे सुझाव को मान लिया।
२	तदेव	डा० के० एन० भार्गव, प्राध्यापक, वनस्पति शास्त्र तथा उपप्रधानाचार्य, डी० एस० बी० राजकीय डिग्री महाविद्यालय, नैनीताल	...
..	तदेव	डा० ए० बी० मिश्र, प्राध्यापक, प्राणि विज्ञान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	आयोग ने सुझाव दिया कि पद पुर्नविज्ञापित किया जाय।
३	तदेव	डा० एस० एन० दास गुप्त, अध्यक्ष, इतिहास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय	...
१	तदेव	डा० राज नारायण, अध्यक्ष, दर्शन शास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय	.
२ ..	२० सितम्बर, १९५७	श्री एस० बी० साही, अतिरिक्त सचिव, शासन तथा पशुपालन आयुक्त, उत्तर प्रदेश दोनों के लिये तथा डा० आर० बी० डेविस, रिसर्च कोआर्डीनेटर तथा अध्यक्ष, पशुपालन विभाग, इलाहाबाद अग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, केवल (क) के लिये	शासन ने अब सूचना दी है कि आर्थिक संकट आदि के कारण इन पदों को आस्थगित कर दिया गया गया है।

१	२	३	४	५	६
१८७	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल, आगरा में—				
	(क) न्यूरो साइकियेट्री में रीडर, तथा	१	२	२	१
	(ख) न्यूरो साइकियेट्री मे लेक्चरर	१	३	३	[illegible]
१८८	जी० एस० वी० एम० चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर के लिये—				
	(क) अनाटमी में लेक्चरर	४	५	३	३
	(ख) फिजियोलॉजी में रीडर	१	४	४	३
	(ग) फिजियोलॉजी में लेक्चरर	४	४	१	१
	(घ) पैथोलॉजी में लेक्चरर	१	२	२	२
	(ङ) रेडियोलॉजी में रीडर	१	३	३	१

७	८	९	१०
* २	२० सितम्बर, १९५७	डा० के० सी० दुबे, अधोक्षक, मानसिक अस्पताल, आगरा	जिस अभ्यर्थी का साक्षात्कार किया गया था, वह उपयुक्त नही पाया गया और स्थिति की सूचना दी गई।
३†		संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, डा० सी० वी० सिह, प्रधानाचार्य, जी० सी० वी० एम० चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर तथा डा० आई० पी० अग्रवाल, चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर	†आयोग ने सुझाव दिया कि चौथा पद पुर्नविज्ञापित किया जाय।
१		सचालक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, डा० सी० वी० सिह, प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर तथा डा० इंद्रजीत सिह, प्राध्यापक, फिजियोलॉजी, चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा	
१	२४, २५, २६, २७ व ३० दिसम्बर, १९५७	तदेव	आयोग ने सुझाव दिया कि शेष तीन पद पुर्नविज्ञापित किये जाय।
१		डा० सी० वी० सिह, प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर तथा डा० पी० एन० वाही, प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा	
१		डा० सी० वी० सिह०, प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर तथा डा० पी० के० हालदार, आगरा चिकित्सा महाविद्यालय	‡इस के अतिरिक्त एक अभ्यर्थी, जो यू० के० में था, के मामले पर उसकी अनुपस्थिति मे विचार किया गया।

१	२	३	४	५	६
	(च) रेडियोलॉजी में लेक्चरर	१	५	५	५
	(छ) अनस्थीसिया में लेक्चरर	१	५	५	५
	(ज) मेडिसिन में रीडर	१	१२	९	७
	(झ) सर्जरी में रीडर	१	७	६	४
	(ञ) कान, नाक और गला में रीडर	१	६	३	१

७	८	९	१०
२		डा० सी० बी० सिंह, प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर तथा डा० पी० के० हाल्दार, आगरा चिकित्सा महाविद्यालय	
२		डा० सी० बी० सिंह०, प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर तथा डा० एस० एन० चटर्जी, प्रेसीडेंसी अस्पताल, कलकत्ता	
२	२४, २५, २६, २७ और ३० सितम्बर, १९५७	संचालक चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, डा० सी० बी० सिंह, प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर तथा डा० एम० ए० हुई, मेडिसिन के प्रोफेसर तथा विश्वविद्यालय विभाग के अध्यक्ष, पटना चिकित्सा महाविद्यालय	**इसके अतिरिक्त, दो अभ्यर्थियों के मामलों पर उनकी अनुपस्थिति में विचार किया गया, क्योंकि वे लन्दन में थे।
...	...	कर्नल निराजकर तथा डा० सी० बी० सिंह, प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर	*इसके अतिरिक्त, एक अभ्यर्थी के मामले पर उसकी अनुपस्थिति मे विचार किया गया। आयोग ने सुझाव दिया कि पद पुर्नविज्ञापित किया जाय।
...	...	डा० सी० बी० सिंह, प्रधानाचार्य, कानपुर, तथा डा० पी० सी० कक्कड, कान, नाक, गला के रोगों के विशेषज्ञ, कानपुर	कोई उपयुक्त नहीं था। आयोग ने सुझाव दिया कि पद पुर्नविज्ञापित किया जाय।

१	२	३	४	५	६
(ट)	प्राध्यापक आप्थैल्मोलॉजी	१	६	४	४
(ठ)	पैथोलॉजी में रीडर	१	२	२	१*
(ड)	फार्माकोलॉजी में लेक्चरर	१	३	२	२
(ढ)	फिजियोथिरैपी मे लेक्चरर	१	१	१	१
(ण)	आप्थैल्मोलॉजी में लेक्चरर	१	१६	७	६
(त)	गाइनेकोलॉजी तथा आब्सटेट्रिक्स में लेक्चरर	१	५	४	२*

७	८	९	१०
		सचालक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवायें, डा० सी० बी० सिह, प्रधानाचार्य, कानपुर चिकित्सा महाविद्यालय तथा डा० मोहन लाल, गांधी नेत्र अस्पताल, अलीगढ़	कोई उपयुक्त नहीं था। स्थिति की सूचना दी गई।
२		डा० सी० बी० सिंह, प्रधानाचार्य, कानपुर तथा डा० पी० एन० वाही, प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा	*दूसरा अभ्यर्थी यू० के० में था। उसकी अनुपस्थिति मे विचार किया गया।
२		सचालक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवायें तथा डा० सी० बी० सिह, प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर	
१	२४, २५, २६, २७, और ३० सितम्बर, १९५७	संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, डा० सी० बी० सिंह तथा डा० बी० एन० सिनहा, प्राध्यापक तथा आर्थोपेईडिक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष, चिकित्सा महाविद्यालय, लखनऊ	
२		संचालक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवायें तथा डा० मोहन लाल, गाधी नेत्र अस्पताल, अलीगढ़	
१		संचालक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, उत्तर प्रदेश तथा डा० सी० बी० सिह, प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर	*एक अभ्यर्थी के मामले पर, जो लन्दन में था, उसकी अनुपस्थिति में विचार किया गया।

१	२	३	४	५	६
	(थ) बायोकेमेस्ट्री में रीडर	१	५	२	२
	(द) कान, नाक और गला में लेक्चरर	१	४	३	३
	(ध) डेन्टिस्ट्री में लेक्चरर, तथा	१	१४	७	४*
	(न) चर्म तथा विनीरियल रोगों में लेक्चरर	१	४	१	१
१८९	अधीनस्थ सहकारिता सेवा, ग्रूप १ में निरीक्षक	३४	१,२७९	२०६	१५७
१९०	सहायता तथा पुनर्वास योजना में पूछताछ निरीक्षक	२	[illegible]४	२१	१४
१९१	लोन्स ऐन्ड ग्रान्ट्स स्कीम में निरीक्षक	२	५८	१५	१३
१९२	विद्युत् विभाग में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ विद्युत् एवं यान्त्रिक अभियन्त्रण सेवा में पद	२०१	१४८	१२६	१२१

७	८	९	१०
१		संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, डा० सी० बी० सिह तथा डा० एस० घोष, प्राध्यापक तथा रसायन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष, प्रयाग विश्वविद्यालय	
२	२४, २५, २६, २७ और ३० सितम्बर, १९५७	डा० सी० बी० सिह तथा डा० पी० सी० कक्कड़, नाक कान, गला के रोगो के विशेषज्ञ, कानपुर	
१		संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, डा० सी० बी० सिंह तथा डा० डी० एन० चावला, प्रधानाचार्य, कालेज आफ डेन्टिस्ट्री, लखनऊ	एक और अभ्यर्थी के मामले पर उसकी अनुपस्थिति में विचार किया गया।
...		संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, डा० सी० बी० सिंह तथा डा० टी० बहादुर, रिटायर्ड प्रोफेसर, लखनऊ चिकित्सा महाविद्यालय	अनुपयुक्त। आयोग ने सुझाव दिया कि पद पुनर्विज्ञापित किया जाय।
३४	८, ९, १०, ११, १४, १५, १६, और १७ अक्तूबर, १९५७।		
४	८ अक्तूबर, १९५७	श्री पी० के० कौल, आई० ए० एस०, सयुक्त उद्योग सचालक, उत्तर प्रदेश (एस० एस० आई०), सहायता के लिये आने को थे, पर आये नहीं	
४	९ अक्तूबर, १९५७	तदेव	
१२१	१०, १४, १५, १६, और १७ अक्तूबर, १९५७।	श्री आर० सी० पन्त, अधीक्षण अभियन्ता, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सर्किल, रुडकी	

१	२	३	४	५	६
१९३	नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ब्लाक्स, उत्तर प्रदेश में खंड विकास अधिकारी	३५	१,७६६	४३७	३४५
१९४	एच० बी० टी० आई०, कानपुर में—				
	(क) केमिकल टेक्नॉलॉजी में लेक्चरर	१	५	४	२
	(ख) आयल मिल सुपरवाइजर, तथा	१	३	३	२
	(ग) सीनियर ड्राफ्ट्समैन (वर्कशाप)	१	२	१	१
१९५	पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश मे राजकीय डेरी फार्म, चक, गजरिया, लखनऊ में सहायक डेरी प्रबंधक	१	१०	७	७
१९६	उत्तर प्रदेश उद्योग सचालकालय के अधीन मार्केटिंग, वीविंग और साइजिंग रिसर्च सेन्टर रामपुर के लिये—				
	(क) अनुसंधान सहायक, तथा	१	२	१	...
	(ख) अनुसंधान सहायक (साइजिंग)	१	१	१	१
१९७	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (ग्रेजुएट ग्रेड) पुरुष शाखा में :—				
	(क) कृषि अध्यापक, तथा	५	१८	१५	१४
	(ख) हार्टीकल्चर अध्यापक	५	११	८	७

७	८	९	१०
६२	३० व ३१ अक्तूबर तथा १, ४, ५, ६, ८, ११, १२, १३, १८, १९ और २० नवम्बर, १९५७।	श्री ए० वी० भटनागर, आई० ए० एस०, उपविकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, सदर्न जोन, इलाहाबाद	
१ १ १	४ नवम्बर, १९५७	डा० एच० त्रिवेदी, प्रधानाचार्य, एच० बी० टी० आई०, कानपुर	
२	तदेव	श्री हर किशन लाल, बी० एस-सी०, एम० आर० सी० वी० एस० उप-संचालक, पशुपालन (मुख्यालय), उत्तर प्रदेश	
...	तदेव	श्री ए० पी० दीक्षित, उप-संचालक उद्योग (हैन्डलूम), उत्तर प्रदेश	आयोग ने सुझाव दिया कि निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय और आयोग के परामर्श से उसको नियुक्त किया जाय।
१	तदेव	तदेव	योजना समाप्त कर दी गई। इसलिये आयोग की सिफारिश को कार्यरूप में परिणत न किया जा सका।
१२ ७	५ नवम्बर, १९५७		(क) के लिये अधिक अभ्यर्थी संस्तुत किये गये क्योंकि कुछ अभ्यर्थी (ख) के लिये भी संस्तुत

१	२	३	४	५	६
१९८	(क) भारत-तिब्बत-सीमा क्षेत्र ऊन योजना के अन्तर्गत उत्पादन अधीक्षक	७	३३	३०	२४
	उत्तर प्रदेश उद्योग सचालकालय की पहाडी ऊन योजना के अन्तर्गत :--				
	(ख) सहायक उत्पादन अधीक्षक	१७	३०	२९	२५
	(ग) प्राविधिक सहायक, तथा	१	२	१	१
	(घ) उत्पादन अधीक्षक	१	८	८	५
१९९	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा मे संस्कृत सहायक अध्यापक	४	५६	३६	३२
२००	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (ग्रेजुएट ग्रेड) पुरुष शाखा में संस्कृत अध्यापक	७	७८	४९	४३
२०१	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, निम्न वेतनक्रम में संख्याविद्	२	२१	१७	१४
२०२	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, क्लास दो के सेक्शन 'सी' में असिस्टेन्ट क्राप न्यूट्रीशनिस्ट	१	११	६	५
२०३	कानपुर विद्युत् प्रदाय प्रशासन, कानपुर मे उप-अधिशासी अधिकारी	१	६	६	३
२०४	कानपुर विद्युत् प्रदाय प्रशासन कानपुर में प्राविधिक सहायक	१	५	३	२
२०५	साइन्टिफिक टेबुल ब्लोइग, फिरोजाबाद, आगरा, के लिये इक गैस प्लान्ट तथा प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र स्थापित करने की योजना के अन्तर्गत प्रबन्धक (प्राविधिक)	१	१	१	१
२०६	प्लानिग रिसर्च ऐन्ड ऐक्शन इन्स्टीट्यट,	१	६	४	४

७	८	९	१०
१२	६ व ८ नवम्बर, १९५७	कु० कुसुमलता मित्तल, आई० ए० एस०	
१६	८ व ११ नवम्बर, १९५७	संयुक्त उद्योग सचालक (कम्युनिटी प्रोजेक्ट), उ० प्र०, कानपुर	
१	११ नवम्बर, १९५७		
२	११ नवम्बर, १९५७		
७	१२ से १६ नवम्बर, १९५७	डा० एस० एन० शास्त्री, संस्कृत प्राध्यापक, के० एन० राजकीय महाविद्यालय, ज्ञानपुर (वाराणसी) (१६ नवम्बर, १९५७ को छोडकर शेष सभी दिन आये)	
१४	तदेव	तदेव	
४	२१ नवम्बर, १९५७	डा० कुवर किशन, प्रधान संख्याविद, उ० प्र० शासन, कृषि विभाग	
१	२२ नवम्बर, १९५७	डा० ए० के० मित्र, एकानामिक बोटैनिस्ट टु गवर्नमेंट, उ० प्र०	योजना मितव्ययता के दृष्टिकोण से बाद में रद्द कर दी गई और आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं की गई।
२	तदेव	श्री एस० एस० अरोरा, उप-प्रधान प्रबन्धक, विद्युत् प्रदाय प्रशासन, कानपुर	
१	तदेव	तदेव	
१	२५ नवम्बर, १९५७	श्री पी० एन० अग्रवाल, संयुक्त उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश	
२	तदेव	डा० रामदास, संचालक, प्लानिंग रिसर्च ऐन्ड ऐक्शन	

१	२	३	४	५	६
२०७	उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा, क्लास १, में पाटरी विकास अधिकारी	१	३	३	३
२०८	गवर्नमेंट लेदर वर्किंग स्कूल, कानपुर में :—				
	(क) प्रधानाचार्य, तथा	१	९	९	६
	(ख) उप-प्रधानाचार्य	१	६	५	४
२०९	उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा, क्लास एक में:—				
	(क) केमिकल टेक्नोलाजी के अध्यक्ष	१	५	५	५
	(ख) आयल टेक्नोलाजी सेक्शन के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा, क्लास दो, में एच० बी० टी० आई० कानपुर के लिये	१	१०	९	८
	(ग) केमिकल टेक्नोलाजी के सहायक प्राध्यापक	१	२	२	२
	(घ) अप्लाइड माइक्रोबायोलाजी के सहायक प्राध्यापक, तथा	१	२	२	२
	(ङ) रिसर्च केमिस्ट (केमिकल टेक्नोलाजी सेक्शन)	१	१	१	१
२१०	एच० बी० टी० आई० कानपुर मे केमिकल इंजीनियरिंग सेक्शन के अध्यक्ष	१	५	५	३
२११	राजकीय रजा डिग्री महाविद्यालय, रामपुर में विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में जूनियर लेक्चरर (उर्दू)	१	१८	१०	७
२१२	उत्तर प्रदेश फलोपयोग संचालकालय के अधीन राजकीय फल संरक्षण (प्रिजर्वेशन) तथा कैनिंग संस्था, लखनऊ में	१	७	७	६

७	८	९	१०
†	२५ नवम्बर, १९५७	श्री पी० एन० अग्रवाल, संयुक्त उद्योग संचालक, कानपुर	†आयोग ने सुझाव दिया कि अनुभव की अवधि तथा न्यूनतम आयु-सीमा को घटाकर पद को पुनर्विज्ञापित किया जाय, ताकि पात्रता क्षेत्र बढ़ जाय, किन्तु योजना के उचित कार्यान्वयन के हित में शासन ने अनुभव को घटाना स्वीकार नहीं किया और फिलहाल चुनाव करने के प्रश्न को टाल दिया।
२ २	२६ नवम्बर, १९५७	डा० डी० आर० ढिंगरा, संयुक्त उद्योग संचालक (शिक्षा), उ० प्र०	
१	२७ नवम्बर, १९५७	डा० गोपाल त्रिपाठी, अध्यक्ष, केमिकल इंजीनियरिंग सेक्शन, वाराणसी हिन्दू विश्व-विद्यालय, वाराणसी	(क) के लिये अभ्यर्थी दूसरे पद पर नियुक्त कर दिया गया था। अतः पद पुनर्विज्ञापित किया गया।
१	२७ नवम्बर, १९५७ तथा २४ अप्रैल, १९५८		(ग) व (घ) के बारे में स्थिति की सूचना दी गई।
. . १	२७ नवम्बर, १९५७ ..		
१	२८ नवम्बर, १९५७	तदेव	
२	तदेव		
२	२९ नवम्बर, १९५७	श्री वी० साने, संचालक, फलोपयोग, उ० प्र०	

१	२	३	४	५	६
२१३	आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश मे मद्य निषेध तथा समाजोत्थान अधिकारी	१	३९	९	७
२१४	पशु–चिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा में उत्तर प्रदेश पशु–चिकित्सा सेवा, क्लास दो, में मटीरियामेडिका के सहायक प्राध्यापक	१	१	१	१
२१५	पशु–चिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन महा–विद्यालय, मथुरा एवं जिला डेरी प्रदर्शन प्रक्षेत्र (फार्म) की सम्मिलित संस्था में प्रक्षेत्र प्रबन्धक एवं डेरीइंग तथा फार्म मैनेजमेन्ट में व्याखाता	१	१२	८	८
२१६	एच० बी० टी० आई० कानपुर मे वर्कशाप अधीक्षक	१	१३	८	२
२१७	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अधीन नार्दर्न रीजनल स्कूल आफ प्रिंटिग टेक्नालाजी, इलाहाबाद के लिये :—				
	(क) हैन्ड सेटिंग, मोनो व लीनो में लेक्चरर	१	८	५	३
	(ख) लेटर प्रेस सिलिंडर व लेटर प्रेस प्लैटेम में लेक्चरर	१	७	६	६
	(ग) बाइडिंग व पैकेजिंग में लेक्चरर	१	६	३	३
	(घ) भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा गणित में व्याख्याता	१	१३	७	७
	(ङ) मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी में व्याख्याता	१	२	२	१
	(च) हैन्ड सेटिंग मोनो एन्ड लीनो मे डिमान्स्ट्रेटर	१	९	९	९
	(छ) लेटर प्रेस सिलिंडर व लेटर प्रेस प्लैटेम में डिमांस्ट्रेटर	१	७	४	४
	(ज) बाइंडिग ऐन्ड पैकेजिग में डिमान्स्ट्रेटर	१	३	३	३
	(झ) भौतिल शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा गणित में डिमान्स्ट्रेटर	१	९	९	०

७	८	९	१०
३	२९ नवम्बर, १९५७	श्री बी० पी० जोशी, आई० ए० एस०, आबकारी आयुक्त, उ० प्र०, इलाहाबाद	
१	२ दिसम्बर, १९५७	श्री सी० वी० जी० चौधरी, प्रधानाचार्य, पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा	
१	तदेव	तदेव	
१	तदेव	डा० एच० त्रिवेदी, प्रधानाचार्य, एच० बी० टी० आई०, कानपुर	
१ ३ * २	८, ९ व १० जनवरी, १९५८	श्री कृपा शंकर, उद्योग उप-संचालक (शिक्षा) तथा जे० डब्ल्यू० हाल्ज, उप-अधीक्षक मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, उ० प्र०, इलाहाबाद	*(ग) के लिये कोई उपयुक्त नहीं पाया गया । आयोग ने सुझाव दिया कि निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय और उसे आयोग के परामर्श से नियुक्त किया जाय ।
१ ३ २ † २			†कोई उपयुक्त नहीं पाया गया । आयोग ने सुझाव दिया कि निजी बातचीत के द्वारा कोई उपयुक्त अभ्यर्थी ढूंढा जाय और बाद में आयोग का परामर्श लेकर उसकी नियुक्ति की जाय ।

१	२	३	४	५	६
२१८	राजकीय केन्द्रीय टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर में :—				
	(क) भौतिक शास्त्र तथा गणित मे व्याख्याता	१	८	४	
	(ख) फर्स्ट डाइंग असिस्टेन्ट, तथा	१	७	४	
	(ग) असिस्टेन्ट केमिस्ट	१	१	१	
२१९	राजकीय लेदर वर्किंग स्कूल, कानपुर मे—				
	(क) मशीन क्लास इन्स्ट्रक्टर	१	३	३	
	(ख) टैनिग इन्स्ट्रक्टर	१	३	३	
२२०	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, क्लास २ के सेक्शन 'सी' में—				
	(क) अग्रोनामिस्ट	१	१६	७	
	(ख) स्वायल साइंटिस्ट	१	१४	८	
२२१	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय आगरा में अप्थैल्मोलाजी में व्याख्याता	१	११	१०	
२२२	उप-अधीक्षक, जी० सी० वी० एम० चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल,	१	९	९	

७	८	९	१०
१ † १	११ जनवरी, १९५८	डा० ई० डी० दारूवाला, प्रिंसिपल, राजकीय केन्द्रीय टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, कानपुर	†फर्स्ट डाइंग असिस्टेन्ट के पद के लिये आयोग ने सुझाव दिया कि निजी बात-चीत द्वारा एक उपयुक्त अभ्यर्थी को ढूंढा जाय और आयोग का परामर्श लेकर उसको नियुक्त किया जाय।
२	तदेव	श्री के० एल० म्योर, प्रिंसिपल राजकीय लेदर वर्किंग इन्स्टीट्यूट, कानपुर	
२	तदेव		
२	१५ जनवरी, १९५८	डा० ए० खान, उद्योग उप-संचालक, भूमि संरक्षण, लखनऊ	
२	तदेव		
२	१६ जनवरी, १९५८	संचालक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश	
२	१६ जनवरी, १९५८	डा० सी० बी० सिंह, प्रधानाचार्य, जी० सी० वी० एम० चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर	

१	२	३	४	५	६
२२३	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अधीन खेलकूद के सामानो के बनाने की योजना के अन्तर्गत :—				
	(क) अधीक्षक	१	५	४	३
	(ख) इन्स्ट्रक्टर तथा	१	४	३	२
	(ग) साइग मशीन मैन	१	२	२	१
२२४	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश कानपुर के कार्यालय में पत्रकार	१	३	३	३
२२५	ऐनीमल न्युट्रीशन सेक्शन भरारी, झांसी मे फार्म असिस्टेन्ट	१	२	२	कोई नहीं
२२६	सुधार अधिकारी	२	३६	१२	०
२२७	प्रोबेशन आफिसर	१३	३४०	१२८	१०८
२२८	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के स्टोर्स पर्चेज सेक्शन में नियोजन अधिकारी (स्टोर्स)	१	९	६	६
२२९	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय में इलेक्ट्रो-प्लेटिंग प्लान्ट, मुरादाबाद के लिये वर्कशाप अधीक्षक	१	४	३	

७	८	९	१०
*	१८ जनवरी, १९५८	श्री पी० बी० कुरुप, प्रधानाचार्य, राजकीय काष्ठ शिल्प विद्यालय, बरेली	*आयोग ने सुझाव दिया कि या तो वेतन–क्रम का पुनरीक्षण किया जाय या निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय और आयोग का परामर्श लेकर उसको नियुक्त किया जाय।
	तदेव	तदेव	
१	तदेव	तदेव	
१	तदेव	श्री बी० एस० सिंह, सूचना संचालक, उ० प्र०	
**	तदेव	डा० एस० पी० श्रीवास्तव, अनुसन्धान अधिकारी, ऐनीमल नुट्रीशन सेक्शन, भरारी, झांसी	**आयोग ने सुझाव दिया कि निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय और उसको आयोग का परामर्श लेकर नियुक्त किया जाय।
३	२० जनवरी, १९५८	डा० सी० पी० टंडन, प्रधान कारागार निरीक्षक, उत्तर प्रदेश	
२५	२१, २२, २३, २४, २७ और २८ जनवरी, १९५८	तदेव	
२	२९ जनवरी, १९५८	श्री पी० एन० अग्रवाल, संयुक्त उद्योग संचालक (स्टोर पर्चेज), उ० प्र०	
१	तदेव	तदेव	

१	२	३	४	५	६
२३०	उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा, क्लास दो, में सहा-यक उद्योग संचालक (शिक्षा)	१	२९	८	७
२३१	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अधीन खादी योजना मे :—				
	(क) सहायक उद्योग संचालक, तथा	१	१०	५	५
	(ख) मंडल उद्योग अधीक्षक	१	१५	९	७
२३२	उत्तर प्रदेश पशु-चिकित्सा सेवा, क्लास दो, मे :—				
	(क) सहायक संचालक, पशुपालन तथा	१	९	७	६
	(ख) पशुधन मार्केटिंग अधिकारी	१	३	३	२
२३३	उत्तर प्रदेश उद्योग संकालकालय के अधीन गुड विकास अधिकारी	१	१२	७	७
२३४	अफसर इन्चार्ज, रीजनल रिसर्च स्टेशन्स, अमरोख (झांसी) तथा मेरठ	२	२२	१७	१५
२३५	अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तर प्रदेश में ज्येष्ठ अर्थ संख्या अन्वेषक	९*	२३६	६५	४९
२३६	सहायक सचालक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवायें (परिवार नियोजन), उत्तर प्रदेश	१	३	३	२
	अधीक्षक, टी० बी० सैनेटोरियम, भुवाली, जिला नैनीताल	१	७	७	६

७	८	९	१०
२	२९ व ३० जनवरी, १९५८	श्री श्रीपत, आई० ए० एस०, उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश	
१	तदेव	तदेव	
२	तदेव	तदेव	
-	३१ जनवरी, १९५८	श्री एच० के० लाल, उप-संचालक, पशुपालन (मुख्यालय), उ० प्र०	* (क) के लिये ७ अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिये बुलाये गये थे, उनमें से ६ उपस्थित हुये और एक के मामले पर उसकी अनुपस्थिति में विचार किया गया।
१	तदेव		
२	३१ जनवरी, १९५८	श्री जे० एन० गुप्त, उप-संचालक, उद्योग विभाग, उ० प्र०, कानपुर	
४	३ फरवरी, १९५८	श्री राम सूरत सिह, कृषि संचालक, उ० प्र०	
१३	४,५,६ तथा २६ फरवरी, १९५८		*११ पदों के लिये विज्ञापन निकल जाने पर रिक्तियो की संख्या घटाकर ९ कर दी गई।
२	१० फरवरी, १९५८	डा० के० एम० लाल, संचालक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें, उ० प्र०	
१	तदेव	डा० के० एम० लाल, संचालक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवायें, उ० प्र० तथा डा० के० एन० गौड, प्रोफेसर आफ मेडिसिन, जी० सी० बी० एम० मेडिकल,	

१	२	३	४	५	६
२३८	प्लानिंग रिसर्च ऐन्ड एक्शन इन्स्टीट्यूट लखनऊ के लिये सीनियर असोशियेट टू स्पेशलिस्ट आन वीमेन वेलफेयर	१	१५	७	७
२३९	अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तर प्रदेश में अर्थ सख्यान्वेषक	६२*	२७६	२४२	१६०
२४०	अधीनस्थ सहकारिता सेवा के ग्रुप दो मे सहकारिता निरीक्षक	२००	१८८४	१,०७२	७३३
२४१	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में :--				
	(क) सहायक अध्यापक (संस्कृत)	१	१६	६	४
	(ख) सहायक अध्यापक (अर्थशास्त्र)	३	३३	१५	१३
२४२	ए० एन० झा ग्रामीण राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रुद्रपुर, नैनीताल में :--				
	(क) फार्म निरीक्षक ग्रूप १	१	११	८	८
	(ख) फार्म सहायक	१	१२	८	६
२४३	केमिकल एक्जामिनर, उत्तर प्रदेश शासन आगरा, की प्रयोगशाला के लिये केमिकल असिस्टेन्ट्स (निम्न वेतनक्रम)	२	१४	१२	६

७	८	९	१०
२	१० फरवरी, १९५८	डा० राम दास, संचालक, पी० आर० ए० आई०, उ० प्र०, लखनऊ	
७२	११, १२, १३, १७, १८, १९, २० और २४ से २८ फरवरी, १९५८	श्री डी० पी० आक्टेनिया, अर्थ एवं संख्या विभाग, उ० प्र० में प्रशिक्षण अधिकारी	*आरम्भ में केवल ४३ रिक्तियां थीं, किन्तु बाद में ६२ हो गई ।
२४०	११ से १४, १७ से २२, २४ से २८ फरवरी, १९५८ तथा १, २, ३ और १८ से २८ मार्च, १९५८	श्री एस० एन० तिवारी, उप-निबन्धक, सहकारी समितियां, उ० प्र० तथा श्री पी० दत्त, पी० सी० एस०, उपनिबन्धक, सहकारी समितियां, वाराणसी । पहले ने ११ फरवरी से ३ मार्च तक और दूसरे ने १८ से २८ मार्च तक आयोग की सहायता की	
१	२६ फरवरी, १९५८	श्री आर० एन० मिश्र, विशेष कार्याधिकारी, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी	
५	तदेव	डा० बैजनाथ जिग्रस, प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, ज्ञानपुर	
२ } २	२६ फरवरी, १९५८	श्री प्रभाकान्त शुक्ल, जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद	
२	२७ फरवरी, १९५८	डा० नरेन्द्रनाथ घटक, केमिकल एक्जामिनर, उ० प्र० शासन, आगरा	

१	२	३	४	५	६
२४४	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापिका (अंग्रेजी)	५	१७	१६	१४
२४५	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापिका (गृह विज्ञान)	३	१९	१५	१५
२४६	ग्रुप एम्प्लायमेन्ट स्कीम में सहायक कल्याण अधिकारी	१	१३	९	५
२४७	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापिका (जीव विज्ञान)	१	१५	८	६
२४८	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापिका (उर्दू)	१	५	५	५
२४९	राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ में इन्स्ट्रक्टर मोटर मेकैनिक्स	१	६	३	१

७	८	९	१०
६	२७ व २८ फरवरी तथा १४ मार्च, १९५८	श्रीमती पी० रस्तोगी, प्रधानाचार्या, राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद तथा कु० सी० फिलिप्स, क्षेत्रीय निरीक्षिका, बालिका विद्यालय, मेरठ (केवल २७ व २८ फरवरी को)	
५	२७ फरवरी, १९५८	श्रीमती रानी टंडन, प्रधानाचार्या, राजकीय महिला गृह विज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद तथा कु० सी० फिलिप्स क्षेत्रीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, मेरठ	
२	तदेव	श्री एस० एन० गांगुली, पी० सी० एस० अतिरिक्त उपसंचालक (श्रम) ग्रुप एम्प्लायमेंट स्कीम गोरखपुर	
३	तदेव	श्री बी० एस० सक्सेना, विशेष कार्याधिकारी, पुनः व्यवस्था विभाग, शिक्षा संचालक कार्यालय, उ० प्र०, इलाहाबाद तथा कु० सी० फिलिप्स, क्षेत्रीय बालिका विद्यालय निरीक्षका, मेरठ	
२	२८ फरवरी, १९५८	श्री शब्बीर अहमद खां गोरी, निरीक्षक, अरबी मदरसा, उ० प्र० तथा कु० सी० फिलिप्स, क्षेत्रीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, मेरठ	
...	३ मार्च, १९५८	श्री आर० वी० रामाराव, प्रधानाचार्य, जी० टी० आई०, लखनऊ	आयोग ने सुझाव दिया कि निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त किया जाय और आयोग के परामर्श से उसे नियुक्त किया जाय।

१	२	३	४	५	६
२५०	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय की इन्डस्ट्रियल कोआपरेशन स्कीम के अन्तर्गत इन्डस्ट्रियल इन्सपेक्टर	५	३९	२३	१९
२५१	हाथ का बना कागज उत्पादन केन्द्र, काल्पी (जालौन) के लिये मैकेनिक व ओवर-सियर	१	४	३	...
२५२	सेन्ट्रल ट्रेनिंग सेन्टर (रूरल पालीटेक्निक), अकबरपुर-फैजाबाद के लिये स्मिथी में व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिये क्राफ्ट्स-मैन इन्स्ट्रक्टर	१	१	१	१
२५३	जी० टी० आई० कानपुर में ब्रास वेर (शप मेकिंग) में सीनियर क्राफ्ट्समैन	१	२	२	२
२५४	जी० टी० आई० कानपुर में ब्रास वेर (रिपाउस) में जूनियर क्राफ्ट्समैन	१	२	१	१
२५५	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर के कार्यालय में रिटर्न असिस्टेन्ट	१	२४	११	८
२५६	अधीक्षक, ट्युशनल क्लासेज स्कीम	१	३१	६	४
२५७	उत्तर प्रदेश श्रम विभाग में ज्येष्ठ अन्वेषक	२	२४	१३	११
२५८	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापिका (मनोविज्ञान)	३	४६	२०	१७

७	८	९	१०
८	३ मार्च, १९५८	श्री अयोध्या प्रसाद दीक्षित, उप सचालक, उद्योग, उ० प्र० (हैन्डलूम स्कीम), कानपुर	
...	तदेव	श्री एम० वी० रामाराव, प्रधानाचार्य, जी० टी० आई०, लखनऊ	आयोग ने सुझाव दिया कि निजी बातचीत द्वारा उप-युक्त अभ्यर्थी प्राप्त किया जाय और उनके परामर्श से नियुक्त किया जाय।
.	तदेव	तदेव	केन्द्र तोड दिया गया और संस्तुत अभ्यर्थी को भविष्य में होने वाली रिक्तियों के लिये प्रतीक्षण-सूची (वेटिंग लिस्ट) में रक्खा गया।
१	तदेव	तदेव	
१	तदेव	तदेव	
२*	३ मार्च, १९५८	श्री शाह अजीज अहमद, आई० ए० एस०, उप श्रम-आयुक्त, उ० प्र०	*प्रथम अभ्यर्थी न पदभार ग्रहण नही किया। तब बाद में दूसरा अभ्यर्थी संस्तुत किया गया।
१	४ मार्च, १९५८	श्री के० एच० पारीख, ग्लास टेक्नोलाजिस्ट उत्तर प्रदेश शासन, कानपुर	
२	तदेव	श्री हर स्वरूप शर्मा, प्रति-श्रमायुक्त, उ० प्र०	
६	१० मार्च, १९५८	डा० एस० एन० मेहरोत्रा, संचालक, मनोविज्ञानशाला, उ० प्र० तथा कु० सी० फिलिप्स, क्षेत्रीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, मेरठ	

१	२	३	४	५	६
२५९	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा मे सहायक अध्यापिका (भौतिक शास्त्र)	१	१	१	
२६०	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापिका (रसायन शास्त्र)	१	७	५	
२६१	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक मनोवैज्ञानिक, मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश	३	३८	२५	
२६२	नान फेरस मेटल स्कीम, मुरादाबाद मे केमिस्ट	१	१	१	
२६३	उत्तर प्रदेश फलोपयोग संचालकालय, रानीखेत के अधीन राजकीय फलसंरक्षण तथा केनिंग संस्था, लखनऊ में—				
	(क) चीफ इन्स्ट्रक्टर	१	६	५	
	(ख) डिमान्स्ट्रेटर इंचार्ज	१	८	५	
	(ग) डिमान्स्ट्रेटर	१	२	२	
२६४	प्रबन्धक, राजकीय ताला विकास फैक्टरी, अलीगढ	१	१	१	

७	८	९	१०
१	१० मार्च, १९५८	श्री सी० एन० हंगल, प्रधानाचार्य, राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महा-विद्यालय, लखनऊ तथा कु० सी० फिलिप्स, क्षेत्रीय बालिका विद्यालय निरी-क्षिका, मेरठ	..
२	तदेव	श्री के० एन० मालवीय, विशेषाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा कार्यालय, शिक्षा संचालक, उ० प्र०, इलाहाबाद तथा कु० सी० फिलिप्स, क्षेत्रीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, मेरठ	.
८	११ मार्च, १९५८	डा० सी० एन० मेहरोत्रा, संचालक, मनोविज्ञान-शाला, उ० प्र०, इलाहाबाद	संस्तुत अभ्यर्थियो में से तीन पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये भी संस्तुत किये जा चुके थे, अतः और अभ्यर्थियो को संस्तुत किया गया।
..	१२ मार्च, १९५८	श्री ए० आर० कपूर, विकास अधिकारी (एस० एस० आई०) कानपुर	†अनुपयुक्त। आयोग ने निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने तथा उनके परामर्श से उसको नियुक्त करने का सुझाव दिया।
२ २ १	तदेव	श्री वी० साने, संचालक, फलोपयोग, उ० प्र०, रानीखेत	
..	तदेव	श्री ए० आर० कपूर, विकास अधिकारी, लघुमापउद्योग, कानपुर	*अनुपयुक्त। आयोग ने निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने तथा उनके परामर्श से उसको नियुक्त करने का सुझाव दिया।

१	२	३	४	५	६
२६५	हेड मिस्त्री, राजकीय ताला विकास फैक्ट्री, अलीगढ़	१	४	४	४
२६६	उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में सहायक कृषि अभियन्ता	५	७२	३२	२८
२६७	उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में साइन्टिफिक असिस्टेन्ट	१३	२५	२४	१९
२६८	(क) पाटरी में सीनियर क्राफ्ट्समैन	१	४	३	३
	(ख) पाटरी में जूनियर क्राफ्ट्समैन तथा	१	२	२	१
	(ग) (१) सीनियर इन्स्ट्रक्टर (बैंगिल इंडस्ट्री)	१	१	१	१
	(२) सीनियर इन्स्ट्रक्टर (जनरल)	१	२	२	२
२६९	खादी विकास योजना में उत्पादन अधीक्षक (खादी)	२	७	७	६
२७०	क्वालिटी मार्किंग स्कीम में अधीक्षक (ऊनी दरियां), मिर्जापुर	१	७	६	३
२७१	गवर्नमेंट कालेज आफ आर्ट्स ऐन्ड क्राफ्ट्स, लखनऊ में—				
	(क) आर्टिस्ट डिजाइनर (टेक्सटायल वीविंग)	१	११	६	५
	(ख) आर्टिस्ट डिजाइनर (ग्लासवेर) तथा	१	३	३	२
	(ग) आर्टिस्ट डिजाइनर (पाटरी)	१	५	५	५

७	८	९	१०
२	१२ मार्च, १९५८	श्री ए० आर० कपूर, विकास अधिकारी, लघुमान उद्योग, कानपुर	..
७	१३, १४ मार्च, १९५८	श्री बी० एस० विष्ट, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ० प्र०	
१४**	१३, १४ व २८ मार्च, १९५८	श्री आर० एस० चतुर्वेदी, अधीक्षण अभियन्ता, बुन्देलखंड विकास वृत्त, आई० डब्ल्यू०, इलाहाबाद	**इनमें से तीन आयोग द्वारा दूसरे पद के लिये चुने गये अभ्यर्थियों में से संस्तुत किये गये ।
१ १ २*	१४ मार्च, १९५८	श्री पी० एन० अग्रवाल, संयुक्त उद्योग संचालक (स्टोर्स), कानपुर	*(ग) (१) के लिये आयोग ने निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने तथा उनके परामर्श से उसको नियुक्त करने का सुझाव दिया । पर कडा उद्योग समाप्त हो जाने के कारण नियुक्ति या निजी बातचीत का प्रश्न ही नहीं उठा ।
३	१७ मार्च, १९५८	श्री जे० एन० गुप्त, उप उद्योग संचालक (वाणिज्य), कानपुर	...
२	तदेव	श्री पी० एन० कौल, संयुक्त उद्योग, संचालक (एस० एस० आई०), कानपुर	..
१ १ –*	१९ मार्च, १९५८ तदेव तदेव	श्री एस० आर० खास्तगीर, प्रधानाचार्य, गवर्नमेंट कालेज आफ आर्ट्स ऐन्ड क्राफ्ट्स, लखनऊ	*कोई उपयुक्त नहीं था । स्थिति की सूचना दी गई और सुझाव दिया गया कि कुछ समय बाद पद पुनर्विज्ञापित किया जाय ।

१	२	३	४	५	६
२७२	जिला उद्योग अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय मे उद्योग अधीक्षक	१	२३	८	७
२७३	ट्यूशनल क्लासेज स्कीम मे प्राविधिक सहायक (मूज की टोकरी)	१	४	४	३
२७४	बढईगीरी आदि में व्यावहारिक शिक्षा देने के लिये क्राफ्ट्समैन इन्स्ट्रक्टर	१	४	४	४
२७५	खिलौना विकास योजना, बरेली मे कार्विंग ऐन्ड इनले वर्ग इन्स्ट्रक्टर	१	२	२	२
२७६	जूनियर क्राफ्ट्समैन, काष्ठ शिल्प (उड टर्नर तथा उड कार्वर)	१	२	२	१
२७७	अधीक्षक, क्राफ्ट्समैन (सींग उद्योग)	१	१	१	१
२७८	अधीक्षक, क्राफ्ट्समैन (लैकर उद्योग)	१	१	१	१
२७९	इन्स्ट्रक्टर (काठ के खिलौनो का उद्योग)	१	४	४	२
२८०	सीनियर इन्स्ट्रक्टर (बेंत तथा बास उद्योग)	१	२	२	१
२८१	सूचना संचालक, उत्तर प्रदश के अधीन संगीत तथा नाटक अधिकारी	१	२३	९	६

७	८	९	१०
२	१९ मार्च, १९५८	कु० के० एल० मित्तल, आई० ए० एस०, संयुक्त उद्योग संचालक (सी० पी०), कानपुर	चूंकि पद आस्थगित कर दिया गया, इसलिये कोई नियुक्ति नहीं की गई ।
२	तदेव	तदेव	...
२	२० मार्च, १९५८	श्री पी० बी० कुरुप, प्रधानाचार्य, राजकीय काष्ठशिल्प विद्यालय, बरेली	पद तोड़ दिया गया और संस्तुत अभ्यर्थी को आयोग के परामर्श से दूसरे पद पर नियुक्त कर दिया गया ।
१	तदेव	तदेव	..
१	तदेव	तदेव	...
१	तदेव	तदेव	पद वर्गोन्नत कर दिया गया और संस्तुत अभ्यर्थी नियुक्त नहीं किया गया। आयोग ने पद को पुनः विज्ञापित करने का सुझाव दिया और एक दूसरे अभ्यर्थी को नियुक्त करने के उद्योग संचालक, उ० प्र० के सुझाव को स्वीकार नही किया ।
१	तदेव	तदेव	...
१	तदेव	तदेव	...
१	तदेव	तदेव	..
२	तदेव	श्री बी० एस० सिह, सूचना संचालक, उ० प्र०, श्रीमती बी० रैना पत्नी श्री जे० एम० एन० रैना, आई० ए० एस०, जिलाधीश, इलाहाबाद तथा श्री ए० सी० बनर्जी, ए० एच० व्हीलर एन्ड कं० प्राइवेट लिमिटेड, इलाहा-	.

१	२	३	४	५	६
२८२	गवर्नमेंट लेदर वर्किंग स्कूल, कानपुर में—				
	(क) अध्यक्ष, लेदर वर्किंग सेक्शन, तथा	१	१५	..	..
	(ख) अध्यक्ष, टैनिंग सेक्शन	१	७	४	३
२८३	उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा, क्लास दो में अफसर इंचार्ज, स्टाकमैन ट्रेनिंग क्लास, पशु लोक, जिला देहरादून	१	१६	११	८
२८४	वाराणसी, मेरठ तथा गोरखपुर के जिला अस्पतालों से सम्बद्ध की जाने वाली प्रयोगशालाओ के लिये पी० एम० एस० प्रथम के संवर्ग मे पैथोलाजिस्ट	३	१०	४	*
२८५	उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा, क्लास दो में उप-प्रधानाचार्य, गवर्नमेंट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ	१	९	७	४
२८६	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, क्लास प्रथम के सेक्शन 'सी' में प्रधानाचार्य, कृषि महाविद्यालय, कानपुर	१	२१	२०	१८

	८	९	१०
	२४ मार्च, १९५८	श्री आर० के० अग्रवाल, चर्म विकास अधिकारी, उ० प्र० शासन	*कोई पात्र नहीं था। आयोग ने (ख) के लिये साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों में से २ को संस्तुत किया और कहा कि ये दोनों में किसी भी पद पर नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त हैं। उन्होंने यह भी संस्तुत किया कि प्रथम अभ्यर्थी को दोनों में से किसी एक पद का कार्य-भार ग्रहण करने की छूट दे दी जाय तथा दूसरे पद पर द्वितीय अभ्यर्थी को नियुक्त किया जाय।
२	२४ मार्च, १९५८	श्री पी० जी० पान्डे, संचालक, पशुपालन, उ० प्र०	
१	२५ मार्च, १९५८	डा० बी० के० त्यागी, रीडर इन पैथोलाजी, कानपुर चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर	*एक अभ्यर्थी विदेश में था। आयोग ने उसकी अनुपस्थिति में उसके मामले पर विचार किया और उसको नियुक्ति के लिये संस्तुत किया। आयोग ने अर्हताओं में कुछ परिवर्तन करने का भी सुझाव दिया, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि निर्धारित अर्हताओं वाले अभ्यर्थियों का मिलना कठिन है।
१	नदेव	श्री एम० बट, आई० ए० एस०, अतिरिक्त उद्योग संचालक, उ० प्र०, कानपुर	
१	२६ व २७ मार्च, १९५८	श्री ए० एन० झा, आई० सी० एस०, उपकुलपति, वाराणसी संस्कृत विश्व-विद्यालय, वाराणसी तथा	

१	२	३	४	५	६
२८७	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में रिहन्द बांध संगठन में सहायक जिओलाजिस्ट	१	६	६	५
२८८	ब्वायलरों और फैक्टरियों के निरीक्षकों की सेवा, उत्तर प्रदेश में ब्वायलरों के निरीक्षक क्लास दो	४	९	७	६
२८९	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, ग्रेड १ (राजपत्रित) में चिकित्सा अधिकारी	४८	१	*	
२९०	उत्तर प्रदेश राज्य वेधशाला, नैनीताल में सहायक एस्ट्रोनामर	१	२	**	।

७	८	९	१०
..	२८ मार्च, १९५८	श्री आर० एस० चतुर्वेदी, अधीक्षक अभियन्ता, बुन्देलखंड विकास वृत्त, इलाहाबाद	कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया गया।
४	तदेव	श्री आर० पी० सिंह, चीफ इन्स्पेक्टर आफ ब्यायलर्स उ० प्र०, कानपुर	चौथे संस्तुत अभ्यर्थी को प्रथम श्रेणी के प्रमाण-पत्र को रखने की शर्त से मुक्त करने के लिये भी संस्तुत किया गया था, क्योंकि उसके पास केवल द्वितीय श्रेणी का प्रमाण-पत्र था। शासन ने सूचित किया कि ऐसा शिथिलन नियमानुसार नहीं किया जा सकता था, किन्तु आयोग ने परामर्श दिया कि शासन वैसा कर सकते हैं। मामला विचाराधीन है।
१	..	.	*केवल एक अभ्यर्थी ने पद के लिये आवेदन-पत्र भेजा था। उसे बिना साक्षात्कार के संस्तुत किया गया। आयोग ने सुझाव दिया कि इन पदों के लिये अभ्यर्थियों को आकर्षित करने के हेतु वेतनक्रम बढ़ाना चाहिये।
१	..		**जिन दो अभ्यर्थियों ने आवेदन-पत्र भेजे थे, उनमें से एक (पद का स्थानापन्न पदधारी) वाह्यत: उपयुक्त पाया गया। आयोग ने उसके आवेदन-पत्र तथा उसकी चरित्रावली को देखा और बिना साक्षात्कार किये ही उसको नियुक्ति के लिये संस्तुत कर दिया।

१	२	३	४	५	६
२९१	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय की खुर्जा पाटरी स्कीम के अन्तर्गत--				
	(क) माडेलर तथा डिजाईनर, और	१	२	..	..
	(ख) डिकोरेशन आर्टिस्ट	१	३	..	..
२९२	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के पिछड़े हुये तथा अविकसित क्षेत्रों की योजना के अन्तर्गत ट्रेड टेस्टर (स्मिथी)	१	३	..	..
२९३	खेल-कूद-वस्तु-उद्योग, मेरठ की योजना में चार्जमैन	२	३	..	..
२९४	खेल-कूद-वस्तु-उद्योग की योजना में आप-रेटर्स (सा मिल्स)	२	२	..	..
२९५	प्राविधिक सहायक (ब्रासवेर)	१	१	..	..
२९६	राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ में इंस्ट्रक्टर ड्राइंग (मैकेनिकल)	१	१	..	..
२९७	राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ में इंस्ट्रक्टर (मशीन शाप)	१	१	..	..

७	८	९	१०
..	..	..	सभी अभ्यर्थी अपात्र थे। अतः आयोग ने सबको अस्वीकृत कर दिया और निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों को प्राप्त करने तथा आयोग के परामर्श से उनको नियुक्त करने का सुझाव दिया।
..	..	..	अपात्र। आयोग ने निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने तथा उनके परामर्श से उसको नियुक्त करने का सुझाव दिया।
..	..	..	तदेव
..	..	..	तदेव
..	.	..	अपात्र। आयोग ने पद के पुर्नविज्ञापित होने के पहले उसके लिये आवश्यक अर्हताओं के सम्बन्ध मे कुछ सुझाव दिये।
..	.	..	सभी अभ्यर्थी अपात्र थे। आयोग ने निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों को प्राप्त करने तथा आयोग के परामर्श से उनको नियुक्त करने का परामर्श दिया।
..	.	..	
..	..	..	

१	२	३	४	५	६
२९९	राजकीय प्राविधिक संस्था, लखनऊ में व्याख्याता (गणित)	१	२	..	..
३००	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अधीन मार्केटिंग, वीविंग तथा साईजिंग अनुसन्धान केन्द्र, रामपुर के लिये डाइंग असिस्टेन्ट	१	१	..	..
३०१	शिक्षा प्रसार कार्यालय में केन्द्रीय फिल्म पुस्तकालय के लिये पुस्तकाध्यक्ष	१	१	..	..
३०२	श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश में ओवरसियर	५	५	.	..
३०३	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के सिंचाई अनुसन्धान संगठन में वर्कशाप सुपरवाइजर-तथा-स्टोरकीपर	१	१	.	.
३०४	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अधीन हैन्डीक्राफ्ट्स योजना में टेक्सटाइल वीविंग में सीनियर क्राफ्ट्समैन	१	४		..
३०५	(क) प्रधानाचार्य, राजकीय अन्धो का विद्यालय, गोरखपुर	१	५	..	..
	(ख) ३ प्रधानाचार्य, राजकीय अन्धो का विद्यालय, लखनऊ	१	६	.	.
	(ग) प्रधानाचार्य, मूक-बधिर विद्यालय, आगरा	१	४	.	..
	(घ) अध्यापक, राजकीय अन्धों का विद्यालय, गोरखपुर	१	४	..	..
	(ङ) अध्यापक, राजकीय अन्धो का विद्यालय, लखनऊ	१	६	..	..
	(च) अध्यापक, मूक-बधिर विद्यालय,	१	५	..	.

७	८	९	१०
..	..	..	उद्योग संचालक ने एक अभ्यर्थी को नियुक्त करने का सुझाव दिया और आयोग ने उसको स्वीकार कर लिया।
..	..	..	अपात्र। आयोग ने निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने तथा उनके परामर्श से उसको नियुक्त करने का सुझाव दिया।
..	..	..	तदेव
..	..	.	अपात्र। आयोग ने अर्हताओ में कुछ परिवर्तन करके पदो को पुर्नविज्ञापित करने का सुझाव दिया।
..	.	.	अपात्र। आयोग ने निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने तथा उनके परामर्श से उसको नियुक्त करने का सुझाव दिया।
..	..	..	अपात्र।
..	..	..	
..	..		
	..	.	अपात्र। स्थिति की सूचना दी गई।
..	..	.	
..	..	..	
..	..	..	

१	२	३	४	५	६
३०६	ट्यूशनल क्लासेज स्कीम में प्राविधिक सहायक (सोप स्टोन)	१	१	..	..
३०७	उ० प्र० सिंचाई विभाग में मेकेनिक्स	७	२१	..	..
३०८	उ० प्र० श्रम विभाग की क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम के अन्तर्गत उद्योग प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य	७	२०	..	..
३०९	उ० प्र० उद्योग संचालकालय के अधीन कटलरी स्कीम, मेरठ में यान्त्रिक अभियन्ता	१	३	..	..
३१०	राजकीय फल संरक्षण तथा केनिंग संस्था, लखनऊ में विद्युत् एवं यान्त्रिक अभियन्ता	१	१	..	..
३११	उ० प्र० फलोपयोग संचालकालय के अधीन राजकीय फल संरक्षण तथा केनिंग संस्था, लखनऊ में माइक्रो-बायोलाजिस्ट	१	२	..	..
३१२	राजकीय केन्द्रीय काष्ठशिल्प विद्यालय, बरेली में किल्न आपरेटर	१	६	..	..

७	८	९	१०
..	..	..	अपात्र। आयोग ने निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने का तथा उनके परामर्श से उसको नियुक्त करने का सुझाव दिया।
..	..	..	सभी अपात्र। आयोग ने अर्हताओं को संशोधित करके पद को पुर्नविज्ञापित करने का सुझाव दिया।
..	..	..	तदेव
..	..	..	कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया गया। आयोग ने निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने तथा आयोग के परामर्श से उनको नियुक्त करने का सुझाव दिया।
..	..	..	अपात्र। आयोग ने निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने तथा उनके परामर्श से उसको नियुक्त करने का सुझाव दिया।
..	..	..	दोनो अपात्र। स्थिति की सूचना शासन को दी गई और अनुभव की अवधि को कम करके पद को पुर्नविज्ञापित करने का सुझाव दिया गया।
..	..	..	अपात्र। आयोग ने निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने तथा उनके परामर्श से उसको नियुक्त करने का सुझाव दिया।

१	२	३	४	५	६
३१३	उ० प्र० अधीनस्थ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा मे मेकेनिकल सुपरवाइजर	१	२	..	..
३१४	उ० प्र० उद्योग संचालकालय की खुर्जा पाटरी स्कीम के अन्तर्गत--				
	(क) प्राविधिक सहायक (अनुसन्धान प्रशिक्षण)	१	..	..	..
	(ख) सीनियर मेकेनिकल फोरमैन	१	..	..	..
३१५	एनीमल न्यूट्रीशन सेक्शन, भरारी (झांसी) में फार्म असिस्टेंट	१	..	..	..
३१६	पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन महाविद्यालय, उ० प्र०, मथुरा मे सिने-फोटो-आर्टिस्ट	१	..	..	..
३१७	सी० एम० एस० राजकीय पोली-टेक्निक, मेरठ के लिये मास्टर इलेक्ट्रिकल वायरिग तथा आर्मेचर वाइंडिग	१	..	..	..
३१८	राजकीय पोलीटेक्निक, देहरादून में ड्राइंग मास्टर	१	..	..	..
३१९	ड्राफ्ट्समैन, उत्तर क्षेत्रीय मुद्रण टेक्नो-लाजी विद्यालय, इलाहाबाद	१	..	..	..
३२०	इलेक्ट्रोप्लेटिग प्लान्ट, मुरादाबाद की योजना मे केमिस्ट	१	..	..	..

७	८	९	१०
..	..	..	अपात्र। अयोग ने निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने तथा उनके परामर्श से उसको नियुंक्त करने का सुझाव दिया।
..	..	..	किसी ने आवेदन-पत्र नही भेजा। आयोग ने सुझाव दिया कि इन पदों के लिये निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय और आयोग के परामर्श से उनको नियुक्त किया जाय।
..	..	..	
..	..	..	किसी ने आवेदन-पत्र नहीं भेजा। आयोग ने अर्हताओं में सशोधन करके पद को पुर्नविज्ञापित करने का सुझाव दिया।
..	..	..	किसी ने आवेदन-पत्र नहीं भेजा। आयोग ने निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने तथा उनके परामर्श से उसको नियुक्त करने का सुझाव दिया।
..	.	..	त`व
..		..	तदेव
..	..	..	तदेव
..	..	..	तदेव

१	२	३	४	५	६
३२१	ट्यूशनल क्लासेज स्कीम के लिये प्राविधिक सहायक (स्मिथी)	१	..	..	..
३२२	ट्यूशनल क्लासेज स्कीम के लिये प्राविधिक सहायक (कम्बल)	१	..	..	..
३२३	सैन्ड वाशिंग प्लान्ट शंकरगढ़, इलाहाबाद के लिये विश्लेषक	१	..	..	.
३२४	चार्जमैन स्टोर्स, गवर्नमेंट प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेन्ट्स फैक्टरी, लखनऊ	१	..	..	
३२५	जी० टी० आई०, लखनऊ तथा गोरखपुर में भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र में व्याख्याता	˜	.	..	
३२६	जी० टी० आई०, गोरखपुर में प्रथम प्राविधिक अध्यापक	१	.		
३२७	उ० प्र० उद्योग संचालकालय के अधीन मार्केटिंग, वीविंग तथा साईजिंग अनुसन्धान केन्द्र, रामपुर के लिये	१			

७	८	९	१०
..	..	..	किसी ने आवेदन–पत्र नहीं भेजा। आयोग ने निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने तथा उनके परामर्श से उसको नियुक्त करने का सुझाव दिया।
..	..	..	तदेव
..	..	..	तदेव
			किसी ने आवेदन–पत्र नहीं भेजा आयोग ने निजी बात चीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने तथा उनके परामर्श से उसको नियुक्त करने का सुझाव दिया।
..	..	..	उद्योग संचालक ने एक अभ्यर्थी को चुनकर आयोग का अनुमोदन मांगा। आयोग उसकी नियुक्ति से सहमत हुये।
	..	..	किसी ने आवेदन–पत्र नहीं भेजा। आयोग ने पदों के पुर्नविज्ञापन का सुझाव दिया। किन्तु उद्योग संचालक ने उत्तर दिया कि पदों को भरने की आवश्यकता नहीं थी। अतः पुर्नविज्ञापन का प्रश्न समाप्त कर दिया गया।
.	..	..	किसी ने आवेदन–पत्र नहीं भेजा। आयोग ने निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने का तथा उनके परामर्श से उसको नियुक्त करने का सुझाव दिया गया।
..	..	.	तदेव

१	२	३	४	५	६
३२८	उ० प्र० उद्योग संचालकालय के अधीन मार्केटिंग, वीविंग तथा साइजिंग अनुसन्धान केन्द्र, रामपुर के लिये ड्राफ्टसमैन मिस्त्री	२	.	.	..
३२९	(क) सीनियर क्राफ्ट्समैन ब्रासवेर (कास्टिंग)	१	...	...	...
	(ख) सुपरिन्टेन्डेन्ट क्राफ्ट्समैन (हाथी-दांत उद्योग)	१	.	...	...
३३०	सचालक, पशुपालन, उ० प्र० के मुख्यालय कार्यालय में लेखा अधिकारी	१	..	...	..
३३१	उ० प्र० उद्योग सचालकालय के अधीन हैन्डीक्रैफ्ट्स स्कीम में उत्पादन अधीक्षक	१	.	...	.
३३२	जिला डेरी प्रदर्शन फार्म, मथुरा में कल्टीवेशन इंचार्ज	१	..	...	
३३३	हारमोन थिरैपी स्कीम, पशुधन अनुसन्धान स्टेशन, उ० प्र०, मथुरा	२	...	...	

७	८	९	१०
			किसी ने आवेदन-पत्र नही भेजा। आयोग ने निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने तथा उनके परामर्श से उसको नियुक्त करने का सुझाव दिया।
			किसी ने आवेदन-पत्र नहीं भेजा। स्थिति की सूचना दी गई।
			तदेव
			किसी ने आवेदन-पत्र नही भेजा। आयोग ने अर्हताओं में कुछ संशोधन करके पद को पुनर्विज्ञापित करने का सुझाव दिया। किन्तु प्राविधिक ढंग का पद होने के कारण उस पर उ० प्र० वित्त तथा लेखा सेवा का एक अधिकारी नियुक्त किया गया।
			किसी ने आवेदन-पत्र नहीं भेजा। स्थिति की सचना दी गई।
			किसी ने आवेदन-पत्र नहीं भेजा। आयोग ने निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने तथा उनके परामर्श से उसको नियुक्त करने का सुझाव दिया।
			तदेव

१	२	३	४	५	६
३३४	राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महा-विद्यालय, लखनऊ में प्राध्यापक, क्राफ्ट् एजूकेशन	१	...	...	..
३३५	विद्युत् विभाग उ० प्र० के रिहन्द संगठन में मेकेनिकल डिजाइन इंजीनियर	१	...	...	...
३३६	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में अनाटमी में डिमान्स्ट्रेटर	३	...	..	...
३३७	पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशु-पालन महाविद्यालय, उ० प्र०, मथुरा में चिकित्सा अधिकारी	१	...	...	..
३३८	उ० प्र० सूचना संचालकालय में फोटो साउन्ड इंजीनियर	१	...	..	..
३३९	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में रेजीडेन्ट पैथोलाजिस्ट (अस्पताल)	१	..	...	.
३४०	आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण देने के लिये मेकेनिकल या आटो-मोबाइल इंजीनियरिंग में दो ग्रेजुएटों	२	...	...	.

७	८	९	१०
..	..	..	किसी ने आवेदन-पत्र नही भेजा। आयोग ने निजी बात-चीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने तथा उनके परामर्श से उसको नियुक्त करने का सुझाव दिया।
.	.	..	तदेव
..	..	..	विज्ञापन निकल जाने के बाद चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा के प्रधानाचार्य ने सूचित किया कि रिक्तियो की संख्या ३ से घटकर २ रह गई है, क्योकि एक अभ्यर्थी ने प्रधानाचार्य को आवेदन-पत्र भेजा था और उसे आयोग की स्वीकृति से नियुक्त कर दिया गया। आयोग के विज्ञापन के उत्तर में किसी ने भी आवेदन-पत्र नही भेजा और इस स्थिति की सूचना प्रधानाचार्य को दी गई।
..	.	..	किसी ने आवेदन-पत्र नहीं भेजा। आयोग ने निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने तथा उसको आयोग के परामर्श से नियुक्त करने का सुझाव दिया।
..	.	..	तदेव
..	..	..	किसी ने आवेदन-पत्र नहीं भेजा। स्थिति की सूचना दी गई।
..	..	..	तदेव

१	२	३	४	५	६
३४१	अधीनस्थ शिक्षा सेवा मे जूनियर टेस्टर	४	२९	...	...
३४२	सहायता तथा पनर्वास योजना मे ज्येष्ठ लेखा निरीक्षक	१	५	..	..
३४३	मुख्य लेखा निरीक्षक	४	९६	...	...
३४४	उद्योग संचालक, उ० प्र०, कानपुर के अधीन ज्येष्ठ लेखा निरीक्षक	२१	२४७	...	...
३४५	पशुपालन संचालक, उ० प्र० के कार्यालय में संख्याविद्	१	१२	..	.
३४६	समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश में——				
	(क) महिला अधीक्षक, रेस्क्यू होम, कानपुर, तथा	१	१५	..	..
	(ख) महिला अधीक्षक, निराश्रित महिलाओं व बच्चो का घर, मथुरा	१			
३४७	उ० प्र० उद्योग संचालकालय के अधीन राजकीय प्राविधिक संस्था, लखनऊ में——				
	(क) इन्स्ट्रक्टर कारपेन्टरी	१	१७	..	.
	(ख) इन्स्ट्रक्टर ब्लैक स्मिथ	१	५	..	..
	(ग) इन्स्ट्रक्टर मोल्डिंग	१	६	..	.
३४८	उ० प्र० उद्योग संचालकालय के अधीन लेदर स्कीम में मेकेनिकल ओवर-सियर	३	३	..	.

७	८	९	१०
..	..		पद का वेतन-क्रम पुनरीक्षित किया जा रहा था । इस-लिये चुनाव स्थगित कर दिया गया ।
..	..		पद की छंटनी कर दी गई इसलिये चुनाव रद्द कर दिया गया ।
..	..		उ० प्र० उद्योग संचालक से निर्देश आने पर इन पदो के लिये चुनाव स्थगित कर दिया गया ।
.	.		
.	.		चुनाव रद्द कर दिया गया ।
		.	शासन के अनुरोध पर इन पदो के लिये चुनाव रद्द कर दिया गया । बाद मे पद तोड़ दिये गये और अभ्यर्थियों के शुल्क उन्हें लौटा दिये गये ।
..		..	
..	..	.	चुनाव रद्द कर दिये गये और आवेदन-शुल्क अभ्य-थियो को लौटा दिये गये ।
..			
.	..	.	
	..	..	विज्ञापन निकल जाने पर उद्योग संचालक ने आयोग को सूचित किया कि मितव्ययता के विचार से पदो को आस्थगित कर दिया गया है । अतः इन पदों के लिये चुनाव रद्द कर दिया गया और केवल एक अभ्यर्थी द्वारा जमा किया गया आवेदन-शुल्क उसको लौटा दिया गया ।

१	२	३	४	५	६
३४९	उ० प्र० कृषि सेवा, क्लास दो के 'बी' व 'सी' सेक्शनों में ह्वीट ब्रीडर	१	१९	..	..
३५०	एच० बी० टी० आई०, कानपुर की एसेन्शियल आयल स्कीम में अधीक्षक	१	२	..	.
३५१	गन्ना विकास विभाग, उ० प्र० में उप-गन्ना आयुक्त (विकास)	१	१८	.	
३५२	राजकीय पोलीटेक्निक, मेरठ में मास्टर जनरल मेकैनिक	१	'		

७	८	९	१०
..	..	..	शासन से एक निर्देश आने पर पद सम्पूर्ण भारत में पुर्नविज्ञापित किया गया (देखिये विज्ञापन संख्या ५३१) ।
..	..	.	चुनाव रद्द कर दिया गया ।
..	..	.	शासन के अनुरोध पर आयोग ने अधिकतम आयु–सीमा को शिथिल करने के उपबन्ध के साथ पद को पुर्नविज्ञापित किया (देखिये उसी पत्रावली की विज्ञापन संख्या २०) ।
..	.		विज्ञापन निकल जाने पर उद्योग संचालक ने समान वेतन–क्रम वाले दो अन्य पदों पर, जो बाद में तोड दिये गये थे, नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा पहले संस्तुत एक अभ्यर्थी को इस पद पर नियुक्त करने के लिये आयोग से अनुरोध किया। आयोग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और विज्ञापन के उत्तर में आवेदन–पत्र देने वाले अभ्यर्थियो के आवेदन–शुल्को को लौटा दिया गया ।

१	२	३	४	५	६
३५३	पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन महाविद्यालय, उ० प्र०, मथुरा में ओवरसियर	१	कोई नही	..	.
	योग .	२,२०५	१४,७०९	६,४५६	५,०९४

७	८	९	१०
..			पद संशोधित अर्हताओ के साथ पुर्नविज्ञापित किया गया (देखिये विज्ञापन संख्या ५२३), क्यो किपशु चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने आयोग को सूचित किया कि स्थिति पर फिर से विचार करने पर यह निश्चय किया गया कि बिल्डिग ओवरसियर अधिक उपयोगी सिद्ध होगा ।
२,१२८	..	.	

परिशिष्ट ३-क

सूची, जिसमें उन सेवाओं या पदों को दिखलाया गया है, जिनके लिये चुनाव १९५७-५८ में नहीं किया जा सका :--

क्रम संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
१	२	३	४
१	उद्योग संचालकालय, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत प्राविधिक सहायक, पाटरी, केन्द्र खुर्जा, जिला बुलन्दशहर	१	२
२	उत्तर प्रदेश सहकारिता सेवा, क्लास दो, में सहकारिता समितियों के सहायक रजिस्ट्रार	१२	५००
३	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय में--		
	(१) जिला उद्योग अधिकारी (ग्रेड १)	१५	१,२५२
	(२) जिला उद्योग अधिकारी (ग्रेड २)	२०	
४	उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (निम्न वेतनक्रम), सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता	५०	१४६
५	पायलट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इटावा में--		
	(क) डिप्टी प्रोजेक्ट अधिशासी अधिकारी, भाग्यनगर	१	१४
	(ख) उपविकास अधिकारी (ग्रामीणों का भाग लेना) तथा	१	१९
	(ग) उपविकास अधिकारी (कृषि)	१	१५
६	हाथ के बने हुये कागजों के उत्पादन केन्द्र, काल्पी (जालौन) के लिये अनुसन्धान सहायक	१	१
७	केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र (ग्रामीण बहुउद्योग), अकबरपुर, फैजाबाद में--		
	(अ) डिजाइन के साथ खादी बुनने	१	५
	(ब) रंगाई और छपाई करने	१	८
	(स) तेल घानी तथा साबुन बनाने की व्यावहारिक शिक्षा देने के लिये क्राफ्टस मैन इन्स्ट्रक्टर	१	३

१	२	३	४
८	ट्यूशनल क्लासेज स्कीम में—		
	(अ) स्मिथी, तथा	१	९
	(ब) बढ़ईगीरी के लिये हस्तकला (क्राफ्ट्स) अधीक्षक	१	११
९	सीनियर क्राफ्ट्समैन इन टेक्सटाइल प्रिंटिंग	१	७
१०	जूनियर क्राफ्ट्समैन इन टेक्सटाइल वीविंग	१	१६
११	जूनियर क्राफ्ट्समैन इन टेक्सटाइल प्रिंटिंग	१	२
१२	पब्लिसिटी-कम-मार्केटिंग संगठनकर्त्ता	२	१२
१३	उद्योगों के अधीक्षक (कर्मचारिवर्ग का नियन्त्रण)	१	१२
१४	क्राफ्ट्स अधीक्षक (बिक्री उद्योग)	१	१
१५	क्राफ्ट्स अधीक्षक (दरी तथा रग उद्योग)	१	६
१६	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवा में—		
	(क) मलेरिया निरीक्षक	९४	३९६
	(ख) फाइलेरिया निरीक्षक	१२	७४
१७	वाराणसी रेशमी वस्त्रों के अधीक्षक	१	२
१८	हस्तकला योजना में ज्येष्ठ ड्राफ्ट्समैन	१	१
१९	हस्तकला योजना में ड्राफ्ट्समैन	२	४
२०	उद्योग संचालकालय के अन्तर्गत करघा (हैन्डलूम) विकास योजना में अधीक्षक, बिक्री तथा आढत	१	२१
२१	उ० प्र० उद्योग संचालक के अन्तर्गत करघा विकास योजना में डिजाइन तथा मार्केट अनुसन्धान केन्द्र, रामपुर के लिये—		
	(क) मार्केट अनुसन्धान अधिकारी	१	६
	(ख) डिजाइनर (आर्टिस्ट)	१	५
	(ग) डिजाइनर (वीवर)	१	६

१	२	३	४
२२	उद्योग सचालकालय, उत्तर प्रदेश की हस्तकला योजना के अन्तर्गत क्राफ्ट संग्रहालय के इचार्ज अधिकारी	१	४
२३	उद्योग संचालकालय, उत्तर प्रदेश की चिकन बेल-बूटा बनाने की योजना में उत्पादन अधीक्षक	१	१३
२४	राजकीय प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेन्ट फैक्टरी, लखनऊ के लिये फोरमैन (टेस्टिंग)	१	३
२५	राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर में फर्स्ट इन्स्ट्रक्टर आयल इंजिन मेकैनिक	१	४
२६	राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर में प्रथम इलेक्ट्रीशियन इन्स्ट्रक्टर	१	७
२७	राजकीय पालीटेक्निक, देहरादून में विद्युत् निरीक्षक	१	८
२८	पशुपालन संचालक, उत्तर प्रदेश के अधीन पहाड़ी तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रास ब्रीडिंग के इंचार्ज अधिकारी	१	११
२९	सहायक श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश	६	७१
३०	उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ के सामान्य प्रशासन विभाग में प्राविधिक अधिकारी, क्लास एक	१	४
३१	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में अनुसन्धान पर्यवेक्षक	२५	२६
३२	कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश की अधिशासी शाखा में उपजेलर	१५	३२७
३३	अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तर प्रदेश में जिला संख्या अधिकारी	१०	११८
३४	उत्तर प्रदेश आर्थिक बोध सेवा (क्लास १) में आर्थिक बोध एवं संख्या के उपसंचालक	१	१

१	२	३	४
३५	कारागार प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ में मनोविज्ञान में व्याख्याता	१	८
३६	उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा सेवा (क्लास दो) में राज्य में पैरेसिटोलाजी यूनिट्स की स्थापना के लिये अनुसन्धान अधिकारी	१	३
३७	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अधीन इन्टेंसिव डेवलपमेंट ब्लाक स्कीम मे उद्योगों के डिवीजनल अधोक्षक	४	६१
३८	कानपुर विद्युत् प्रदाय प्रशासन, कानपुर में सहायक अभियन्ता	१	९
३९	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) में उत्तर प्रदेश संस्कृत विद्यालयो के सहायक निरीक्षक	३	४३
४०	कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश में साख्यकीय सहायक	४	२२
४१	स्टेट इन्टेलीजेन्स सर्विस में अर्थ एवं सख्या विभाग में प्रशिक्षण अधिकारी	१	१२
४२	उद्योग संचालकालय, उत्तर प्रदेश की ग्लास-टैक्नोलाजी सेक्शन में—		
	(क) लेबोरेटरी सहायक	४	२
	(ख) फर्नेस सहायक	१	१
४३	उद्योग सचालकालय, उत्तर प्रदेश की सेरीकल्चर ऐन्ड एरीकल्चर योजनाओं के अन्तर्गत—		
	(क) एरिया अधीक्षक	२	२
	(ख) अनुसन्धान सहायक (ग्रेनेज)	१	२
	(ग) अनुसन्धान सहायक (रियरिंग)	१	५
	(घ) निरीक्षक (सेरीकल्चर)	१७	२०
	(ङ) निरीक्षक (एरीकल्चर)	३	३
	(च) हेड इन्स्ट्रक्टर कम पब्लिसिटी इन्सपेक्टर	१	२
	(छ) नर्सरी निरीक्षक (एरीकल्चर)	१	२
	(ज) अधीक्षक सेरीकल्चर तथा	१	२

१	२	३	४
	(ञ) रिसर्च सहायक (सिल्क वर्म रियरिंग)	१	१
४४	उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा (क्लास दो) में—		
	(क) प्रधानाचार्य, राजकीय बहु-उद्योग विद्यालय, लखनऊ	१	३
	(ख) प्रधानाचार्य, राजकीय बहु-उद्योग विद्यालय, गाजीपुर	१	२
	(ग) उप-प्रधानाचार्य, जी० सी० टी० आई०, कानपुर	१	६
	(घ) प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, देहरादून	१	४
	(ङ) अध्यक्ष, यांत्रिक विभाग, जी० टी० आई०, लखनऊ	१	५
४५	उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा (क्लास दो) में—		
	(क) प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, चरखारी (हमीरपुर)	१	२७
	(ख) अधीक्षक, राजकीय पालीटेक्निक, श्रीनगर (गढवाल)	१	२२
	(ग) अधीक्षक, राजकीय ट्रेनिंग विद्यालय, फतेहपुर	१	६
	(घ) उप-प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ	१	६
	(ङ) कर्मशाला अधीक्षक, राजकीय पालीटेक्निक, गाजीपुर	१	३
	(च) कर्मशाला अधीक्षक, जी० सी० टी० आई०, कानपुर	१	९
	तथा		
	(छ) प्रधानाचार्य, राजकीय बुनाई विद्यालय, मऊ (आजमगढ)	१	१७
४६	राजकीय रजा डिग्री महाविद्यालय में अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) में भूगोल में ज्येष्ठ व्याख्याता	१	५
४७	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अन्तर्गत—		
	(क) अधीक्षक, सामान्य (लखनऊ)	१	२२

१	२	३	४
	(ख) अधीक्षक, प्रदर्शन कक्ष, नागपुर, हैदराबाद तथा इन्दौर	३	१५
	(ग) डिस्प्ले आर्टिस्ट (लखनऊ)	१	४
	(घ) सहायक प्रबन्धक (बिक्री)	२	१४
	तथा		
	(ङ) प्रचार तथा प्रदर्शिनी निरीक्षक	१	६
४८	उप-संचालक, फलोपयोग, उत्तर प्रदेश, रानीखेत	१	११
४९	राजकीय काष्ठ शिल्प विद्यालय, इलाहाबाद में मास्टर डिजाइनर (कैबिनेट मेकिंग)	१	५
५०	उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग में ओवरसियर	३८९	६४६
५१	हरिद्वार में भिखमंगों के लिये कामघर के अधीक्षक	१	३
५२	उत्तर प्रदेश एन० ई० एस० ब्लाकों में खण्ड विकास अधिकारी	१००	४,८६५
५३	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय की क्वालिटी मार्किंग स्कीम के अन्तर्गत—		
	(क) अधीक्षक (टैक्सटाइल)	१	९
	(ख) कैमिस्ट (पक्का कलई), मुरादाबाद	१	३
	(ग) आर्टिस्ट-कम-डिजाइनर	१	२
	तथा		
	(घ) एक्जामिनर (टैक्सटाइल)	१	९
५४	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा क्लास दो के सेक्शन 'सी' में टाउन कम्पोस्ट अधिकारी	१	१५
५५	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, क्लास दो के सेक्शन 'सी' में केन बोटेनिस्ट	१	६
५६	उप-संचालक, पंचायत, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	१	४०
५७	जी० टी० आई०, लखनऊ तथा गोरखपुर में—		
	(क) विद्युत अभियन्त्रण में व्याख्याता	२	४

१	२	३	४
	(ख) यांत्रिक अभियन्त्रण में व्याख्याता	२	६
	(ग) कर्मशाला अधीक्षक	२	३
५८	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, क्लास दो के सेक्शन "सी" में जिला कृषि अधिकारी	२२	३८०
५९	अधीनस्थ उद्योग सेवा में उद्योग निरीक्षक	४०	४३७
६०	उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग में अधीनस्थ गन्ना सेवा के प्रथम ग्रूप में--		
	(क) ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक	३	६०
	(ख) सहायक क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी	१	१९
	(ग) सहायक प्रशिक्षण अधिकारी	१	२२
६१	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय की ट्यूशनल क्लासेज स्कीम के अन्तर्गत प्राविधिक सहायक (पीतल के बर्तन)	१	२
६२	मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश में चीफ आर्टिस्ट तथा डिजाइनर	१	५
६३	राजकीय प्राविधिक विद्यालय, गोरखपुर में पावर हाउस इन्स्ट्रक्टर	१	३
६४	उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा में--		
	(क) फिजियोलाजी में सहायक प्राध्यापक	१	२
	(ख) फिजियोलाजी में व्याख्याता	१	७
	(ग) हिस्टोलाजी में व्याख्याता	१	९
	तथा		
	(घ) बैक्टीरियोलाजी में व्याख्याता	१	६
६५	एच० बी० टी० आई०, कानपुर में एसेन्शियल आयल स्कीम में प्राविधिक सहायक	१	३
६६	कारागार उद्योग, उत्तर प्रदेश के संचालक	१	१८

१	२	३	४
६७	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय की हस्तकला योजना के अन्तर्गत--		
	(क) सीनियर ड्राफ्ट्स मैन (उडवर्क)	१	८
	(ख) ड्राफ्ट्समैन (टेक्सटायल प्रिंटिंग)	१	७
६८	गवर्नमेंट कालेज आफ आर्टस ऐन्ड क्राफ्ट्स, लखनऊ में वास्तुकला के व्याख्याता	१	२
६९	गवर्नमेंट सेन्ट्रल पेडागाजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद से सम्बद्ध प्रयोगात्मक मनोविज्ञान तथा शिक्षा में डिमान्स्ट्रेटर	१	५
७०	उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय की पहाड़ी-ऊन योजना के अन्तर्गत (उद्योग के डिवीजनल अधीक्षक)	१	११
७१	प्लानिंग रिसर्च ऐन्ड ऐक्शन इन्स्टीट्यूट, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के सचालक के अधीन भूमि संरक्षण अभियन्ता	१	४
७२	गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ गन्ना सेवा के ग्रूप दो में--		
	(क) जूनियर अग्रोनामिकल असिस्टेन्ट	८	२१
	(ख) जूनियर कैमिकल असिस्टेन्ट	३	१७
७३	अधीनस्थ गन्ना सेवा, उत्तर प्रदेश के ग्रूप दो में गन्ना विकास निरीक्षक	१७	१००
७४	उत्तर क्षेत्रीय प्रिंटिंग टक्नोलाजी के विद्यालय, इलाहाबाद के लिये प्रधानाचार्य	१	७
७५	जी० टी० आई० लखनऊ तथा गोरखपुर में भौतिक विज्ञान तथा रसायन शास्त्र में व्याख्याता	२	१
७६	कुमायूं, आगरा, वाराणसी तथा हरद्वार क्षेत्रो में प्रत्येक क्षेत्र के लिये एक टूरिस्ट विकास अधिकारी	४	१२५
७७	सचालक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में सहायक लेखा अधिकारी	१	४७

१	२	३	४
७८	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में अनाटमी के प्रोफेसर	१	११
७९	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में पैथोलाजा में रीडर	१	५
८०	उत्तर प्रदेश पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा में वीर्य संरक्षण योजना के लिये अनुसन्धान अधिकारी	१	९
८१	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पशु-चिकित्सा सेवा में पशु-चिकित्सा सहायक सर्जन	८०	७९
८२	सूचना सचालकालय, उत्तर प्रदेश के अधीन प्रचार अधिकारी	१	५
८३	गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश में सांख्यकीय सहायक	२	१२
८४	अधीनस्थ शिक्षासेवा (ग्रेजुएट) ग्रेड महिला शाखा में--		
	(क) अंग्रेजी	१०	७५
	(ख) हिन्दी	६	१२३
	(ग) इतिहास	६	८३
	(घ) भूगोल	१०	२२
	(ङ) गायन (वोकल) सगीत	७	२१
	(च) कला	४	७
	(छ) सामान्य विज्ञान	९	१९
	(ज) वाद्य संगीत	५	४
	(झ) नागरिक शास्त्र	२	४२
	(ञ) शिक्षा अथवा मनोविज्ञान	१२	५९
	(ट) गृह विज्ञान	२०	१८
	(ठ) संस्कृत	१०	१९
	(ड) मैट्रन	२	६
	(ढ) अर्थशास्त्र	७	८२
	(ण) गणित	६	५
	(त) शारीरिक प्रशिक्षण	४	७

१	२	३	४
८५	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा के लिये आर्थोपैडिक्स में व्याख्याता	१	
८६	उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (निम्न वेतनक्रम) विद्युत् विभाग में सहायक अभियन्ता	५२	२३६
८७	उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (उच्च वेतनक्रम) (महिला शाखा) में बालिका विद्यालय क्षेत्रीय निरीक्षिका	४	५३
८८	जी० सी० वी० एम० चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर में निम्नलिखित अध्यापक--		
	(क) एनाटामी में प्रोफेसर	१	३
	(ख) फिजियालोजी में प्रोफेसर	०	३
	(ग) फार्मेकोलाजी में प्रोफेसर	१	६
	(घ) पैथालाजी में प्रोफेसर	१	१
	(ङ) मेडिसिन में प्रोफेसर	१	३
	(च) सर्जरी मे प्रोफेसर	१	५
	(छ) गाइनेकोलाजी तथा आब्स्टेट्रिक्स	१	८
	(ज) एनास्थोसिया में रीडर	१	८
	(झ) मेडिसिन में रीडर	१	१२
	(ञ) क्षय रोगों में रीडर	१	५
	(ट) पेड्डियाट्रिक्स में रीडर	१	२१.
	(ठ) सर्जरी में रीडर	१	११
	(ड) आर्थोपेड्डिक्स में रीडर	१	१
	(ढ) पैथालॉजी व्याख्याता	१	५
	(ण) एनास्थीसिया में व्याख्याता	१	९
	(त) क्षय रोगों में व्याख्याता	१	५
	(थ) आर्थोपेड्डिक्स में व्याख्याता	१	६
	(द) आप्थेल्मोलाजी में व्याख्याता	१	
	(ध) गाइनेकोलाजी तथा आब्सटेट्रिक्स में व्याख्याता	१	६
	(न) मेडिसिन में व्याख्याता	४	३०
	(प) सर्जरी में व्याख्याता	४	२०
८९	मनोविज्ञान शाला, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में---		
	(क) सचालक	१	३
	(ख) ज्येष्ठ अनुसन्धान मनोवैज्ञानिक	१	१

१	२	३	४
९०	शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन बहु प्रयोजन (मल्टीपर्पजेज) विद्यालयों में अभियन्त्रण पाठ्य-क्रमों को लागू करने के सम्बन्ध में राजकीय उच्चतर महाविद्यालयों में नियुक्ति के लिये व्याख्याता	१६	२२
९१	कृषि महाविद्यालय, कानपुर के प्रधानाचार्य के सहायक	१	१०
९२	श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश में ऐलोपैथिक डाक्टर	४	३
९३	आटोमोबाइल इजीनियरिंग में प्रशिक्षण के लिये दो अभ्यर्थियों का चुनाव	२	८
९४	(क) राजकीय पालीटेक्निक, गाजीपुर में पैटर्न मेकर	१	१०
	(ख) पैटर्नमेकर कम कार्पेन्टर	१	
	(ग) फर्स्ट इन्स्ट्रक्टर शीट मेटल स्मिथी	१	३
	(घ) फर्स्ट इन्स्ट्रक्टर मोल्डिंग राजकीय पालीटेक्निक, जौनपुर	१	३
९५	प्लानिंग रिसर्च ऐन्ड ऐक्शन इन्स्टीट्यूट, उत्तर प्रदेश, लखनऊ मे भूमि संरक्षण के विशेषज्ञ के--		
	(क) सीनियर एसोसियेट	१	५
	(ख) जूनियर एसोसियेट	१	१६
९६	उद्योग सचालकालय, उत्तर प्रदेश की कम्युनिटी प्रोजेक्ट स्कीम के अधीन--		
	(क) उत्पादन अधीक्षक	६	६३
	(ख) सहायक उत्पादन अधीक्षक	१६	६०
९७	नया राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ के लिये कल्याण अधिकारी ग्रूप तीन	१	७
९८	राजकीय केन्द्रीय गव्यशाला (डेरी) प्रक्षेत्र, अलीगढ़ में सांख्यकीय सहायक	१	१
९९	राजकीय पालीटेक्निक, श्रीनगर, गढ़वाल में चित्रकला अध्यापक (बुनाई)	१	६

१	२	३	४
१००	(क) राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर के लिये प्रथम मोटर मेकेनिक इन्स्ट्रक्टर	१	४
	(ख) राजकीय पालीटेक्निक, देहरादून के लिये आटोमोबाइल इन्स्ट्रक्टर	१	
१०१	उत्तर प्रदेश पशु-चिकित्सा-विज्ञान तथा पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा में सिने-फोटो-आर्टिस्ट	१	...
१०२	संचालक, पशु-पालन, उत्तर प्रदेश के अधीन उत्तर प्रदेश पशु-चिकित्सा सेवा, क्लास दो में रोग नियन्त्रण अधिकारी (कुक्कुट पालन)	१	५
१०३	नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश के द्वितीय पचवर्षीय योजना सेक्शन के लिये संख्याविद्	१	१
१०४	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, लखनऊ में--		
	(क) एनाटमी में व्याख्याता	१	२
	(ख) एनाटमी में डिमान्स्ट्रेटर	१	४
	(ग) फिजियोलाजी में व्याख्याता	१	४
	(घ) फिजियोलाजी में डिमांस्ट्रेटर	१	६
१०५	सिचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की रुड़की कर्मशाला में--		
	(क) वर्क्स मैनेजर	१	७
	(ख) सहायक अभियन्ता	१	९
१०६	राजकीय काष्ठ शिल्प विद्यालय, इलाहाबाद में कैंडिनेट इन्स्ट्रक्टर	१	२७
१०७	उत्तर प्रदेश शासन के पब्लिक एनालिस्ट, लखनऊ की प्रयोगशाला में--		
	(क) जूनियर एनालिटिकल सहायक (फूड)	५	९
	(ख) जूनियर एनालिटिकल सहायक (ड्रग्स)	१	३
१०८	राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ के लिये--		
	(क) इन्स्ट्रक्टर रेफ्रीजरेशन तथा एयरकन्डीशनिग	१	४
	(ख) इन्स्ट्रक्टर एलेक्ट्रीशियन	१	२
	(ग) इन्स्ट्रक्टर एलेक्ट्रिक लाइनमैन	१	१
	(घ) एलेक्ट्रोप्लेटिंग इन्स्ट्रक्टर	१	४
	(ङ) राजकीय पालीटेक्निक, जौनपुर के लिये इन्स्ट्रक्टर एलेक्ट्रीशियन	१	१

१	२	३	४
१०९	उत्तर प्रदेश पशु–चिकित्सा–विज्ञान तथा पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा में ओवरसियर	१	१
११०	श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश में श्रम निरीक्षक	१७	५४०
१११	राजकीय पालीटेक्निक, मेरठ में एलेक्ट्रोप्लेटिंग इन्स्ट्रक्टर	१	१
११२	जी० टी० आई०, लखनऊ में द्वितीय प्राविधिक अध्यापक	१	१
११३	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में—		
	(क) रेडिओलाजी मे व्याख्याता	१	२
	(ख) एनाटामी में व्याख्याता	१	२
	(ग) पैथोलाजी में व्याख्याता	१	१
११४	उत्तर प्रदेश शासन के विद्युत् निरीक्षक सगठन में सहायक विद्युत् निरीक्षक	२	९
११५	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, क्लास दो के सेक्शन 'सी' में व्हीट ब्रीडर	१	२२
११६	खुर्जा में हाई एेन्ड लोटेशन इन्सुलेटरों को टेस्ट करने की योजना के अधीन इन्जीनियर अधीक्षक	१	१
११७	एच० बी० टी० आई०, कानपुर मे—		
	(क) प्राविधिक सहायक	१	५
	(ख) अनुसधान सहायक (सामान्य अनुसधान उपविभाग)	३	४
११८	पशु–पालन संचालकालय, उत्तर प्रदेश की पशु–धन मार्केटिंग सेक्शन—		
	(क) पशु–धन मार्केटिंग निरीक्षक	१	८
	(ख) कम्प्यूटर	१	१
	योग ...	१,३९४	१२,६४६

परिशिष्ट ४

बिना विज्ञापन के भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियो की संख्या जिनके मामले निपटाये गये	अभ्युक्ति या अनुमोदन के कारण
१	२	३	४
१	कानपुर विद्युत प्रदाय प्रशासन में वैयक्तिक अधिकारी	१	अननुमोदित। आयोग ने पद को विज्ञापित करने की सलाह दी।
२	हाउसिंग इन्स्पेक्टर	५	ये योग उस तिथि के पूर्व नियुक्त किये गये थे, जिस तिथि को ये पद आयोग के विचार क्षेत्र में रखे गये थे। अतः आयोग ने उनकी अस्थायी नियुक्ति के चलते रहने में कोई आपत्ति नहीं की। किन्तु यह बतला दिया गया कि जब कभी ये पद स्थायी किये जायेंगे, तब इन अभ्यर्थियों को अन्य अभ्यर्थियो के साथ विधिवत् चुनाव में भाग लेना पड़ेगा। शासन ने यह सुझाव मान लिया और अभ्यर्थियो को निदेश दिया कि वे आयोग द्वारा विज्ञापित पदो के लिये आवेदन-पत्र भेजें।
३	पी० एस० एम० एस०	१	अनुमोदित, क्योकि अभ्यर्थी गढ़वाल जिले में बीरोखाल में स्थित प्रान्तीयकृत जिला परिषद् औषधालय का चिकित्सा अधिकारी था।
४	शासन के मुख्यालय में विशेष कार्याधिकारी (कोष)	१	अननुमोदित। आयोग ने पद विज्ञापित करने का परामर्श दिया। परामर्श मान लिया गया।
५	परिवहन सगठन मे स ायक ग्रूप इन्जीयर	१	आयोग ने एक प्राविधिक सलाहकार की सहायता से १३-९-५७ को साक्षात्कार कर के अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अनुमोदित किया।

१	२	३	४
६	एच० बी० टी० आई०, कानपुर को एसेंशियल आयल स्कीम में अनुसंधान सहायक	१	अननुमोदित। आयोग ने पद को विज्ञापित करने की सलाह दी।
७	पी० एम० एस० (दो)	१	अननुमोदित, क्योंकि अभ्यर्थी के पास न्यनतम अर्हतायें नहीं थीं।
८	पंचायत निरीक्षक	१	अभ्यर्थी को आयोग ने पहले अनुमोदित किया था। किन्तु क्योंकि वह क्षय रोग का रोगी था, अतः जितनी छुट्टियां उसको देय थीं, उतनी छुट्टिया दे देने के पश्चात् उसकी सेवायें समाप्त कर दी गईं और उस समय यह निश्चय किया गया था कि अच्छा हो जाने पर उसको पुर्नानियुक्त कर दिया जायगा। अच्छा हो जाने पर उसको पुर्नानियुक्त किया गया और आयोग ने अपनी सहमति दी।
९	राजकीय सीमेंट फैक्टरी, चुर्क, मिर्जापुर के संचालक के वैयक्तिक सहायक	१	अननुमोदित। अयोग ने पद को विज्ञापित करने का परामर्श दिया।
१०	पी० एम० एस० (एक)	१	आयोग ने २५-३-५८ को साक्षात्कार करके उसको अनुमोदित किया, क्योंकि महाराजा सर भगवती प्रसाद सिंह स्मारक अस्पताल, बलरामपुर, जो प्रान्तीयकृत हो गया था, उसमें वह चिकित्सा अधिकारी था।
११	क्षेत्रीय सूचना अधिकारी	३	अननुमोदित। आयोग ने परामर्श दिया कि इन सब पदों को विज्ञापन, साक्षात्कार आदि के बाद भरा जाय।
१२	जिला सूचना अधिकारी	५२	
१३	अतिरिक्त सूचना अधिकारी	२४	

१	२	३	४
१४	पी० एम० एस० (दो)	१	आयोग ने ३ नवम्बर, १९५७ को साक्षात्कार करके उसको अनुमोदित किया, क्योंकि बागरमऊ अस्पताल, जिला उन्नाव, जो प्रान्तीयकृत हो गया था, उसमें वह चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा था।
१५	विशेष भूमि-अवाप्ति-अधिकारी तथा पुनर्वासन अधिकारी, बबीना फील्ड फार्यरिंग रेन्ज, झांसी	१	अननुमोदित। आयोग ने परामर्श दिया कि पद डिप्टी कलक्टर के पदों पर पदोन्नति के लिये पात्र अभ्यर्थियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाय। संस्तुति मान ली गई।
१६	प्रधानाचार्य तथा सर्जरी के प्राध्यापक, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर	१	अननुमोदित। आयोग ने पद को विज्ञापित करने की सलाह दी।
१७	२५०-८५० रु० के वर्गान्तर्गत वेतन-क्रम में पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा के क्यूरेटर	१	अननुमोदित। आयोग ने सलाह दी कि पद को विज्ञापित किया जाय। शासन सहमत नहीं हुये और उन्होंने आयोग से पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।
१८	सूचना संचालकालय में प्रचार अधिकारी	२	अननुमोदित। आयोग ने पद को विज्ञापित करने की सलाह दी। सलाह मान ली गई।
१९	पी० एम० एस० (१)	१	अननुमोदित। आयोग ने सलाह दी कि अभ्यर्थी को एक मास की नोटिस देकर उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायं। सिफारिश मान ली गई।
२०	सहायक सर्विस मैनेजर, उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज़ केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर	२	अननुमोदित। आयोग की यह सिफारिश कि पद को विज्ञापन के बाद भरा जाय, मान ली गई।

१	२	३	४
२१	चकबन्दी अधिकारी	३	उपयुक्त अभ्यर्थियो के अत्यन्ताभाव को दृष्टिकोण में रखते हुये दो को नियुक्ति के लिये अनुमोदित किया। तीसरे के बारे में कुछ सूचना मागी गई, जो वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुई थी।
२२	प्रधानाचार्य तथा अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय तथा अस्पताल, लखनऊ	१	जितनी अवधि तक पदधारी ने पद को धारण कर रखा था, आयोग ने उस अवधि तक की उसकी नियुक्ति का कार्योत्तर अनुमोदन दिया।
	सूचना संचालकालय में--		
२३	प्रवर वर्ग सहायक	७	अनुमोदित, क्योंकि इनकी नियुक्ति उस तिथि के पूर्व हुई थी, जिस तिथि को ये पद आयोग के विचार-क्षेत्र में रखे गये थे।
२४	लेखापाल	३	
२५	आशुलिपिक	१	
२६	पी० एम० एस० (२)	१	तब तक की अस्थायी नियुक्ति के लिये अनुमोदित, जब तक कि नियमित रूप से चुना हुआ अभ्यर्थी उसके स्थान पर नियुक्त न हो जाय।
२७	रिडरपेस्ट वैक्सीन उत्पादन योजना के अन्तर्गत सहायक अनुसंधान अधिकारी	१	अननुमोदित। आयोग ने पद को विज्ञापित करने का सुझाव दिया।
२८	मुख्य अभियन्ता, राजकीय सीमेंट फैक्टरी, चुर्क	१	अननुमोदित। आयोग की यह सलाह कि पद विज्ञापित किया जाय, शासन द्वारा मान ली गई।
२९	सामान्य प्रबन्धक तथा अतिरिक्त निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश	१	केवल अस्थायी नियुक्ति के लिये अनुमोदित।
३०	रिहन्द बांध संगठन में आर्कीटेक्ट	१	१०-२-५८ को अभ्यर्थी का साक्षात्कार करके संविदा (कान्ट्रैक्ट) के आधार पर पांच वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति के हेतु अनुमोदित।

१	२	३	४
३१	सहायक बिक्री कर अधिकारी	१	अनुमोदित नहीं किया और एक मास की नोटिस देकर उसकी सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की। शासन सहमत नही हुये और आयोग से मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया।
३२	उत्तर प्रदेश पशुपालन तथा पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, मथुरा में मेडिसिन (प्रिवेन्टिव मेडिसिन) के सहायक प्राध्यापक	१	अननुमोदित। आयोग ने पद को विज्ञापित करने का परामर्श दिया।
३३	संचालक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश के वैयक्तिक सहायक	१	पदोन्नति द्वारा विधिवत् चुनाव होने तक अस्थायी नियुक्ति के लिये अनुमोदित।
३४	सिचाई विभाग के रिहन्द बांध संगठन में लायजन अधिकारी (जन-सम्पर्क अधिकारी)	३१	यह चुनाव उन अभ्यर्थियों में से किया गया, जिनके विवरण अथवा आवेदन-पत्रों को मुख्य अभियन्ता ने भेजा था। सिफारिश मान ली गई।
३५	जी० टी० आई० लखनऊ में गणित में व्याख्याता	१	पद के लिये निकाले गये विज्ञापन के व्यर्थ हो जाने पर उद्योग संचालक को सलाह दी गई कि उस पद के लिये एक अभ्यर्थी निजी बातचीत द्वारा प्राप्त किया जाय। संचालक ने एक अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये संस्तुत किया और आयोग ने उसको अनु-मोदित कर दिया।
३६	राजकीय रजा डिग्री महाविद्यालय, राम-पुर में रसायन शास्त्र में कनिष्ठ व्याख्याता	२	इस पद के लिये उन अभ्यर्थियो में से चुनाव किया गया, जिन्होंने आयोग द्वारा विज्ञापित विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (रसायनशास्त्र) के पदों के लिये आवेदन-पत्र भेजे थे।

१	२	३	४
३७	राजकीय रजा डिग्री महाविद्यालय, रामपुर के लिये भौतिक विज्ञान में कनिष्ठ व्याख्याता	३	इस पद के लिये चुनाव उन अभ्यर्थियों में से किया गया, जिन्होंने आयोग द्वारा विज्ञापित विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (भौतिक विज्ञान) के पदों के लिये आवेदन-पत्र भेजे थे।
३८	राजकीय रजा डिग्री महाविद्यालय, रामपुर के लिये अंग्रेजी में में कनिष्ठ व्याख्याता	५	दो पदों के लिये चुनाव उन अभ्यर्थियों मे से किया गया, जिन्होंने आयोग द्वारा विज्ञापित विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (अंग्रेजी) के पदों के लिये आवेदन-पत्र भेजे थे।
३९	राजकीय रजा डिग्री महाविद्यालय रामपुर के लिये राजनीति में कनिष्ठ व्याख्याता	५	इस पद के लिये चुनाव उन अभ्यर्थियों में से किया गया, जिन्होंने आयोग द्वारा विज्ञापित विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (नागरिक शास्त्र) के पदों के लिये आवेदन-पत्र भेजे थे।
४०	राजकीय रजा डिग्री महाविद्यालय, रामपुर के लिये अर्थशास्त्र में कनिष्ठ व्याख्याता	२	इस पद के लिये चुनाव उन अभ्यर्थियों में से किया गया, जिन्होंने आयोग द्वारा विज्ञापित विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (अर्थशास्त्र) के पदो के लिये आवेदन-पत्र भेजे थे।
४१	राजकीय रजा डिग्री महाविद्यालय, रामपुर के लिये इतिहास में कनिष्ठ व्याख्याता	३	इस पद के लिये चुनाव उन अभ्यर्थियों में से किया गया, जिन्होंने आयोग द्वारा विज्ञापित विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा मे सहायक अध्यापक (इतिहास) के पदों के लिये आवेदन पत्र भेजे थे।
४२	राजकीय रजा डिग्री महाविद्यालय, रामपुर के लिये गणित में कनिष्ठ व्याख्याता	८	इस पद के लिये चुनाव उन अभ्यर्थियों में से किया गया, जिन्होंने आयोग द्वारा विज्ञापित विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (गणित) के पदों के लिये आवेदन-पत्र भेजे थे।

१	२	३	४
४३	राजकीय रजा डिग्री महाविद्यालय, रामपुर के लिये हिन्दी में कनिष्ठ व्याख्याता	२	इस पद के लिये चुनाव उन अभ्यर्थियों में से किया गया, जिन्होंने आयोग द्वारा विज्ञापित विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (हिन्दी) के पदों के लिये आवेदन-पत्र भेजे थे।
४४	राजकीय प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेन्ट फैक्टरी, लखनऊ के लिये चार्जमैन स्टोर्स	१	चूंकि इस पद के लिये विज्ञापन विफल हो गया, इसलिये उद्योग संचालक द्वारा संस्तुत एक अभ्यर्थी अनुमोदित कर लिया गया।
४५	सिंचाई कर्मशाला वृत्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर में ओवरसियर	९	इन पदों के लिये चुनाव उन अभ्यर्थियों में से किया गया, जिन्होंने आयोग द्वारा विज्ञापित सिंचाई विभाग में ओवरसियर के पदों के लिये आवेदन-पत्र भेजे थे।
४६	सहकारिता लेखा परीक्षा संगठन में सहकारिता लेखा निरीक्षक	१६०	इन पदों के लिये चुनाव उन अभ्यर्थियों में से किया गया, जिन्होंने आयोग द्वारा विज्ञापित सहकारिता निरीक्षक (ग्रुप दो) के पदों के लिये आवेदन-पत्र भेजे थे।
४७	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में डिमान्सट्रेटर	१	चूंकि इस पद के लिये निकाला गया विज्ञापन विफल हो गया, इसलिये एक अभ्यर्थी जिसमें प्रधानाचार्य द्वारा निकाले गये विज्ञापन के उत्तर में आवेदन-पत्र भेजा था, अनुमोदित कर दिया गया।
४८	राजकीय पालीटेक्निक मेरठ में मास्टर जनरल मेकैनिक	१	विज्ञापन निकाले जाने के तुरन्त बाद ही उद्योग सचालक ने आयोग से अनुरोध किया कि वे एक अभ्यर्थी को जिसको उन्होंने समान वेतनक्रम वाले दो अन्य पदों के लिये संस्तुत किया था, किन्तु जो पद बाद में तोड दिये गये थे, नियुक्त कर ले। आयोग ने प्रस्ताव को स्वीकार करके विज्ञापन रद्द कर दिया।

१	२	३	४
४९	उद्योग सचालकालय मे क्वालिटी मार्किंग स्कीम में चमड़े की वस्तुओं के अधीक्षक	१	विज्ञापन, साक्षात्कार आदि के बाद कोई उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नही हुआ। उद्योग सचालक के सुझाव पर आयोग ने जून, १९५६ में इसी पद के लिये आरक्षित (रिजर्व) सूची में संस्तुत एक अभ्यर्थी की नियुक्ति को स्वीकार कर लिया।
५०	राजकीय ज्योतिषीय वेधशाला, नैनीताल के लिये एस्ट्रोनामिकल सहायक	७	इस पद के लिये निकाले गये विज्ञापन के विफल हो जाने पर आयोग ने उन सात अभ्यर्थियों के मामलो पर विचार किया, जिनको शासन ने निजी बातचीत द्वारा प्राप्त किया था और साक्षात्कार के बाद उनमे से एक को नियुक्ति के लिये अनु-मोदित किया।
५१	उद्योग के मंडलीय अधीक्षक (चमड़ा तथा चर्मसंस्कार)	३	इन पदों के लिये चुनाव उन अभ्यर्थियो में से किया गया, जिन्होने आयोग द्वारा विज्ञापित सहायक उद्योग संचालक (टैनिंग) के पद के लिये आवेदन-पत्र भेजे थे।
५२	उद्योग सचालकालय के अधीन बिल्डिंग ओवर-सियर	१	इस पद के लिये चुनाव उन अभ्यर्थियो में से किया गया, जिन्होने आयोग द्वारा विज्ञापित सिचाई विभाग में ओवरसियर के पदो के लिये आवेदन-पत्र भेजे थे।
५३	विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश, में हिन्दी प्रतिवेदक	२	पुर्नविचार के बाद भी अननुमोदित। आयोग ने परामर्श दिया कि इन पदों को प्रतियोगितात्मक परीक्षा के परीक्षा-फल के आधार पर नियमित रूप से भरा जाय।

योग ... ३७२

परिशिष्ट ४—क

बिना विज्ञापन के भर्ती के वे मामले, जो १ अप्रैल, १९५८ तक निबटाये नही गये थे।

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियो की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४
१	वैद्य	१	कुछ सूचना तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी की चरित्रावली के अभाव में मामला निबटाया नहीं जा सका ।
२	यातायात अधीक्षक, उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज	१	निबटाया नही जा सका ।
३	विद्यालय प्रति उप-निरीक्षक	४	तदेव
४	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा	१०	कुछ सूचना के अभाव में मामला निबटाया नही जा सका ।
५	गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में लेखा अधिकारी	१	वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त हुआ ।
६	जिला पशुधन अधिकारी (राजपत्रित)	१	तदेव
७	पी० एम० एस० (दो)	१	अपना विचार व्यक्त करने के पूर्व आयोग ने अभ्यर्थी का साक्षात्कार करना चाहा, पर आलोच्य वर्ष में साक्षात्कार नही किया जा सका ।
८	खीरी उपनिवेशन योजना में ५००—१,२०० रु० के वेतनक्रम में इंचार्ज अधिकारी	१	कुछ सूचना मांगी गई ।
९	मत्स्य निरीक्षक	११	इन अभ्यर्थियों की चरित्रावलियां मांगी गई, किन्तु वर्ष की समाप्ति तक शासन ने उन्हें नहीं भेजीं ।
१०	विद्यालय प्रति उप-निरीक्षक	१३	दस रिक्तियो को विद्यालय प्रति उप-निरीक्षक सेवा नियमावली, १९४५ के नियम १३ के अधीन क्षेत्रीय उपशिक्षा सचालको द्वारा मनोनीत अभ्यर्थियो में से भरने का प्रस्ताव किया गया । चुनाव की प्रक्रिया का प्रश्न तय नही हो सका, इसलिये मामला निबटाया नही जा सका ।
	योग	४४	

परिशिष्ट ५

पदोन्नति द्वारा भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद	रिक्तियों की संख्या	अभ्यर्थियो की संख्या, जिन पर विचार किया गया	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५
१	कृषि उप-संचालक (फर्टिलाइजर तथा खाद)	१	१७	अध्यक्ष, श्री नफीसुल हसन की अध्यक्षता में एक चुनाव समिति की बैठक २६ दिसम्बर, १९५७ को लखनऊ में पात्र अभ्यर्थियो में से सात का साक्षात्कार करने के लिये हुई। सिफारिश मान ली गई।
२	सीनियर पब्लिक प्रासी-क्यूटर	४	४३	सदस्य, श्री गिरीश चन्द्र की अध्यक्षता में एक चुनाव समिति की बैठक २२ जुलाई, १९५७ को लखनऊ में पात्र अभ्यर्थियो में से दश का साक्षात्कार करने के लिये हुई। सिफारिश मान ली गई।
३	चिकित्सा अधीक्षक (होमियोपैथिक)	१	२	सिफारिश मान ली गई।
४	बिजली विभाग में सहा-यक अभियन्ता	१९	३३	आयोग ने सभी पात्र अभ्यर्थियो के मामलो की जाच की और निश्चय किया कि उनमें से २४ का साक्षात्कार चुनाव समिति द्वारा किया जाय; किन्तु चुनाव समिति की बैठक होने के पूर्व ही शासन ने अपने इस निश्चय की सूचना दी कि सहायक अभियन्ता के पदो पर पदोन्नति के लिये अधीनस्थ विद्युत् तथा यान्त्रिक अभियन्त्रण सेवा के सदस्यो की एक अर्ह-करी उप-परीक्षा ली जाय।

१	२	३	४	५
५	मंत्रियो के वैयक्तिक सहा-यक	८	८	सिफारिश मान ली गई ।
६	नायब तहसीलदार	१	३	आयोग ने २० जनवरी, १९५८ को तीनो अभ्यर्थियो का साक्षात्कार किया। सिफारिश मान ली गई ।
७	एच० बी० टी० आई० कानपुर में एसेंशियल आयल स्कीम के अन्तर्गत अनुसन्धान रसायनज्ञ	१	३	सिफारिश मान ली गई ।
८	आर्थिक बोध तथा सख्या के संचालकालय मे निर्देश लिपिक और	६	९	सिफारिश मान ली गई ।
	कोषाध्यक्ष तथा लेखापाल	१	१५	
९	प्रधान कारागार निरीक्षक के वैयक्तिक सहायक	१	१	सिफारिश मान ली गई ।
१०	प्रधान प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय रोड-वेज	२	२१	अध्यक्ष, श्री नफीसुल हसन की अध्यक्षता में एक चुनाव समिति की बैठक २२ मार्च, १९५८ को लखनऊ में पात्र अभ्यर्थियो में से ९ का साक्षात्कार करने के लिये हुई। सिफारिश मान ली गई ।
११	कृषि अतिरिक्त सचा-लक, उत्तर प्रदेश	१	१४	आयोग द्वारा सस्तुत अभ्यर्थी नियुक्त नहीं किया गया, क्यो-कि शासन ने पद को आस्थगित रखने का निश्चय कर लिया ।
१२	सामान्य सचिवालय में सहायक सचिव	४	४	अध्यक्ष, श्री नफीसुल हसन की अध्यक्षता मे एक चुनाव समिति की बैठक २७ जुलाई, १९५७ को लखनऊ मे सभी पात्र अभ्यर्थियो का साक्षात्कार करने के लिये हुई। सिफारिश मान ली गई ।

१	२	३	४	५
१३	पशु पालन संचालक के वैयक्तिक सहायक	१	६	सदस्य, श्री एस० एन० एम० त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक चुनाव समिति की बैठक में २ सितम्बर, १९५७ को लखनऊ में ६ अभ्यर्थियो का साक्षात्कार किया गया। सिफारिश मान ली गई।
१४	उप-प्रधान कारागार निरीक्षक	२	६	सदस्य, श्री टी० पी० भल्ला के अध्यक्षता मे एक चुनाव समिति की बैठक ९ फरवरी, १९५७ को लखनऊ में हुई और ५ अभ्यर्थियो का साक्षात्कार किया गया। समिति की बैठक १९ अप्रैल, १९५७ को फिर हुई, जिसमे शेष पात्र अभ्यर्थी का साक्षात्कार किया गया। सिफारिश मान ली गई।
१५	उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय में कोषाध्यक्ष	१	१४	अध्यक्ष, श्री नफीसुल हसन की अध्यक्षता मे एक चुनाव समिति की बैठक १३ जुलाई, १९५७ को लखनऊ मे पात्र अभ्यर्थियों में से चार का साक्षात्कार करने के लिये हुई। जब संस्तुतियां शासन को भेजी गयीं, तब उन्होने सूचित किया कि चुनाव समिति ने एक अन्य अभ्यर्थी के मामले पर विचार नहीं किया था, और आयोग से मामले पर पुर्नविचार करने का अनुरोध किया।
१६	राजकीय हाई तथा नार्मल विद्यालयो की प्रधानाध्यापिकायें	२२	१९७	सदस्य, श्री गिरीश चन्द्र की अध्यक्षता मे एक चुनाव समिति की बैठक २० से २४ मई, १९५७ को लखनऊ में हुई, जिसमे पात्र अभ्यर्थियो में से ७५ का साक्षात्कार किया गया। सिफारिश मान ली गई।
१७	बालिका विद्यालयो की निरीक्षिकायें	१५		

१	२	३	४	५
१८	उत्तर प्रदेश वित्त तथा लेखा सेवा में लेखा अधिकारी	५	४८	सदस्य, श्री राधा कृष्ण की अध्यक्षता में एक चुनाव समिति की बैठक २० अप्रैल, १९५७ को लखनऊ में हुई, जिसने पात्र अभ्यर्थियों में से २० का साक्षात्कार किया। सिफारिश मान ली गई।
१९	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (उच्च वेतन-क्रम) में कृषि अर्थशास्त्री	१	२	आयोग ने दो पात्र अभ्यर्थियो की चरित्रावलियो का अवलोकन करके अपनी सिफारिश भेजी पर शासन ने सचित किया कि इस पद पर स्थायी नियुक्ति के प्रश्न पर उस विनिश्चय को दृष्टिकोण में रखते हुये फिर से विचार करना होगा, जो विनिश्चय इस प्रश्न के सम्बन्ध मे किया जाय कि उत्तर प्रदेश कृषि सेवा के किसी उप-विभाग विशेष के अधिकारी को, यदि उसका काम सन्तोष-जनक हो तो, सेवा में उस तिथि से परीक्षण-काल पर रखा जाय, जिस तिथि को उसकी नियुक्ति हुई थी और निर्धारित विभा-गीय परीक्षा पास कर लेने पर वह स्थायी कर दिया जाय।
२०	उत्तर प्रदश राजकीय रोडवेज में यातायात अधीक्षक	४	१९	सदस्य, श्री टी० पी० भल्ला की अध्यक्षता में एक चुनाव समिति की बैठक ३ दिसम्बर, १९५७ को लखनऊ में हुई, जिसमें सभी पात्र अभ्यर्थियो का साक्षात्कार किया गया। सिफारिश मान ली गई।
२१	उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा	७	९१	अध्यक्ष, श्री नफीसुल हसन की अध्यक्षता में एक चुनाव समिति की बैठक ११ और १३ अप्रैल, १९५७ को लखनऊ में हुई, जिसमें पात्र अभ्यर्थियो में से ९१ का साक्षात्कार किया गया। सिफारिश मान ली गई।

१	२	३	४	५
२७	फारेस्ट रेन्जर्स	४	४	गत वर्षीय प्रतिवेदन के परिशिष्ट ५ की मद संख्या ५४ की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें यह लिखा गया था कि आयोग ने चार कर्मचारियों के बारे में अग्रेतर सूचना मिलने तक अपने परामर्श को रोक रखा था। सूचना मिलने पर आयोग ने अपना परामर्श दिया, जिसे शासन ने स्वीकार कर लिया।
२८	उपसंचालक, पशु पालन, उत्तर प्रदेश	१	१	सिफारिश मान ली गई।
२९	उप-निबन्धक, सहकारिता समितियां, उत्तर प्रदेश	९	११	श्री एस० एन० एम० त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक चुनाव समिति की बैठक एक स्थायी तथा ८ दीर्घावधि की अस्थायी रिक्तियो पर पदोन्नति के लिये ११ कर्मचारियो का साक्षात्कार करने के हेतु १० अप्रैल, १९५७ को लखनऊ में हुई। चुनाव समिति ने स्थायी रिक्ति के लिये किसी को भी उपयुक्त नहीं पाया और सभी अस्थायी रिक्तियो के लिये अभ्यर्थियो को संस्तुत किया। सिफारिश मान ली गई।
३०	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (निम्न वेतन-क्रम)	३	९	दो के बारे में शासन ने सिफारिश को मान लिया और तीसरे के बारे में आज्ञा की प्रतीक्षा है।
३१	सहायक श्रम आयुक्त	२	१९	सिफारिश मान ली गई।
३२	उच्च वेतनक्रम में केमिकल एक्जामिनर के केमिकल असिस्टेंट	१	३	अध्यक्ष, श्री नफीसुल हसन की अध्यक्षता में एक चुनाव समिति की बैठक तीनों अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करने के लिये ७ मार्च, १९५७ को आगरा में हुई। सिफारिश मान ली गई।

१	२	३	४	५
३३	पंचायत लेखा परीक्षा संगठन में ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	५	२५	सदस्य, श्री राधा कृष्ण की अध्यक्षता में एक चुनाव समिति की बैठक पात्र अभ्यर्थियो में से ८ का साक्षात्कार करने के लिये २० जुलाई, १९५७ को लखनऊ मे हुई । सिफारिश मान ली गई ।
३४	टूरिस्ट विकास अधिकारी, क्षेत्रीय टूरिस्ट ब्यूरो, नैनीताल	१	१	आयोग ने पद को विज्ञापन से भरने की सलाह दी। सलाह मान ली गई।
३५	चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाओ के उपसंचालक (आयुर्वेद) के वैयक्तिक सहायक	१	१	सिफारिश मान ली गई ।
३६	केन्द्रीय कारागार के अधीक्षक	१	५	तदेव
३७	स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विभाग मे सहायक लेखा-परीक्षक	६	१०	तदेव
३८	मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश में सहायक मनो-वैज्ञानिक	३	७	तदेव
३९	जेड० ए० सी० नायब तहसीलदार ।	५३	६४	आयोग ने सलाह दी कि इन पदों पर अनुपयुक्तो को अस्वीकार करने की शर्त के साथ ज्येष्ठता के सिद्धान्त पर राज्य स्तर पर (आन स्टेट बेसिस) चुनाव किया जाय, न कि प्रत्येक डिवीजन के लिये अलग-अलग ।
	योग ...	२६८	८४२	

परिशिष्ट ५–क

पदोन्नति द्वारा भर्ती के वे मामले, जो १ अप्रैल, १९५८ तक निबटाये नहीं गये थे।

क्रम–सं०	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या	न निबटाये जाने के कारण तथा अन्य अभ्युक्तिया
१	२	३	४
१	सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक सचिव	३	आयोग ने सलाह दी कि संशोधित प्रक्रिया के अनुसार चुनाव किया जाय।
२	अधीनस्थ सहकारिता सेवा (ग्रूप १)	३०	शासन से अनुरोध किया गया कि वे उन कर्मचारियो की एक पूरक सूची भी भेजें, जो स्थानापन्न पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझे गये है तथा कुछ कर्मचारियो की चरित्रावलियो में अद्यावधिक प्रविष्टियां करा दें। वर्ष की समाप्ति तक न तो पूरक सूची ही आयी और न अद्यावधिक प्रविष्टियो सहित चरित्रावलियां ही आईं।
३	चकबन्दी अधिकारी ..	६१	कुछ पात्र अभ्यर्थियो की चरित्रावलियां मांगी गई थीं, जो वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नही हुईं।
४	सामान्य सचिवालय में सहायक सचिव	३	निबटाया नही जा सका, क्योकि सब अभ्यर्थियो की अद्यावधिक प्रविष्टियों सहित चरित्रावलियां वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुई थीं।
५	उपसंचालक, पशुपालन	१	श्री राधा कृष्ण की अध्यक्षता में एक चुनाव–समिति की बैठक ने २२ मार्च, १९५८ को लखनऊ मे चारो पात्र अभ्यर्थियो का साक्षात्कार किया। किन्तु आलोच्य वर्ष में सिफारिश नहीं भेजी जा सकी।
६	मत्स्य निरीक्षक .	५	कुछ कर्मचारियो की चरित्रावलिया मांगी गई थी, जो वर्ष के अन्त तक नहीं प्राप्त हुई।

१	२	३	४
७	सिचाई विभाग में सहायक यांत्रिक अभियन्ता	७	श्री टी० पी० भल्ला की अध्यक्षता में एक चुनाव समिति ने २२ मार्च, १९५८ को लखनऊ में २२ पात्र अभ्यर्थियो में से १२ का साक्षात्कार किया। किन्तु आलोच्य वर्ष में सिफारिश शासन को भेजी न जा सकी।
८	गन्ना विकास निरीक्षक .	२२	गन्ना आयुक्त से कहा गया कि वे उन कर्मचारियों की एक सूची भेजें, जिनको वे स्थानापन्न तथा दीर्घावधि वाली रिक्तियो में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझते हो। साथ ही कुछ की चरित्रावलियां भी मांगी गईं। वर्ष की समाप्ति तक कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ।
९	कार्यालयो के निरीक्षक .	६	कुछ सूचना मागी गई, जो वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नही हुई।
१०	सचालक, हार्टीकल्चरल अनुसन्धान संस्था, सहारनपुर	१	निबटाया न जा सका।
११	अधीनस्थ श्रम सेवा (ग्रूप ३)	९	कुछ पात्र अभ्यर्थियों की अद्यावधिक चरित्रावलियों की प्रतीक्षा आलोच्य वर्ष मे की जाती रही।
१२	प्रति-उपअधीक्षक पुलिस	१५	शासन को परामर्श दिया गया कि वे पहले आयोग से परामर्श करके पदोन्नति के सिद्धान्त आदि को तय करें।
१३	फारेस्ट रेंजर	८९	मुख्य अरण्यपाल को सलाह दी गई कि वे फिर से (क) और (ख) सूची तैयार करें और ज्येष्ठ कर्मचारियो के अवक्रम का कारण लिखें। यह संशोधित निर्देश वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुआ।
१४	आर्थिक बोध के सहायक संचालक	१	शासन को परामर्श दिया गया कि वे नियुक्ति (ख) विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या १५७१/२-बी--५०-५५, दिनाक १६ मई, १९५६ में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक नियमित निर्देश भेजें।

१	२	३	४
१५	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (निम्न वेतन-क्रम)	१९	मांगी गई चरित्रावलियो तथा सूचना की प्रतीक्षा आलोच्य वर्ष में की जाती रही।
१६	उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा	१५	जो चरित्रावलिया तथा सूचना मांगी गई थीं, वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुई।
१७	उत्तर प्रदेश सहकारिता सेवा क्लास दो	२१	पात्र कर्मचारियो की चरित्रावलियां मांगी गईं, जो आलोच्य वर्ष में प्राप्त नहीं हुईं।
१८	तहसीलदार	९६	सदस्य, श्री टी० पी० भल्ला की अध्यक्षता में एक चुनाव समिति की बैठक पात्र अभ्यर्थियो में से १८८ का साक्षात्कार करने के लिये १३ से १८ तथा २० से २२ मई, १९५७ को लखनऊ में हुई। चुनाव हो जाने पर राजस्व परिषद् ने सूचित किया कि रिक्तियो की संख्या घटकर केवल २० रह गई है और इसलिये मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। पुनर्विचार के बाद यह निश्चय किया गया कि विद्यमान रिक्तियो के लिये पदोन्नति के संशोधित नियमो के अनुसार फिर से चुनाव किया जाय।
१९	उपराजस्व अधिकारी, सिंचाई विभाग	२८	मामलों पर विचार करने के बाद आयोग ने परामर्श दिया कि पात्र अभ्यर्थियों में से ३८ का साक्षात्कार एक चुनाव समिति द्वारा किया जाय। आलोच्य वर्ष में चुनाव समिति की बैठक नहीं हो सकी।
२०	सिंचाई विभाग में विद्युत् तथा यान्त्रिक सुपरवाइजर	२२	पात्र अभ्यर्थियो की चरित्रावलियों में कुछ प्रविष्टियां नहीं थीं। उनकी मांग की गई, पर वर्ष की समाप्ति तक वे प्राप्त नहीं हो सकीं।
२१	सिंचाई विभाग मे मेकैनिक	४	

१	२	३	४
२२	ट्रेजरी अफसर	१०	पात्र अभ्यर्थियो की चरित्रावलियो का अवलोकन करने के बाद आयोग ने परामर्श दिया कि पात्र अभ्यर्थियो में से २७ का साक्षात्कार चुनाव समिति द्वारा किया जाय। वर्ष में चुनाव समिति की बैठक नहीं हो सकी।
२३	उप-प्रधानाचार्य, बालको के लिये राजकीय शारीरिक शिक्षा विद्यालय, रामपुर	१	शासन को नियुक्ति (ख) विभाग के १५ मई, १९५६ के कार्यालय ज्ञाप में भेजी गई प्रक्रिया के अनुसार निर्देश भेजने का सुझाव दिया गया।
२४	हार्टिकल्चर विकास योजना के अन्तर्गत लेखा अधिकारी	१	जिन ६ कर्मचारियो पर पदोन्नति के लिये विचार करना था उनकी चरित्रावलिया अद्यावधिक प्रविष्टियो के लिये भेजी गई थी। वे वर्ष की समाप्ति तक वापस नही आई। इसलिये मामला निबटाया नही जा सका।
२५	उ० प्र० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओ के सचालक के वैयक्तिक सहायक	१	निबटाया नहीं जा सका, क्योकि पदोन्नति के सिद्धातो के विषय मे अन्तिम निर्णय आलोच्य वर्ष में नही हो सका।
२६	कृषि संचालक, उत्तर प्रदेश के वैयक्तिक सहायक	१	अद्यावधिक प्रविष्टियो सहित चरित्रावलियां वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हो सकीं।
२७	अधीनस्थ कृषि सेवा (ग्रूप १) में ज्येष्ठ वृक्षरक्षा सहायक (माइकोलाजी)	१	निबटाया नहीं जा सका।
२८	अतिरिक्त कृषि संचालक, उत्तर प्रदेश	१	शासन ने निश्चय किया कि चुनाव न किया जाय।
२९	अधीनस्थ श्रम सेवा (ग्रूप २)	९	अभी तक विचाराधीन है।
३०	अधीनस्थ कृषि सेवा (ग्रूप १)	८	पांच अभ्यर्थियो की चरित्रावलियां २५ अक्टूबर, १९५६ को कृषि संचालक के पास अद्यावधिक प्रविष्टियो के लिये भेजी गई थीं, वे आलोच्य वर्ष में प्राप्त नहीं हुईं।

१	२	३	४
३१	सहायक उद्योग संचालक (स्टोर्स)	१	मांगी गई चरित्रावलियां तथा सूचना वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुईं।
३२	कार्यालयों के निरीक्षक	१	गत वर्षीय प्रतिवेदन के परिशिष्ट ५ की मद संख्या ५२ को देखें। संस्तुत अभ्यर्थियों में से एक ने पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मामला आयोग को फिर भेजा गया। इस विषय पर वर्ष भर पत्र-व्यवहार होता रहा।
३३	पशु-चिकित्सा निरीक्षक	१२	अद्यावधिक प्रविष्टियो सहित चरित्रावलियां आलोच्य वर्ष में प्राप्त नहीं हुईं।
३४	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, क्लास १, में कृषि अभियन्ता	१	१८ जनवरी, १९५६ को मागी गई सूचना एवं चरित्रावलियों की प्रतीक्षा आलोच्या वर्ष में की जाती रही।
३५	उत्तर प्रदेश असैनिक (अधि-शासी) सेवा नियमावली के नियम ५(२) के दूसरे परन्तुक के अन्तर्गत डिप्टी कलेक्टर	११	आयोग ने ४२ पात्र अभ्यर्थियो की चरित्रा-वलियो का अवलोकन करके उनमें से ३९ का साक्षात्कार करने का निश्चय किया; किन्तु आलोच्य वर्ष में साक्षा-त्कार नहीं किया जा सका।
३६	निबन्धक, सहकारिता समितिया, उत्तर प्रदेश के वैयक्तिक सहायक	१	निबटाया नहीं जा सका।
३७	जेलर	३३	तदैव
३८	डिप्टी प्राजेक्ट इक्जीक्यटिव अधिकारी	८	शासन से अनुरोध किया गया कि वे समस्त पात्र अभ्यर्थियो की एक ज्येष्ठता सूची बनाकर सम्बन्धित कर्मचारियों की अद्यावधिक चरित्रावलियो के साथ भेजें। किन्तु आलोच्य वर्ष में न तो सूची ही आई और न चरित्रा-वलियां ही।
३९	अधीनस्थ विद्युत् एव यात्रिक अभियन्त्रण सेवा	५०	१७ जनवरी, १९५८ को मागी गई सूचना वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुई।

१	२	३	४
४०	सहकारिता लेखा-परीक्षा सगठन में ज्येष्ठ लेखा-परीक्षक	५	आयोग ने १८ पात्र अभ्यर्थियों की चरित्रावलियों का अवलोकन करके निश्चय किया कि उनमें से ५ का साक्षात्कार एक चुनाव-समिति करे। आलोच्य वर्ष में चुनाव-समिति की बैठक न हो सकी।
४१	भवन तथा सड़क शाखा में सहायक अभियन्ता	३३	वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त ।
४२	कृषि महाविद्यालय, कानपुर मे वनस्पति विज्ञान (बाटनी) के प्राध्यापक	१	१४ मई, १९५७ को मांगी गई सूचना आदि वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुई।
४३	समूह रोजगार योजना (ग्रूप एम्प्लवायमेंट स्कीम) के अन्तर्गत सहायक कल्याण अधिकारी	१	शासन को परामर्श दिया गया कि पदोन्नति के लिये चुनाव नियुक्ति (ख) विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या १५७१/२-बी--५०-५५, दिनांक १५ मई, १९५६ के अनुसार किया जाय।
४४	सिचाई तथा विद्युत् विभागों के मुख्य अभियन्ताओ के कार्यालयों में वैयक्तिक सहायक (मिनिस्टीरियल)	२	निबटाया नही जा सका।
४५	कृषि महाविद्यालय, कानपुर में वनस्पति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक	१	२५ अगस्त, १९५७ को कुछ पूछ-ताछ की गई थी, किन्तु वर्ष की समाप्ति तक उसका कोई उत्तर नही आया।
४६	सहायक बिक्री कर आयुक्त	४	शासन को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्देश भेजने की सलाह दी गई।
४७	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक 'जीव विज्ञान)	५	मागी गई सूचना वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुई।
	योग ...	६५१	

परिशिष्ट ६

अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण

क्रम–सं०	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४
१	पी० एम० एस० (II) (महिला शाखा)	४६	इनमें से ३६ विधिवत् चुनाव होने तक, निरन्तर अस्थायी नियुक्ति के लिये अनु–मोदित किये गये। शेष १० के मामले चरित्रावलियो के अभाव मे निबटाये नहीं जा सके।
२	पी० एम० एस० (II) (पुरुष शाखा)	६१	इनमें से ६० विधिवत् चुनाव होने तक, एक वर्ष से अधिक अवधि की निरन्तर स्थाना–पन्न अस्थायी नियुक्ति के लिये अनुमोदित किए गए। शेष १ के बारे में, जिसने अपना त्याग–पत्र दे दिया था, आयोग नें १ अगस्त, १९५६ से १९ अगस्त, १९५७ तक की उसकी अस्थायी नियुक्ति का कार्योतर अनुमोदन किया।
३	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (एल० टी० ग्रेड) में हिन्दी अध्यापक	३	विधिवत् चुनाव तक निरन्तर अस्थायी नियुक्ति से सहमत।
४	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (एल० टी० ग्रेड) में संस्कृत अध्यापक	५	तदेव
५	चकबन्दी संचालकालय, उत्तर प्रदेश में सहायक लेखा अधिकारी	१	३१ मार्च, १९५८ तक या विधिवत् चुनाव होने तक, जो भी पहले हो, अनुमोदित।
६	आबकारी निरीक्षक ..	१३	आयोग ने परामर्श दिया कि अनियमित रूप से नियुक्त ये आबकारी निरीक्षक एक आसान अर्हकरी उप–परीक्षा में अपनी उपयुक्तता न सिद्ध कर सकने के कारण निरन्तर अस्थायी नियुक्ति के अधिकारी नही हैं और इनकी सेवायें समाप्त कर दी जाय। वर्ष की समाप्ति तक इस मामले मे शासन की आज्ञा नहीं प्राप्त हुई थी।

१	२	३	४
७	सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता	३	जब तक विधिवत् चुने हुये अभ्यर्थियों द्वारा हटा न दिये जायं, तब तक की निरन्तर स्थानापन्न नियुक्ति के लिये अनुमोदित।
८	मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग के वैयक्तिक सहायक (कार्यालय)	१	जब तक वह अपने आत्मस्थानीय (सब्स्टैन्टिव) पद पर प्रत्यावर्तित न कर दिया जाय, तब तक की स्थानापन्न नियुक्ति के लिये अनुमोदित।
९	उत्तर प्रदेश पशु-चिकित्सा सेवा (क्लास दो) में पशुधन क्रय अधिकारी।	१	अननुमोदित। शासन ने सलाह मानकर पद के लिये एक आलेख्य विज्ञापन भेजा।
१०	सिंचाई विभाग में उप-राजस्व अधिकारी	११	दस अनुमोदित, क्योंकि आयोग ने उनको इन्हीं पदो पर स्थायी या स्थानापन्न पदोन्नति के लिये भी संस्तुत किया था। शेष एक का मामला निबटाया नहीं जा सका, क्योंकि चरित्रावली तथा जो सूचना मांगी गई थी, वह १५ मार्च, १९५८ को प्राप्त हुई।
११	निम्न वेतन-क्रम में रासायनिक सहायक	१	विधिवत् चुनाव तक निरन्तर स्थानापन्न नियुक्ति के लिये अनुमोदित।
१२	उद्योग संचालकालय में असिस्टेंट फाइनेंशियल कन्ट्रोलर आफ इन्डस्ट्रीज़, उत्तर प्रदेश	२	३१ मार्च, १९५८ तक या जब तक विधिवत् चुने हुये अभ्यर्थी उनके स्थान पर नियुक्त न कर दिये जायं, जो भी पहले हो, तब तक की निरन्तर स्थानापन्न नियुक्ति के लिये अनुमोदित।
१३	सहायक सूचना संचालक, उत्तर प्रदेश	३	अननुमोदित। आयोग ने परामर्श दिया कि इन पदो को नियमित ढंग से पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा भरा जाय। वर्ष की समाप्ति तक शासन की आज्ञा नहीं मिली।
१४	सहायक विक्रीकर अधिकारी	१	३१ दिसम्बर, १९५७ तक या जब तक उनके स्थान पर कोई विधिवत् चुना हुआ अभ्यर्थी नियुक्त न हो जाय, तब तक आयोग उसकी अस्थायी पदोन्नति से सहमत हुये। बाद में अग्रेतर निर्देश आने पर आयोग उसके कार्यकाल को ३० जून, १९५८ तक रखने के लिये सहमत हुये।

१	२	३	४
१५	मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय में सहायक अभियन्ता (प्राविधिक)	१	विधिवत् चुनाव तक अनुमोदित
१६	मद्य–निषेध तथा समाजोत्थान अधिकारी	१	तदेव
१७	जिला रसद अधिकारी/उप नगर राशनिंग अधिकारी/ एरिया राशनिंग अधिकारी	२४	६ मास की अवधि तक या उस समय तक की निरन्तर अस्थायी नियुक्ति के लिये अनुमोदित, जब तक कि जिला रसद अधिकारी जिला कलेक्शन अधिकारी के पदों से प्रत्यावर्तित होकर इन पदों पर नियुक्त न कर दिये जाय, जो भी पहले हो।
१८	उप-संचालक, पंचायत	१	विधिवत् चुनाव तक अनुभोदित
१९	प्रशासी अधिकारी, मानूनगर उपनिवेशन योजना, जिला रामपुर	१	सामान्य जिला प्रशासन में योजना के विलीनीकरण तक निरन्तर स्थानापन्न नियुक्ति के लिये अनुमोदित।
२०	पावर हाउस इन्स्ट्रक्टर, राजकीय प्राविधिक विद्यालय, गोरखपुर	१	विधिवत् चुनाव तक अनुमोदिन।
२१	पशु पालन संचालक, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय में लेखा अधिकारी	१	तदेव
२२	कालेज आफ आर्ट्स ऐन्ड क्राफ्टस, लखनऊ, में वास्तु–कला में व्याख्याता	१	आयोग ने पद को विज्ञापित करने का सुझाव दिया। पद के अस्थायी पदधारी की नियुक्ति के नियमितकरण के बारे में आयोग ने कुछ सूचना मागी। यह सूचना वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुई।
२३	एच० बी० टी० आई०, कानपुर में अधीक्षक तथा प्राविधिक सहायक (एसेन्शियल आयल स्कीम)	१	पद को विज्ञापन के पश्चात् भरने की सलाह दी गई। सलाह मान ली गई।

१	२	३	४
२४	आगरा चिकित्सा महाविद्यालय में रेजिडेन्ट पैथोलाजिस्ट	१	विधिवत् चुनाव तक अनुमोदित।
२५	संचालक, कारागार उद्योग, उत्तर प्रदेश	१	जब तक विधिवत् चुना हुआ अभ्यर्थी उनके स्थान पर नियुक्त न कर दिया जाय, तब तक की निरन्तर स्थानापन्न नियुक्ति के लिये अनुमोदित ।
२६	चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा, में एनाटमी में डिमान्स्ट्रेटर	१	विधिवत् चुनाव तक अनुमोदित।
२७	चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर में आप्थेल्माजोजी में व्याख्याता	१	पद को विज्ञापन के पश्चात् भरने का परामर्श दिया गया। फिर से निर्देश आने पर आयोग ने जब तक विधिवत् चुना हुआ अभ्यर्थी उस पद पर नियुक्त न कर दिया जाय तब तक की निरन्तर अस्थायी नियुक्ति को अनुमोदित कर दिया।
२८	केन्द्रीय डिजाइन केन्द्र, लखनऊ के सचालक	१	आयोग पदधारी की निरन्तर अस्थायी नियुक्ति से केवल ३१ मार्च १९५९ तक के लिये सहमत हुये और परामर्श दिया कि इस बीच पद को नियमित ढंग से अर्थात् विज्ञापन आदि के बाद भरा जाय। सलाह मान ली गई ।
२९	विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय में विकास उप-आयुक्त (ट्रिज्म)	१	३१ जुलाई, १९५८ तक या नियमित चुनाव होने तक, जो भी पहले हो, अनुमोदित।
३०	पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, योजना, मथुरा में संक्रामक गर्भपात (ब्रूसीलोसिस) अनुसधान योजना उत्तर प्रदेश में अनुसन्धान अधिकारी	१	निरन्तर नियुक्ति के लिये अनुमोदित, जब तक कि भारतीय परिषद्, कृषि अनुसन्धान से किसी अधिकारी की सेवायें, आयोग के परामर्श से, प्राप्त न कर ली जायें।
३१	अन्धों के लिये विद्यालय, लखनऊ के लिये ग्रेजुएट तथा प्रशिक्षित अध्यापक	१	आयोग ने कहा कि पदधारी की अस्थायी नियुक्ति के एक वर्ष से अधिक समय तक चलते रहने की सम्भावना नहीं है। इसलिये इस मामले में उनके अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने बताया कि सम्बन्धित अभ्यर्थी पद के लिये

१	२	३	४
३२	पी० एस० एस० (I) (पुरुष शाखा)	१	नियमित चुनाव तक अनुमोदित ।
३३	स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विभाग में लेखा-परीक्षक	४	तदेव
३४	राजकीय प्राविधिक विद्यालय, झासी में सहायक अध्यापक	१	पद को विज्ञापन के बाद भरने का परामर्श दिया ।
३५	श्रम उप-आयुक्त	१	निरन्तर नियुक्ति के लिये अनुमोदित, जब तक कि आत्मस्थानीय (सब्स्टेन्टिव) पदधारी प्रत्यावर्तित होकर उस पद पर आ न जाय ।
३६	फार्म असिस्टेन्ट	१	आयोग ने १५ मार्च, १९५६ से ३१ अक्तूबर, १९५७ तक की उसकी अस्थायी नियुक्ति का कार्योत्तर अनुमोदन किया ।
३७	चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में पैथोलाजी में डिमान्स्ट्रेटर	१	नियमित चुनाव तक अनुमोदित ।
३८	पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा में मैटीरिया मेडिका में व्याख्याता	१	तदेव
३९	उत्तर प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा	१८	आयोग ने परामर्श दिया कि सब पद विज्ञापन तथा साक्षात्कार के बाद भरे जायं । पदधारियो की निरंतर स्थानापन्न नियुक्ति के बारे में आयोग ने सम्बन्धित कर्मचारियों की चरित्रावलियों को मांगा । ये चरित्रावलियां वर्ष की समाप्ति तक भेजी नहीं गयी थीं ।
४०	नगर तथा ग्राम योजक कार्यालय में सीनियर आर्कीटेक्ट	१	कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया ।
४१	प्रधानाचार्य, कृषि महाविद्यालय, कानपुर	१	नियमित चुनाव तक अनुमोदित ।

१	२	३	४
४२	सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता	३१	२८ की निरंतर अस्थायी नियुक्ति को नियमित चुनाव होने तक अनुमोदित किया। आयोग ने दो की सेवाओं को समाप्त कर देने का परामर्श दिया और शेष एक के बारे में कुछ पूछ-ताछ की। शासन ने आयोग की सिफारिशें को मान लिया। उस एक से सम्बन्धित कागज-पत्र वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नही हुये।
४३	सिंचाई विभाग में सहायक यांत्रिक अभियन्ता	६	निरन्तर स्थानापन्न नियुक्ति के लिये अनुमोदित, जब तक कि नियमित रूप से चुने हुये अभ्यर्थी उपलब्ध न हो जाय।
४४	एच० बी० टी० आई०, कानपुर में अनुसन्धान सहायक (आयल स्टोरेज तथा आयल सोड्स)	१	निरन्तर नियुक्ति के लिये अनुमोदित, जब तक कि आयोग द्वारा चुने हुये अभ्यर्थी उन पदों पर नियुक्त न कर दिये जायं।
४५	प्राविधिक सहायक (आयल सेक्शन)	१	तदेव
४६	ग्रास ब्लोअर	१	तदेव
४७	प्रयोगशाला तथा कर्मशाला सुपरवाइजर	१	आयोग ने १ जून, १९५५ से १५ जनवरी, १९५७ तक की उसकी निरन्तर नियुक्ति को अनुमोदित किया, क्योंकि उसके स्थान पर एक विधिवत् अनुमोदित अभ्यर्थी नियुक्त कर दिया गया था।
४८	प्राविधिक सहायक (अभियंत्रण)	१	आयोग उसकी निरन्तर स्थानापन्न नियुक्ति से सहमत हुये, जब तक कि उसके स्थान पर विधिवत् अनुमोदित अभ्यर्थी नियुक्त न कर दिया जाय।

१	२	३	४
४९	विशेष कार्याधिकारी (पाठ्य-पुस्तकें) के कार्यालय में विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में साहित्यिक सहायक	३	आयोग सहमत नहीं हुये और परामर्श दिया कि वे छः-छः मास का अन्तर देकर एक-एक करके हटा दिये जायं, जिससे काम में हर्ज न हो और उनके स्थान पर उपयुक्त अभ्यर्थी नियुक्त किये जायं। सिफारिश मान ली गई।
५०	पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा में मैटीरिया मेडिका के सहायक प्राध्यापक	१	नियमित चुनाव होने तक की निरन्तर नियुक्ति के लिये अनुमोदित।
५१	आर्थिक बोध निरीक्षक	२५	नियमित चुनाव होने तक १७ को निरन्तर स्थानापन्न नियुक्ति के लिये अनुमोदित किया। शेष ८ के बारे में कार्योत्तर अनुमोदन दिया।
५२	ज्येष्ठ आर्थिक बोध निरीक्षक	२६	नियमित चुनव होने तक अनुमोदित।
५३	जी० सी० टी० आई०, कानपुर में ड्राई क्लीनिंग और स्पाटिंग में इन्स्ट्रक्टर	१	नियमित चुनाव होने तक की निरन्तर नियुक्ति से सहमत।
५४	होजियरी इन्स्ट्रक्टर	१	तदेव
५५	दर्जीगीरी शिक्षक	१	तदेव
५६	राजकीय सीमेन्ट फैक्टरी, चुर्क में प्राजेक्ट इंजीनियर	१	आयोग ने पदधारी की निरन्तर नियुक्ति को अनुमोदित नहीं किया और परामर्श दिया कि पद को विज्ञापन तथा साक्षात्कार के बाद भरा जाय। शासन ने पद को अस्थगित रखने का निश्चय किया।
५७	सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता	१५	१४ की निरन्तर स्थानापन्न नियुक्ति से सहमत हुये और एक को उसके आत्मस्थानीय पद पर प्रत्यावर्तित कर देने की सलाह दी।

१	२	३	४
५८	प्रान्तीय रक्षक दल, मुख्यालय में सहायक कमान्डेंट (नवयुवक कल्याण संगठन)	१	आयोग पदधारी की निरन्तर स्थानापन्न नियुक्ति से १ अप्रैल, १९५७ से ६ मास की और अवधि के लिये, अथवा जब तक कि विधिवत् चुने हुये अभ्यर्थी की नियुक्ति न हो जाय तब तक के लिये सहमत हुये और शासन से पद का आलेख्य विज्ञापन भेजने का अनुरोध किया।
५९	मानसिक चिकित्सा अस्पताल, आगरा में अधीक्षक	१	नियमित चुनाव होने तक निरन्तर नियुक्ति के लिये अनुमोदित।
६०	विद्युत् विभाग में सहायक अभियन्ता	३०	१३ की निरन्तर नियुक्ति से सहमत हुये, जब तक कि उनके स्थान पर विधिवत् चुने हुये अभ्यर्थी नियुक्त न हो जायें। एक के बारे में उसकी सेवाओं को समाप्त करने के लिये लिखा। इन सब मामलों में शासन ने आयोग का परामर्श मान लिया। शेष १६ के मामले चरित्रावलियों के अभाव में निबटाये न जा सके।
६१	क्षेत्रीय संराधन अधिकारी	२	३१ मार्च, १९५८ तक या नियमित चुनाव होने तक, जो भी पहले हो, की निरन्तर स्थानापन्न नियुक्ति से सहमत हुये।
६२	केमिकल एक्जामिनर, उत्तर प्रदेश के द्वितीय तथा तृतीय सहायक	२	आयोग ने अनुमोदित नहीं किया और पदों के लिये आलेख्य विज्ञापन मांगा।
६३	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के वैयक्तिक सहायक	१	पदोन्नति द्वारा नियमित चुनाव होने तक की निरन्तर स्थानापन्न नियुक्ति से सहमत हुये।
६४	सहायक लेखा अधिकारी (उपनिवेशन)	१	३१ मार्च, १९५९ तक की निरन्तर स्थानापन्न नियुक्ति से इस शर्त पर सहमत हुये कि उसके बाद पद तोड़ दिया जायगा।

१	२	३	४
६५	विकास आयुक्त के कार्यालय में अधीक्षक	२	आयोग सहमत नहीं हुये और परामर्श दिया कि इन पदों को सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायकों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाय। यह निर्देश वर्ष की समाप्ति तक नहीं आया।
६६	प्रान्तीय रक्षकदल (मुख्यालय) में सहायक कमान्डेन्ट इन्चार्ज फिजिकल कल्चर	१	आयोग सहमत नहीं हुये और परामर्श दिया कि पहले पद पर भर्ती के सिद्धांत तथा ढंग तय कर लिये जायं। मामले पर वर्ष भर पत्र-व्यवहार होता रहा।
६७	समाज कल्याण संचालकालय, उत्तर प्रदेश में सहायक लेखा अधिकारी	१	नियमित चुनाव होने तक अनुमोदित।
६८	डिप्टी कलेक्टर	२	अननुमोदित। आयोग ने परामर्श दिया कि ये दोनो पद पात्र अभ्य-थियों में से नियमित ढंग से भरे जायं।
६९	सहायक ग्रुप अभियन्ता, रोडवेज केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर	१	आयोग ने पदधारी की निरन्तर अस्थायी नियुक्ति को ३१ मार्च, १९५८ तक के लिये अनुमोदित किया और पद के लिये आलेख्य विज्ञापन शीघ्र ही भेजने का अनुरोध किया।
७०	उत्तर प्रदेश सहकारिता सेवा (क्लास १) में शिक्षा तथा प्रचार अधिकारी	१	अस्थायी पद पर निरन्तर स्थानापन्न नियुक्ति अनुमोदित।
७१	आबकारी निरीक्षक	१	पदधारी की निरन्तर अस्थायी नियुक्ति से सहमत नहीं हुये और परामर्श दिया कि उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायं तथा पद को प्रति-योगितात्मक परीक्षा द्वारा नियमित ढंग से भरा जाय।
७२	पी० एम० एस० (१) में आर्थोपेडिक सर्जन	१	३१ जुलाई, १९५८ तक या नियमित चुनाव तक, जो भी पहले हो, की निरन्तर नियुक्ति के लिये अनुमोदित।

१	२	३	४
७३	श्रम संराधन अधिकारी	२	विधिवत् चुनाव होने तक उनकी निरन्तर स्थानापन्न नियुक्ति से सहमत हुये।
७४	सहायता तथा पुनर्वासन सगठन मे सहायक लेखा अधिकारी	१	३१ मार्च, १९५८ तक उसकी निरन्तर नियुक्ति से सहमत हुए।
७५	केन्द्रीय डेरी फार्म, अलीगढ़ में पिगरी एक्सपर्ट	१	५ सितम्बर, १९५७ से एक वर्ष की और अवधि तक की निरन्तर नियुक्ति को अनुमोदित किया।
७६	राजकीय संस्कृत पाठशालाओं में आधुनिक विषयो के अध्यापक	२	नियमित चुनाव तक के लिये अनुमोदित।
७७	भूमि-सुधार आयुक्त के कार्यालय में लेखा अधिकारी	१	आयोग पदधारी की ३१ मार्च, १९५७ के बाद की निरन्तर अस्थायी नियुक्ति से सहमत नहीं हुये और अपने पूर्व निश्चय पर बल दिया कि पद विज्ञापन के बाद भरा जाय। पदधारी की निरन्तर नियुक्ति के मामले में शासन ने परामर्श मान लिया, किन्तु पद के लिये आलेख्य विज्ञापन के बारे में उन्होने इस बात पर बल दिया कि इसको पदोन्नति द्वारा भरा जाय। मामले पर आयोग विचार कर ही रहे थे कि वर्ष समाप्त हो गया।
७८	गन्ना निरीक्षक	६	आयोग ने तीन के बारे में कार्योत्तर अनुमोदन दिया और शेष कर्मचारियों की निरन्तर नियुक्ति को तब तक के लिए अनुमोदित किया जब तक कि विधिवत् चुने हुये अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके स्थानो पर न हो जाय। सिफारिश मान ली गई।
७९	संचालक, मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद	१	आयोग ने पद को विज्ञापन के बाद भरने का परामर्श दिया।

१	२	३	४
८०	ज्येष्ठ अनुसन्धान मनो-वैज्ञानिक, मनोविज्ञान शाला, इलाहाबाद	२	आयोग ने परामर्श दिया कि एक पद पदोन्नति द्वारा तथा दूसरा सीधी भर्ती द्वारा भरा जाय।
८१	अंशकालिक सब-रजिस्ट्रार	१०	आयोग तीन अधिकारियो की निरन्तर नियुक्ति से नियमित चुनाव होने तक सहमत हुये। शेष सात अभ्यर्थियो की उपयुक्तता के बारे में आयोग ने अपनी कोई राय देने से इनकार कर दिया और सुझाव दिया कि पहले सेवा नियमावली बन जाय।
८२	उप संचालक, यन्त्रीकृत राज्य प्रक्षेत्र, उत्तर प्रदेश	१	आयोग ने पदधारी की नियुक्ति का कार्योत्तर अनुमोदन ११ दिसम्बर, १९५४ से उसके प्रत्यावर्त्तन की तिथि तक दिया।
८३	प्लानिंग रिसर्च ऐन्ड ऐक्शन इन्स्टीटयूट, उत्तर प्रदेश में सहकारिता के विशेषज्ञ के सीनियर एसोशियेट	१	आयोग ने परामर्श दिया कि चूंकि पद स्पेशलिस्ट प्रकार का है, इसलिये उसको विज्ञापन के बाद भरा जाना चाहिये। सिफारिश मान ली गई।
८४	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा	२२	पदोन्नति द्वारा नियमित चुनाव होने तक के लिये १९ की निरन्तर नियुक्ति को अनुमोदित किया। शेष तीन के मामले कुछ सूचना के अभाव में निपटाये न जा सके।
८५	प्रयोगशाला सहायक तथा मेकेनिक	१	आयोग ने पदधारी की १९ मार्च, १९५३ से ३१ दिसम्बर, १९५५ तक की अस्थायी नियुक्ति का कार्योत्तर अनुमोदन दिया और कहा कि पद पर एक अनुपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त करना वांछनीय नहीं था।
८६	पी० एम० एस० (महिला) (प्रथम)	१	आयोग ने पदधारी की १ जनवरी, १९५७ से २६ अगस्त, १९५७ तक की निरन्तर स्थानापन्न नियुक्ति का कार्योत्तर अनुमोदन दिया।

१	२	३	४
८७	सिंचाई विभाग में सहायक कृषि अभियन्ता रिग्ज	२	इन दोनो के मामलों को आयोग के पुनर्विचारार्थ लौटाया गया था। पुनर्विचार के बाद भी आयोग उनकी निरन्तर स्थानापन्न नियुक्ति से सहमत नहीं हुये और अपने पूर्वमत को फिर दुहराया कि इनकी सेवायें समाप्त कर दी जाय। सलाह मान ली गई।
८८	अतिरिक्त ज़िला गन्ना अधि-कारी (राजपत्रित)	१	आयोग ने पद पर पदधारी की १ अप्रैल, १९५३ से ३१ अक्तूबर, १९५४ तक की अस्थायी नियुक्ति का कार्योत्तर अनुमोदन दिया।
८९	संचालक, हार्टीकल्चरल रिसर्च इन्स्टीटयुट, सहारनपुर	५	आयोग ने सभी पात्र अभ्यर्थियो की चरित्रावलियो का अवलोकन किया और पदोन्नति द्वारा नियमित चुनाव तक पद के पदधारी को निरन्तर स्थानापन्न नियुक्ति से सहमत हुये।
९०	पंचायत निरीक्षक	१५	नियमित चुनाव तक अनुमोदित।
९१	राजकीय कृषि महाविद्यालय, कानपुर के प्रधानाचार्य के सहायक	१	तदेव
९२	संशोधन अधिकारी	१	३० सितम्बर, १९५७ तक की निरन्तर अस्थायी नियुक्ति से सहमत।
९३	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में एम्ब्रियोलाजी में व्याख्याता	१	पदधारी की निरन्तर अस्थायी नियुक्ति से जून १९५७ ई० से सात मास की और अवधि के लिये सहमत हुये।
९४	राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ में विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सिरेमिक्स में व्याख्याता	१	पदधारी की निरन्तर अस्थायी नियुक्ति से सहमत नहीं हुये और परामर्श दिया कि पहले पद के लिये अर्हताओं आदि का निश्चय कर लिया जाय।

१	२	३	४
९५	विद्यालय प्रति–उप–निरीक्षक	६	पांच की निरन्तर अस्थायी नियुक्ति से सहमत हुये, जब तक कि उनके स्थान पर विधिवत् चुने हुये अभ्यर्थियों की नियुक्ति न हो जाय और एक के बारे में आयोग ने जितनी वास्तविक अवधि तक उसने कार्य किया था, उतनी अवधि तक के लिये अपना कार्योत्तर अनुमोदन िया।
९६	आबकारी निरीक्षक	३	उनकी निरन्तर अस्थायी नियुक्ति से सहमत हुये, जब तक कि आगामी प्रतियोगितात्मक परीक्षा न हो जाय।
९७	अतिरिक्त कृषि संचालक, उत्तर प्रदेश	१	आयोग ने पदधारी को २५ सितम्बर, १९५५ से १६ नवम्बर, १९५६ ई० तक की अस्थायी नियुक्ति का कार्योत्तर अनुमोदन दिया।
९८	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	४	अननुमोदित। आयोग ने परामर्श दिया कि पद नियमित ढग से भरा जाय।
९९	राजकीय प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र, नैनीताल में प्राक्टर–तथा-छात्रावास अधीक्षक	१	अननुमोदित। आयोग ने परामर्श दिया कि पदधारी के स्थान पर शीघ्र ही उपयुक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति की जाय।
१००	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में रेजीडेन्ट पैथालाजिस्ट (अस्पताल)	१	पद का विज्ञापन विफल हो जाने पर आयोग ने उस अभ्यर्थी को अनुमोदित किया, जिसको महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने चुना और नियुक्त किया था।
१०१	अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक सख्याविद्	१	अनुमोदित, क्योंकि आयोग पहले ही उसको आरक्षित सूची में चुन चुके थे।
१०२	कानपुर टेक्स्टाइल मिल रेशनालाइजेशन जांच समिति में सहायक श्रमायुक्त–तथा–सदस्य–सचिव	१	निरन्तर अस्थायी नियुक्ति के लिये अनुमोदित क्योंकि सम्बन्धित कर्मचारी बहुत समय से पद पर कार्य कर रहा था और पद की अवधि भी शीघ्र ही समाप्त होने वाली थी।
	योग	४८३	

परिशिष्ट ६–क

नियमितकरण के वे मामले, जो १ अप्रैल, १९५८ ई० तक निबटाये नहीं गये थे।

क्रम–संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिन पर विचार करना था	अभ्युक्ति
१	२	३	४
१	सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता	६	कुछ सूचना के अभाव में निबटाया नहीं जा सका।
२	राजकीय काष्ठ शिल्प विद्यालय, बरेली में मशीन टूल इन्स्ट्रक्टर	१	२१ मई, १९५७ को मांगी गई सूचना वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुई थी।
३	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक	४४	२२ अगस्त, १९५७ को कुछ पूछ–ताछ की गई थी, किन्तु शासन का उत्तर वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुआ।
४	मुख्य लेखा निरीक्षक	४	निबटाया नहीं जा सका, क्योंकि शासन ने इन पदों को आयोग के विचार–क्षेत्र में रखने का आदेश नहीं जारी किया था।
५	ज्येष्ठ लेखा निरीक्षक	२२	
६	कोषागार अधिकारी	१	निबटाया नहीं जा सका, क्योंकि मांगी गई सूचना वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त हुई।
७	अंशकालिक सब–रजिस्ट्रार	६	निबटाया नहीं जा सका, क्योंकि शासन ने मुख्य निबन्धन लिपिकों की, अपने कर्त्तव्यों के साथ–साथ, अंशकालिक सब–रजिस्ट्रार के पदों पर पदोन्नति के लिये आलेख्य नियमों को अन्तिम रूप में है नहीं किया था।

१	२	३	४
८	सिंचाई विभाग में सहायक कृषि अभियन्ता	२	जिन कर्मचारियों की चरित्रावलियाँ मांगी गई थीं, वे वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुईं।
९	संस्कृत पाठशालाओं के सहायक निरीक्षक	३	पात्र अभ्यर्थियो की सूची तथा चरित्रावलियां, जो मांगी गई थीं, वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुईं।
१०	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में शारीरिक शिक्षा में व्याख्याता/इन्स्ट्रक्टर	५	सूचना तथा चरित्रावलियां, जो मांगी गई थीं, वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुईं।
११	सिंचाई विभाग (कर्मशाला केन्द्र में ड्राफ्ट्समैन)	२	मांगी गई सूचना वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुई थी।
१२	वोकेशनल गाइड	१०	तदेव
१३	सहायक मनोवैज्ञानिक	६	तदेव
१४	सरोजनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में सर्जरी में रीडर	१	मांगी गई चरित्रावली वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुई थी।
१५	मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के वैयक्तिक सहायक (कार्यालय)	१	निबटाया नहीं जा सका।
१६	पिगरी एक्सपर्ट के अंडर-स्टडी, सेन्ट्रल डेरी फार्म, अलीगढ	१	निबटाया नहीं जा सका, क्योंकि १८ फरवरी, १९५८ को मांगी गई सूचना वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुई थी।
१७	ब्वायलर्स के निरीक्षक	१	वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त।
१८	मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश में वोकेशनल गाइड अधिकारी	१	कुछ सूचना तथा चरित्रावलियों के अभाव में निबटाया नहीं जा सका।
१९	मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश में संख्याविद्	१	
२०	मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश में टस्टर	१	

१	२	३	४
२१	उत्तर प्रदेश सहकारिता सेवा (क्लास दो) में सहायक कृषि अधिकारी	१	पदधारी की चरित्रावली में कुछ प्रविष्टियां नहीं थी, जिनकी मांग की गई, किन्तु वे वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुई ।
२२	प्रधानाचार्य, कानपुर चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर के वैयक्तिक सहायक	१	चूंकि निर्देश वांछित प्राधिकारी की ओर से नहीं प्राप्त हुआ था, इसलिये शासन के पास समुचित कार्यवाही के लिये भेज दिया गया ।
२३	पी० एस० एम० (पुरुष शाखा) (द्वितीय)	५	शासन ने इन अधिकारियों के बारे में विवरण वर्ष की समाप्ति के समय भेजा।
२४	विद्युत् विभाग में ओवरसियर	१	कुछ सूचना के अभाव में निबटाया नहीं जा सका।
२५	वैद्य	१	पदधारी के विषय में जो विवरण मागा गया था, वह वर्ष की समाप्ति तक नही प्राप्त हुआ।
२६	सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता	३०	निबटाया नहीं जा सका ।
२७	पी० एम० एस० (द्वितीय)	१	कुछ सूचना के अभाव में निबटाया नही जा सका।
२८	पशुपालन संचालक के वैयक्तिक सहायक	१	वर्ष की समाप्ति के समय प्रा त।
२९	चर्म कर्म विद्यालय कानपुर में प्रथम इन्स्ट्रक्टर	१	तदेव
३०	स्थानीय स्वशासन अभियन्त्रण विभाग में सहायक अभियन्ता	२०	अद्यावधिक चरित्रावलिया वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुई थीं ।
३१	पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा में प्रक्षेत्र प्रबन्धक तथा डेरीइंग और फार्म मैनेजमेंट में व्याख्याता	१	कुछ सूचना के अभाव में निबटाया नहीं जा सका।

१	२	३	४
३२	ट्रेड यूनियनों के उप निबन्धक	१	वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त।
३३	श्रम आयुक्त के संगठन में स्टैंन्डिग आर्डर्स आफिसर	१	
३४	क्षेत्रीय समाज कल्याण अधिकारी	२	कुछ सूचना के अभाव में निबटाया नहीं जा सका।
३५	सिंचाई विभाग में लेखा अधिकारी	१	कुछ सूचना तथा चरित्रावलियों के अभाव में निबटाया नहीं जा सका।
३६	सार्वजनिक निर्माण विभाग में ओवरसियर	३१	निबटाया नहीं जा सका।
३७	पी० एम० एस० (प्रथम)	२१	१० जुलाई, १९५७ को मांगी गई सूचना तथा चरित्रावलियों को शासन ने वर्ष की समाप्ति तक नहीं भेजा था।
३८	अधीनस्थ सहकारी सेवा (ग्रुप दो)	१	कुछ सूचना तथा सम्बन्धित अधिकारी की चरित्रावली के अभाव में निपटाया नहीं जा सका।
३९	राजकीय प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र, नैनीताल में कर्मशाला अधीक्षक	२	कुछ सूचना के अभाव में निबटाया नही जा सका।
४०	राजकीय प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र, गोरखपुर में कर्मशाला अधीक्षक	१	तदेव
४१	सहकारिता विभाग में लेखा अधिकारी (बीज)	१	पदधारी की अद्यावधिक चरित्रावली तथा कुछ सूचना के अभाव में निबटाया नहीं जा सका।
४२	जिला पशु-धन अधिकारी	१	तदेव
४३	सहकारी निरीक्षक	१३३	तदेव
४४	उपनिवेशन विभाग में सहकारी निरीक्षक	१	कुछ सूचना के अभाव में निबटाया नही जा सका।
४५	प्रधानाचार्य जनता महाविद्यालय	२	एक नियमित निर्देश भेजने के लिये लिखा गया।
	योग .	३८१	

परिशिष्ट ७

ऐसे कर्मचारियों के पुष्टिकरण के मामले, जो प्रारम्भ में सीधी भर्ती द्वारा आयोग के परामर्श से अस्थायी पदों पर नियुक्त किये गये थे।

क्रम संख्या	सेवा या पद	कर्मचारियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	अभ्युक्ति
१	सरोजनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में आर्थोपीडिया में व्याख्याता	१	अनुमोदित
२	राजकीय काष्ठ-शिल्प विद्यालय, इलाहाबाद में कैबिनेट इन्स्ट्रक्टर	१	अननुमोदित। आयोग ने परामर्श दिया कि यदि पद का विज्ञापन निकाला जाय, तो संभावना है कि अधिक उपयुक्त अभ्यर्थी आवेदन-पत्र दें।
३	सिंचाई विभाग में ओवरसियर	१	अननुमोदित ।
४	प्राविधिक अधिकारी, कृषि सूचनाशाला, उत्तर प्रदेश	१	अनुमोदित।
५	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा	२	अननुमोदित। आयोग ने पदों को विज्ञापित करने की सलाह दी।
६	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (एल० टी० ग्रेड)	३५	तदेव
७	अधीनस्थ कृषि-सेवा (ग्रुप दो)	२	अनुमोदित।
८	विधान सभा सचिवालय मे हिन्दी प्रतिवेदक	२	तदेव
९	सराधन अधिकारी	३	दो को अनुमोदित किया और एक के बारे में परामर्श दिया कि उसका मामला एक वर्ष बाद फिर भेजा जाय।

१	२	३	४
१०	सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में ओवरसियर	८	अननुमोदित । आयोग ने परामर्श दिया कि उनके काम की देख-रेख एक वर्ष तक और की जाय ।
११	ज्येष्ठ अन्वेषक	१	तदेव
१२	संकलन सहायक	१	तदेव
१३	आर्थिक बोध निरीक्षक	१	तदेव
१४	अधीक्षक (बिक्री तथा आढ़तें) उत्तर प्रदेश हैन्डीक्राफ्ट्स	१	तदेव
१५	सहायक प्रबन्धक (बिक्री)	३	एक को अनुमोदित किया। आयोग ने अन्य दो पदों को विज्ञापित करने का परामर्श दिया।
१६	अधीक्षक (स्टोर्स)	१	पद को विज्ञापित करने का परामर्श दिया।
१७	पी०एम०एस० (दो)	३	दो को पुष्टिकरण के लिये अनुमोदित किया और यह सिफारिश की कि तीसरे की सेवायें समाप्त कर दी जायं।
१८	पी०एस०एम०एस०	१	२८ मार्च, १९५८ ई० को अभ्यर्थी का साक्षात्कार करने के बाद उसको अनुमोदित किया।
१९	आर्थिक बोध एवं संख्या संचालकालय में आर्थिक बोध निरीक्षक	११	आयोग को कोई निदेश भेजे बिना ही इन सब को १९५५ में स्थायी कर दिया गया था। इसलिये आयोग ने उनकी नियुक्ति का कार्योत्तर अनुमोदन दिया।
२०	ज्येष्ठ अन्वेषक	२	
२१	सकलन सहायक	१	
२२	साख्यकाय सहायक	५	

१	२	३	४
२३	सहायक विद्युत निरीक्षक	३	एक को अनुमोदित किया। एक अनुपयुक्त पाया गया और आयोग ने परामर्श दिया कि उसके द्वारा धारित पद विज्ञापित किया जाय। तीसरे के बारे में नियुक्ति (ख) विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या १५७१/२-बी—५०-५५, दिनांक १५ मई, १९५६ के अनुसार एक समुचित निर्देश भेजा जाय। शासन ने एक के बारे में आयोग का परामर्श मान लिया और शेष दोनों मामलो को आयोग के पुनर्विचारार्थ २८ मार्च, १९५८ को लौटा दिया।
२४	ब्वायलर्स के निरीक्षक	१	अनुमोदित
२५	एच० बी० टी० आई०, कानपुर में प्राविधिक सहायक	२	तदेव
२६	राजकीय प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेन्ट्स फैक्टरी, लखनऊ में सहायक अभियन्ता	२	आयोग सहमत हुए कि दो वर्ष का परीक्षण-काल सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर उनको स्थायी कर दिया जाय।
२७	राजकीय प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेन्ट्स फैक्टरी में सहायक लेखा अधिकारी	१	अनुमोदित
२८	मत्स्य मार्केटिंग अधिकारी	३	आयोग ने तीन के मामलों को देखा और ज्येष्ठतम को स्थायीकरण के लिये संस्तुत किया।
२९	मद्यनिषेध तथा समाजोत्थान अधिकारी	१	अनमोदित। आयोग ने कर्मचारी की सेवाओ को समाप्त कर देने का परामर्श दिया।
३०	डिप्टी कलक्टर	१	अननुमोदित। आयोग ने एक वर्ष तक और उसके काम की जांच करने का परामर्श दिया।

१	२	३	४
३१	सहायक ग्रूप अभियन्ता, राजकीय केन्द्रीय कर्मशाला (रोडवेज)	२	अननुमोदित। आयोग ने पदो को विज्ञापित करने का परामर्श दिया।
३२	सूचना सचालकालय में प्रवर वर्ग सहायक	९	इस बात से सहमत हुये कि एक वर्ष की परीक्षण-काल की अवधि को सन्तोषपूर्वक पूरा कर लेने पर उनको स्थायी कर दिया जाय।
३३	सूचना सचालकालय में लेखापाल	३	
३४	सूचना संचालकालय में आशुलिपिक	१	
३५	बिक्री-कर-अधिकारी	६	पुनर्विचार के बाद आयोग इस बात से सहमत हुये कि ४ के कार्यों की जाच एक वर्ष तक और की जाय और परामर्श दिया कि शेष दोनो, बार-बार अनुपयुक्त ठहराये जाने के कारण, नौकरी से अलग कर दिये जाय। शासन सहमत न हुये और इस बात पर जोर दिया कि इन दोनो के कार्यों की भी एक वर्ष तक और जांच की जाय। मामले पर पत्र-व्यवहार हो ही रहा था कि आलोच्य वर्ष समाप्त हो गया।
३६	सहायक मुख्य प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज	१	अनुमोदित
३७	सर्विस मैनेजर, उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज	१	तदेव
३८	उद्योग संचालकालय में स्टोर्स पर्चेज सेक्शन में परीक्षक	३	तदेव
३९	प्राविधिक अधिकारी (फार्मेसीज तथा डिस्टिलरीज)	१	तदेव

१	२	३	४
४०	संराधन अधिकारी	१	अननुमोदित। आयोग ने परामर्श दिया कि उसकी सेवायें समाप्त कर दी जाय।
४१	सहायक अनुबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश	१	अननुमोदित।
४२	पुलिस उपअधीक्षक	१	अननुमोदित।
४३	सहायक उत्पादन फोरमैन, राजकीय प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेन्ट्स फैक्टरी, लखनऊ	१	चरित्रावलियों के अभाव में निबटाया नही जा सका।
४४	फोरमैन निरीक्षण, राजकीय प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेन्ट्स फैक्टरी, लखनऊ	१	तदेव
४५	अधीनस्थ कृषि सेवा (ग्रूप ए ६)	१२	निबटाया नहीं जा सका।
४६	अधीनस्थ कृषि सेवा (ग्रूप दो)	६२	तदेव
४७	उद्योग निरीक्षक	७	कुछ सूचना तथा चरित्रावलियों के अभाव में निबटाया नही जा सका।
४८	ओवरसियर	१	तदेव
४९	खाल विकास अधिकारी	१	चरित्रावलियों के अभाव में निबटाया नही जा सका।
५०	सहायक अभियंता, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग	१२	चरित्रावलियों में अद्यावधिक प्रविष्टियों के अभाव में निबटाया नहीं जा सका।
५१	न्यायिक अधिकारी	६०	शासन ने अनुरोध किया कि मामले को कुछ दिनों के लिये स्थगित कर दिया जाय।

१	२	३	४
५२	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में शिशु-रोगों में व्याख्याता	१	वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त।
५३	जिला पशु धन अधिकारी (राजपत्रित) ..	१	तदेव
५४	परिवहन संगठन में लेखा अधिकारी ...	७	कुछ सूचना तथा चरित्रावलियों के अभाव में नि टाया नहीं जा सका।
५५	सहायक अभियन्ता, सिचाई विभाग ..	१	वर्ष की समाप्ति के साथ प्राप्त।
५६	सहायक विकास आयुक्त (३ पद) ..		आयोग ने परामर्श दिया कि इन सभी पदो को विज्ञापन और साक्षात्कार के बाद भरा जाना चाहिये। शासन ने सलाह नहीं मानी और मामले को पुर्नविचारार्थ फिर भेजा। मामले पर पत्र-व्यवहार हो ता रहा।
५७	डिप्टी प्रोजेक्ट अधिवासी अधिकारी (५ पद) ..		
५८	प्रधानाचार्य, ट्रेनिंग-कम-एक्सटेन्शन सेंटर (१ पद) ..		
५९	खन्ड विकास अधिकारी (२७ पद) ..		पात्रता तथा ज्येष्ठता सूची और चरित्रावलियो के अभाव में निबटाया नहीं जा सका।

योग ... २९८

परिशिष्ट ८

असाधारण चोट या पारिवारिक पेंशनों और/अथवा उपदानों के सम्बन्ध में सन् १९५७–५८ के अन्तर्गत निम्नांकित व्यक्तियों के दावे प्राप्त हुये :—

(१) पी० ए० सी०, कानपुर की १४वीं बटालियन के हेड कान्स्टेबिल, श्री मुहम्मद शब्बीर।

(२) नार्थ मुरादाबाद, ट्यूबवेल सर्किल आयलर, श्री अजीजुल हक की विधवा।

(३) बाराबंकी जिला के श्री शिव बालक, एक्स, पटवारी।

(४) तराई व भाबर फारेस्ट डिवीजन के स्वर्गीय नायब दरोगा, श्री बंशीधर पान्डेय का परिवार।

(५) तराई तथा भाबर फारेस्ट डिवीजन के स्वर्गीय फारेस्ट गार्ड, श्री उर्बादत्त जोशी के माता–पिता।

(६) रेलवे रक्षा पुलिस "ए" सेक्शन आगरा के स्वर्गीय हेड कान्स्टेबिल, श्री शिव–सिंह के माता–पिता।

(७) चौदहवीं पी० ए० सी० बटालियन, मुरादाबाद के स्वर्गीय कान्स्टेबिल श्री चंचल सिंह का परिवार।

(८) स्टैलियन विभाग, मुरादाबाद के ग्रास कटर, श्री खदे के परिवार।

(९) हरदोई जिला पुलिस के कान्स्टेबिल, श्री रियाज अली।

(१०) गोंडा जिला पुलिस के स्वर्गीय हेड कान्स्टेबिल, श्री गोरख राय का परिवार।

(११) देहरादून जिला पुलिस के स्वर्गीय कान्स्टेबिल, श्री शम्भू प्रसाद की विधवा।

(१२) मुरादाबाद जिला पुलिस के स्वर्गीय सब–इन्स्पेक्टर, श्री प्रीतम सिंह गिल का परिवार।

(१३) मुरादाबाद जिला पुलिस के स्वर्गीय सब–इन्स्पेक्टर, श्री विश्वनाथ बहुगुना का परिवार।

(१४) स्वास्थ्य के जिला चिकित्सा अधिकारी, गढ़वाल के साथ तैनात स्वर्गीय ड्राइवर, श्री इन्द्र सिंह का परिवार।

(१५) १४ वीं पी० ए० सी० बटालियन, कानपुर के हेड कान्स्टेबिल, श्री दीनानाथ मिश्र।

(१६) मुरादाबाद जिला पुलिस के स्वर्गीय कान्स्टेबिल, श्री घनानन्द की विधवा।

(१७) पंचायत निरीक्षक कार्यालय, हसनपुर के स्वर्गीय चपरासी, श्री करन सिंह की विधवा।

(१८) देवरिया जिला पुलिस के स्वर्गीय सब–इन्स्पेक्टर, श्री रामसेवक सिंह का परिवार।

(१९) झांसी जिला पुलिस के स्वर्गीय कान्स्टेबिल, श्री पुन्नू खां का परिवार।

(२०) सीतापुर के जिला पुलिस के स्वर्गीय कान्स्टेबिल, श्री राम केवल सिंह का

(२२) देहरादून फारेस्ट डिवीजन के स्वर्गीय फारेस्ट गार्ड, श्री कन्हैया सिंह का परिवार।

(२३) नैनीताल जिला पुलिस के स्वर्गीय कान्स्टेबिल, श्री हरिश्चन्द्र का परिवार।

(२४) हरदोई जिला के स्वर्गीय कलेक्शन चपरासी, श्री बटेश्वर दयाल का परिवार।

(२५) दूसरी पी० ए० सी० बटालियन, मुरादाबाद के स्वर्गीय कान्स्टेबिल, श्री मुहीयुद्दीन का परिवार।

(२६) मुरादाबाद जिला पुलिस के स्वर्गीय कान्स्टेबिल, श्री नन्द किशोर का परिवार।

(२७) देहरादून जिला पुलिस के स्वर्गीय कान्स्टेबिल, श्री बेचन सिंह की विधवा।

(२८) पीलीभीत जिला पुलिस के स्वर्गीय सब-इन्स्पेक्टर श्री हरी राज सिह का परिवार।

(२९) पीलीभीत जिला पुलिस के स्वर्गीय सब-इन्स्पेक्टर श्री हरिराज सिह की मृत्यु क बाद पैदा हुई उनकी सन्तान।

(३०) मेरठ जिला पुलिस के स्वर्गीय सब-इन्स्पेक्टर, श्री महेन्द्र प्रतापसिह का परिवार।

(३१) वाराणसी जिला पुलिस के स्वर्गीय कान्स्टेबिल, श्री बिन्देश्वरी सिह की विधवा।

(३२) बलिया जिला पुलिस के स्वर्गीय कान्स्टेबिल, श्री तुलसी राम का परिवार।

(३३) आगरा जिला पुलिस के रिजर्व सब-इन्स्पेक्टर, श्री आर० के० चक्रवर्ती।

(३४) नैनीताल जिला पुलिस के स्वर्गीय हेड कान्स्टेबिल, श्री गंगादत्त की विधवा।

परिशिष्ट ९

१—श्री एम० एम० अरोन, ओवरसियर, सिचाई विभाग के विरुद्ध इंडियन पेनल कोड की धारा १६१ के अन्तर्गत दायर किये गये मुकदमे में उनके द्वारा अपनी पैरवी करने में किये हुये व्यय के प्रत्यर्पण का दावा ।

२—श्री महीप नारायण सिह, निरीक्षक, सी० आई० डी० विभाग के विरुद्ध इंडियन पेनल कोड की धाराओ ५००/४०४ के अन्तर्गत दायर किये गये एक फौजदारी के मकदने में उनके द्वारा अपनी पैरवी करने में किये हुये व्यय के प्रत्यर्पण का दावा।

परिशिष्ट १०

सेवाओ तथा पदो के लिये नियमावलियां

१—समाज कल्याण संचालकालय, उत्तर प्रदेश में रेस्क्यू आफिसर के पदो के लिये अर्हतायें।

२—उत्तर प्रदेश सचिवालय के विधान विभाग में विधिक भाषा सहायक के पद के लिये आलेख्य नियमावली।

३—सिचाई विभाग मे सहायक अभियन्ता (यात्रिक) के पदो के लिये अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने के हेतु स्वीकृत रेलवे वर्कशाप तथा फर्म।

४—चकबन्दी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारियो के पदो के लिये आलेख्य नियमावली।

५—पी० एम० एस० (महिला) प्रथम में सेलेक्शन ग्रेड के पदों पर पदोन्नति के लिये तदर्थ नियम।

६—सिचाई विभाग के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा में सहायक अभियन्ता के पदो पर पदोन्नति के लिये अर्हकरी—परीक्षा के हेतु नियम तथा पाठ—विधि।

७—जेल ट्रेनिंग स्कूल, लखनऊ मे मनोविज्ञान में पूर्णकालिक व्याख्याता के पद के लिये अर्हतायें।

८—उत्तर प्रदेश जेल अधिशासी (जेल अधीक्षक) सेवा मे चुनाव के लिये प्रस्तावित प्रतियोगिता परीक्षा के लिये पाठ—विधि।

९—स्थानीय स्वशासन अभियन्त्रण विभाग मे अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा के लिये आलेख्य नियमावली।

१०—सहायक सचिव, विधान सभा के पद के लिये चुनाव करने के हेतु तदर्थ सिद्धान्तों में सशोधन।

११—उत्तर प्रदेश आर्थिक बोध सेवा नियमावली में संशोधन।

१२—उत्तर प्रदेश अधीनस्थ गन्ना सेवा के लिये आलेख्य नियमावली।

१३—श्रम विभाग में लेखा तथा हार्उसिग निरीक्षक के पदों के लिये अर्हताओं आदि में संशोधन।

१४—अधीनस्थ सहकारी सेवा के लिये आलेख्य नियमावली।

१५—न्यायिक अधिकारियो के लिये कालिक वेतन—क्रम में ४९० रु० तथा ६४० रु० पर दक्षता—रोक लागू करना।

१६—अर्थ एवं संख्या विभाग में निर्देश लिपिक तथा कोषाध्यक्ष सहित लेखापाल के पदो पर पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें तथा चुनाव के स्रोत।

१७—उत्तर प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियन्त्रण सेवा नियमावली १९५६ के नियम १९(१)(२) में संशोधन।

१८—पंचायत राज संचालकालय में पत्रकार के पद के लिये अर्हतायें।

१९—श्रम सगठन मे कल्याण निरीक्षक के पद के लिये अर्हतायें।

२०—तहसीलदारो, नायब तहसीलदारो तथा पेशकारो के कालिक वेतन—क्रमो में

२१—नायब तहसीलदारो तथा पेशकारो की सेवा नियमावलियो के नियम २३ व २४ मे क्रमशः सशोधन ।

२२—विविध राज्य सेवाओ के लिये चुनाव करने के हेतु एक सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा लेने का प्रश्न ।

२३—सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायको के पदो के लिये, विविध राज्य सेवाओं के लिये प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा लेने का प्रश्न ।

२४—उत्तर प्रदेश वन सेवा नियमावली के नियमो ५(क), ९(एक), ९(दो), १२, १४(३), १६ तथा १९ में सशोधन ।

२५—उत्तर प्रदेश चिकित्सा सेवा (क्लास १) नियमावली के नियम २४ में संशोधन ।

२६—असिस्टेन्ट केमिकल एक्जामिनर सेवा के लिये आलेख्य नियमावली ।

२७—शिक्षा प्रसार कार्यालय में फिल्म एडीटर के पद के लिये अर्हतायें ।

२८—राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों के पदो पर पदोन्नति के लिये चुनाव करने के हेतु प्रक्रिया ।

२९—राजकीय डिग्री महाविद्यालयो, रामपुर, ज्ञानपुर तथा नैनीताल मे शारीरिक शिक्षा के इन्स्ट्रक्टर के पदो के लिये अर्हतायें ।

३०—ए० एन० झा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रुद्रपुर में फार्म इन्सपेक्टर (ग्रुप १) के पद के लिये अर्हताये ।

३१—सम्बन्धित सरकारी नौकरो को उनकी प्रतिकूल प्रविष्टियो की सूचना देने की प्रक्रिया ।

३२—सरकारी नौकरो के कार्य तथा चालचलन की गोपनीय रिपोर्टो के लिखने के लिये एक स्टैन्डर्ड फार्म का निर्धारण ।

३३—काउन्सिल हाउस के सहायक केयरटेकर को प्रवर तथा अवर वर्ग सहायको की परीक्षा में बैठने देने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सामान्य सचिवालय अराजपत्रित कर्मचारिवर्ग सेवा नियमावली में सशोधन ।

३४—उत्तर प्रदेश सामान्य सचिवालय अराजपत्रित कर्मचारिवर्ग नियमावली के नियमो ८ (४), १६, २१, २२, ३४, ३९, ४० तथा ४५ में संशोधन ।

३५—उत्तर प्रदेश सामान्य सचिवालय अधीक्षक सेवा नियमावली के नियमो ३, ५ व ७ में सशोधन ।

३६—आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन विभिन्न पदो तथा सेवाओं मे पचवार्षिक दक्षता–रोको को लागू करना तथा दक्षता–रोको को पार करने की कसौटियो को निर्धारित करना ।

३७—उत्तर प्रदेश असैनिक (अधिशासी) सेवा नियमावली में १,०००–५०–१,२५० रु० का एक विशेष सेलेक्शन ग्रेड लागू करने के सम्बन्ध में नियमो २५ तथा २७ (३) (ख) में संशोधन ।

३८—उत्तर प्रदेश अधीनस्थ वन सेवा नियमावली में परिशिष्ट 'क' के नियम ११ (क) मे संशोधन ।

३९—उत्तर प्रदेश असैनिक (न्यायिक) सेवा नियमावली के नियम १० (२) के चौथे परन्तुक को निकाल देना ।

४०—राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो में प्राविधिक पाठविधियो के लिये

४१—सहायक बिक्री-कर आयुक्त के पदों पर पदोन्नति के लिये चुनाव करने की प्रक्रिया।

४२—उत्तर प्रदेश सूचना संचालकालय में पत्रकार, अनुवादक तथा-स्क्रूटिनाइजर के पदो पर पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तों, चुनाव की प्रक्रिया तथा चुनाव समिति का निर्धारित करना।

४३—उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज़ के मुख्य प्रबन्धक के पदो पर चुनाव करने का ढंग।

४४—प्रति उप-रोजगार (एम्पलायमेन्ट) अधिकारी के पदो पर चुनाव करने के स्रोत।

४५—सहायक ज़िला रोजगार अधिकारी के पदो पर चुनाव करने के स्रोत।

४६—उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक के पदो पर चुनाव करने के लिये सिद्धान्त।

४७—शारीरिक ि क्षा के राजकीय महाविद्यालय, रामपुर में खेल तथा मनोरंजन में व्याख्याता के पदो के लिये अर्हतायें।

४८—उत्तर प्रदेश परिवहन अभियन्त्रण सेवा में चुनाव करने की प्रक्रिया।

४९—उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर के ज्येष्ठ निरीक्षक के पदो को सर्विस मैनेजर के संवर्ग में शामिल करना।

५०—क्षेत्रीय ज़िला तथा अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारियो के पदो के लिये चुनाव के हेतु सिद्धान्त।

५१—विद्युत् विभाग में सहायक अभियन्ता के पदो पर पदोन्नति के लिये अर्हकरी परीक्षा की पाठविधि।

५२—श्रम विभाग में लेडी डाक्टर, पी० एम० एस० (प्रथम) (राजपत्रित) के पद के लिये अर्हतायें।

५३—राजपत्रित चिकित्सा सेवा (आयुर्वेद) मे चुनाव के लिये सिद्धान्त तथा अर्हतायें।

५४—बालिका विद्यालयो की उपनिरीक्षिका के पदो के लिये अर्हतायें।

५५—श्रम संगठन मे ओवरसियर के पदो के लिये अर्हतायें।

५६—स्टेट ट्रैक्टर संगठन तथा कृषि कर्मशाला, लखनऊ की अभियन्ता सेवाओ के पदो पर चुनाव करने के लिये मान्यताप्राप्त डिग्रियो और डिप्लोमाओ की सूची का पुनरीक्षण।

५७—विधान परिषद् सचिवालय में हिन्दी प्रतिवेदक के पदो पर चुनाव करने के लिये तदर्थ सिद्धान्त।

५८—सामान्य सचिवालय में निर्देश लिपिक, कोषाध्यक्ष तथा लेखापाल आदि के पदो पर पदोन्नति के लिये चुनाव करने के सिद्धान्त तथा कसौटियां।

५९—उत्तर प्रदेश सूचना संचालकालय में स्टोर्स परचेज़ सेक्शन में परीक्षक के पदो के लिये अर्हतायें।

६०—उत्तर प्रदेश श्रम आयुक्त के वैयक्तिक सहायक के पद पर पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्ते।

६१—अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा (सिंचाई विभाग) नियमावली, १९५१ के नियम ९ (ख) मे सशोधन।

———

परिशिष्ट ११

महत्वपूर्ण विविध निर्देश

१—ईश्वर दास टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, बहोजी तथा प्रेम महाविद्यालय इन्जीनियरिंग कालेज (जिसे अब मथुरा प्रेम महाविद्यालय टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, मथुरा कहते हैं) द्वारा क्रमशः १९४९ तथा १९५१ मे प्रदत्त डिप्लोमा को निम्नलिखित में चुनाव के लिये मान्यता प्रदान करना :—

(अ) अधीनस्थ विद्युत् अभियन्त्रण सेवा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, (भवन तथा सड़क शाखा),

(ब) उत्तर प्रदेश कृषि अभियन्त्रण सेवा (निम्न वेतन-क्रम), तथा

(स) विद्युत् विभाग में अधीनस्थ विद्युत् एवं यान्त्रिक अभियन्त्रण सेवा।

२—ईश्वर दास टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, बहोजी तथा प्रेम महाविद्यालय टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, मथुरा द्वारा १९५८ तथा उसके बाद प्रदत्त डिप्लोमो को उन सेवाओ में चुनाव के लिये मान्यता प्रदान करना, जिनके लिये राजकीय प्राविधिक विद्यालयो द्वारा प्रदत्त डिप्लोमायें मान्य हैं।

३—चौधरी मुख्तार सिंह गवर्नमेन्ट पालीटेक्निक, दौराला द्वारा प्रदत्त केमिकल इन्जीनियरिंग तथा केमिकल टेक्नालॉजी के डिप्लोमा को राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में चुनाव के लिये दिल्ली पालीटेक्निक की बी केमिकल इन्जीनियरिंग डिग्री के समकक्ष मान्यता प्रदान करना।

४—एच० बी० टी० आई०, कानपुर के केमिकल इन्जीनियरिंग में असोशियेट डिप्लोमा को एम० एस-सी० डिग्री के समकक्ष मान्यता प्रदान करना।

५—मुरलीधर गजानन्द टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, हाथरस के डिप्लोमा फार कम्प्यूटर्स ऐन्ड सर्वेयर्स को परिवहन विभाग में सर्वेयर और कम्प्यूटर के पदों के लिये चुनाव करने के हेतु मान्यता प्रदान करना।

६—सेन्ट्रल टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, ग्वालियर के डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ऐन्ड मेकैनिकल इन्जीनियरिंग को सिंचाई विभाग में विद्युत् तथा यान्त्रिक सुपरवाइजर के पदो के लिये मान्यता प्रदान करना।

७—इन्स्टीट्यूशन आफ म्युनिसिपल (ऐन्ड काउन्टी) इन्जीनियर्स, लन्दन के टेस्टामुर सर्टिफिकेट को स्थानीय स्वशासन अभियन्त्रण विभाग में अभियन्ता के पदों पर चुनाव करने के लिये मान्यता प्रदान करना।

८—डा० एम० पी० श्रीवास्तव की २४ मई, १९५७ से एक वर्ष की और अवधि के लिये उत्तर प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा मे पुनर्नियुक्ति।

९—सर्वश्री मगल सेन, हीरा लाल, राम गोपाल रस्तोगी तथा वेगराज शर्मा की सार्वजनिक निर्माण विभाग मे सहायक अभियन्ता के पदो पर पुनर्नियुक्ति।

१०—सर्वश्री किशोरी लाल अरोरा की सेकेण्ड स्पेशल जज, लखनऊ के पद पर १४ अप्रैल, १९५७ से एक वर्ष की और अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति।

११—श्रम विभाग में सब्सीडाइज्ड हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत श्री पुनेश्वर

१२—शासन के मुख्यालय में श्री गोपाल चन्द्र सिन्हा की विशेष अधिकारी के पद पर ९ फरवरी, १९५७ से एक वर्ष की और अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति।

१३—श्री राज नारायण कक्कर की अस्थायी डिप्टी कलेक्टर तथा मुख्य भूमि अवाप्ति अधिकारी, सुधार प्रन्यास, वाराणसी के रूप में ६ दिसम्बर, १९५७ से एक वर्ष की और अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति।

१४—श्री छज्जू सिंह की पशुचिकित्सा सहायक सर्जन के पद पर ५ मई, १९५७ से एक वर्ष की और अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति।

१५—श्री वी० साने की फलोपयोग के संचालक के पद पर ३० मार्च, १९५७ से एक वर्ष की और अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति।

१६—श्री पलकधारी सिंह की सिक्योरिटी आफिसर, राजकीय सीमेन्ट फैक्टरी, चुर्क के पद पर पुनर्नियुक्ति।

१७—श्री अर्जुन सिंह की मुख्य भूमि अवाप्ति अधिकारी, एटा के अस्थायी पद पर पुनर्नियुक्ति।

१८—श्री डी० एन० चड्ढा की विद्युत् विभाग में लाइन इन्स्पेक्टर के पद पर एक वर्ष की और अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति।

१९—श्री एस० नासिर हुसेन की प्रधानाध्यक्ष, कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल, रामपुर के पद पर १ अप्रैल, १९५१ से ७ मास की और अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति।

२०—डा० एस० बी० सिंह की उत्तर प्रदेश शासन के कृषि परामर्शदाता के रूप में पुनर्नियुक्ति।

२१—श्री बाबू राम वर्मा की जज (रिवीजन), सेल्स टैक्स, उत्तर प्रदेश के पद पर ३१ मार्च १९५९ तक के लिये और पुनर्नियुक्ति।

२२—डा० बन्शीधर की उत्तर प्रदेश शासन के एफीशियेन्सी ऐडवाइजर के रूप में पुनर्नियुक्ति।

२३—सर्वश्री रामचरन वर्मा और ब्रजनन्दन लाल की स्टेट इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश के मेम्बर जजो के रूप में १५ सितम्बर, १९५७ तक और पुनर्नियुक्ति।

२४—श्री पी० बी० एल० श्रीवास्तव की भूमि अवाप्ति अधिकारी, सुधार प्रन्यास, नगरपालिका, लखनऊ के पद पर ३१ मार्च, १९५७ से एक वर्ष की और अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति।

२५—श्री सुखराज बिहारी की कम्पीटेन्ट आफिसर, लखनऊ के कार्यालय में मुसरिम के पद पर ३१ मार्च, १९५७ तक पुनर्नियुक्ति।

२६—डा० ए० एस० दीक्षित की उत्तर प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में ३० सितम्बर, १९५७ तक और पुनर्नियुक्ति।

२७—डा० राजकरन सिंह की सार्वजनिक निर्माण विभाग में मुख्य भूमि अवाप्ति अधिकारी के पद पर एक वर्ष के लिये पुनर्नियुक्ति।

२८—श्री ए० एच० मोइनुद्दीन की श्रम विभाग मे परीक्षक (लेखा-परीक्षा तथा लेखा) के पद पर ३१ मार्च, १९५८ अथवा अनुमोदित अभ्यर्थी की नियुक्ति हो जाने तक, जो भी पहले हो, पुनर्नियुक्ति।

२९—सर्वश्री राजा राम मेहरा, दाता राम मिश्र, आफताब अहमद, गोपाल-चन्द्र सिन्हा तथा विश्वनाथ प्रसाद की जज (अपील्स), सेल्स टैक्स के पदो पर ३१

३०--श्री एम० यू० फारूकी की जज (अपील्स), सेल्स टैक्स के पद पर १५ जुलाई, १९५८ तक पुर्नानियुक्ति ।

३१--डा० सी० बी० सिंह की चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर में सर्जरी के प्रोफेसर तथा प्रिंसिपल के पद पर तीन वर्ष की अवधि तक या उनके ६० वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लेने तक, जो भी पहले हो, पुर्नानियुक्ति ।

३२--श्रीमती यू० ला फ्रान्सिस की मेट्रन, बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ के पद पर २७ मई, १९५८ से एक वर्ष की अवधि के लिये पुर्नानियुक्ति ।

३३--डा० पी० एस० बख्शी की अधीनस्थ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में पुर्नानियुक्ति ।

३४--श्री फतेह बहादुर सिंह की सार्वजनिक निर्माण विभाग में अस्थायी ओवरसियर के पद पर १८ मार्च, १९५७ से एक वर्ष की और अवधि के लिये पुर्नानियुक्ति ।

३५--डा० खजान चन्द की अधीक्षक, टी० बी० सेनेटोरियम, भुवाली के पद पर ३१ दिसम्बर, १९५७ अथवा अनुमोदित अभ्यर्थी के नियुक्त किये जाने तक, जो भी पहले हो, पुर्नानियुक्ति ।

३६--श्री जे० पी० मिश्रा की सहायता तथा पुनर्वासन विभाग में सेल्स आफिसर (मुख्यालय) के पद पर २८ फरवरी, १९५८ तक पुर्नानियुक्ति ।

३७--श्री बी० एन० जुत्शी की स्पेशल जज, लखनऊ के पद पर १ अप्रैल, १९५७ से डेढ मास की और अवधि के लिये पुर्नानियुक्ति ।

३८--श्री ज्ञान सिंह की पशुचिकित्सा सहायक सर्जन के पद पर एक वर्ष की और अवधि के लिये पुर्नानियुक्ति ।

३९--श्री शंकर लाल की ज्येष्ठता को सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ताओं के वर्ग में निर्धारित करना ।

४०--श्री पी० एल० गौड़, उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (निम्न वेतन-क्रम) में सहायक मार्केटिंग अधिकारी की ज्येष्ठता का पुर्नानिर्धारण ।

४१--अस्थायी सहायक अभियन्ताओं के संवर्ग में सीधी भर्ती द्वारा चुने हुये अभ्यर्थियों तथा रुड़की महाविद्यालय के १९४८ के बैच के इन्जीनियरिंग विद्यार्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण ।

४२--सर्वश्री बी० बी० एल० वर्मा और एच० एन० मिश्रा की ज्येष्ठता को उत्तर प्रदेश सहकारिता सेवा, क्लास दो में निर्धारित करना ।

४३--श्री आर० एल० चड्ढा की ज्येष्ठता को उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में यातायात अधीक्षकों के संवर्ग में निर्धारित करना ।

४४--श्री मोहम्मद तकीउल्लाह की ज्येष्ठता को अधीनस्थ शिक्षा सेवा (एल० टी० ग्रेड) में फिर से निर्धारित करना ।

४५--श्री एम० एच० खान की ज्येष्ठता को मनोरंजन-कर निरीक्षकों के संवर्ग में निर्धारित करना ।

४६--कुछ स्थानापन्न सहायक यांत्रिक अभियन्ताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता को निर्धारित करना ।

४८—उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में यातायात अधीक्षकों की पारस्परिक ज्येष्ठता को निर्धारित करना।

४९—एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा के परीक्षाफल पर श्री आर० डी० गौड़, जो नौकरी से अलग कर दिये गये थे, की विभागीय अभ्यर्थियों के लिये सुरक्षित अवर वर्ग सहायक के एक पद पर नियुक्ति।

५०—श्री चन्द्रशेखर द्विवेदी, जिन्होंने भारत सरकार के अधीन एक पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिये उत्तर प्रदेश असैनिक अधिशासी सेवा से परीक्षणकाल में ही त्याग-पत्र दे दिया था, की डिप्टी कलेक्टर के पद पर पुनर्नियुक्ति।

५१—श्री डी० पी० सिंह, जिन्होंने कलेक्शन अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिये उत्तर प्रदेश सहकारिता सेवा, क्लास दो से अपना त्याग-पत्र दे दिया था, की सहायक निबन्धक, सहकारिता सेवाओं, उत्तर प्रदेश के पद पर पुनर्नियुक्ति।

५२—श्री लक्ष्मीकान्त की उत्तर प्रदेश असैनिक (न्यायिक) सेवा में मुंसिफ के पद पर पुनर्नियुक्ति।

५३—श्री हर महेन्द्र सिंह गेरवाल की पशुचिकित्सा सहायक सर्जन के पद पर पुनर्नियुक्ति।

५४—डा० गुलाब चन्द्र खत्री, जिसे आयोग ने पी० एम० एस० (२) में स्थायी नियुक्ति के लिये संस्तुत किया था, की पी० एम० एस० (२) में आयोग की संस्तुतियों के एक वर्ष की अवधि के बीत जाने पर नियुक्ति।

५५—श्री पी० सी० गौतम को स्टाम्प्स और रजिस्ट्रेशन के निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये निर्धारित अर्हताओं से मुक्ति देना।

५६—पी० एम० एस० (२) में अस्थायी नियुक्ति के लिये डा० के० एस० डागे को अधिकतम आयु-सीमा से तथा डा० जी० एन० अधिकारी और डा० जी० डी० चावला को अधिकतम आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताओं के लिये टेरीटोरियल रेस्ट्रिक्शन तथा अधिवास से मुक्ति देना।

५७—इस विचार से कि श्री आर० एन० खन्ना को अधीनस्थ कृषि सेवा में पुनर्नियुक्त किया जा सके, उनको सेवा नियमावली में निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा से मुक्ति देना।

५८—डा० अम्मार हुसेन की पी० एम० एस० (१) में अस्थायी नियुक्ति के लिये उनको सेवा नियमावली में निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा से मुक्ति देना।

५९—सचिवालय में २६ जनवरी, १९५० से पूर्व नियुक्त अस्थायी सहायकों को सेवा नियमावली में निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं से मुक्ति देना।

६०—आस्थान (इस्टेट) विभाग के अस्थायी सहायकों को, सचिवालय में अस्थायी सहायकों को स्थायी सेवा में विलीन करने की विशेष उप-परीक्षा में बैठने की अनुमति देना।

६१—सचिवालय के अस्थायी सहायकों को स्थायी सेवा में विलीन करने के लिये ली जाने वाली विशेष उप-परीक्षा में एक अर्हकरी स्तर (क्वालीफाइंग स्टैन्डर्ड) निर्धारित करने का प्रश्न।

६२—सचिवालय के जूनियर ग्रेड लिपिकों तथा टेलीफोन आपरेटरों को

६३—दिसम्बर, १९५३ में ली गई प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर चुने गये अवर वर्ग सहायकों को प्रवर वर्ग सहायकों की प्रतियोगितात्मक परीक्षा, १९५७ में बैठने की अनुमति सेवा–नियमों को शिथिल करके देना।

६४—डा० बी० एल० भल्ला ने अधीनस्थ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व तराई तथा भावर शासन आस्थानों में जो सेवा की थी, उसकी अवधि को उ० प्र० सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में उनकी पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा की अवधि में जोड़ने के बारे में उनकी अभ्यर्थना।

६५—श्री पी० एस० पचौरी का उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय में अधीक्षक के पद पर स्थायीकरण।

६६—श्री अजीजुल हक, पुलिस विभाग में भूतपूर्व एकाउन्ट्स क्लर्क की दया अभ्यर्थना (मर्सी पेटीशन)।

६७—श्री भव देव मिश्रा की ज्येष्ठता को सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायकों के संवर्ग में निर्धारित करने के लिये उनका प्रतिनिवेदन।

६८—श्री मदन गोपाल अग्रवाल की उत्तर प्रदेश सचिवालय में अभ्यर्थना अधिकारी के पद पर नियुक्ति।

६९—कलेक्शन नायब तहसीलदार के पांच पदों को, जो अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिये सुरक्षित थे, भूमि सुधार आयुक्त के संगठन में अनुसूचित जातियों के अमीन आदि में से पदोन्नति द्वारा भरने का प्रश्न।

७०—श्री राज करन सिंह की विधान सभा सचिवालय में आशुलिपिक के पद पर आत्मस्थानीय नियुक्ति।

७१—सर्वश्री जी० के० गुप्ता, दिनेश कुमार और मंगली प्रसाद का सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता के पदों पर स्थायीकरण।

७२—डा० ब्रज मोहन नौटियाल के पी० एम० एस० (२) में परीक्षणकाल की अवधि को बढ़ाना।

७३—यह प्रश्न कि वर्क चार्ज अधिष्ठानों में या पेड अप्रेन्टिसों के रूप में निश्चित वेतन पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में, जिनमें की गई सेवायें, वेतन–वृद्धि आदि के लिये जोड़ी नहीं जातीं, आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है या नहीं और इसे सेवा में नियुक्ति मानी जाय या नहीं।

७४—श्री जाहिद अली, सुपरवाइजर कानूनगो की नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिये उनका प्रतिनिवेदन।

७५—अभ्यर्थियों के सामान्य अनुदेश में इस आशय का एक उपबन्ध शामिल करना कि जिन अभ्यर्थियों ने टेरीटोरियल आर्मी में दो या अधिक वर्षों तक काम किया है या जिन्होंने नेशनल कैडेट कोर का 'बी' सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, उन्हें राज्य शासन के अन्तर्गत सेवाओं में अथवा पदों पर नियुक्ति के मामलों में अन्य बातों के समान रहने पर प्राथमिकता दी जायगी।

७६—यह प्रश्न कि डा० के० एन० सक्सेना ने पी० एम० एस० (१) में जो अस्थायी सेवा की है उसे सिविल सर्जन के पदों पर पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा (क्वालीफाइंग सर्विस) की निर्धारित अवधि में शामिल करना चाहिये या नहीं।

७८—सर्वश्री पी० सी० जैन और महबूब हुसन को सिचाई विभाग में अस्थायी सहायक अभियन्ता के पदों पर बनाये रखने के लिये उनके प्रतिनिवेदन।

७९—यह प्रश्न कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के, जो ओवरसियर अपने परीक्षणकाल में असन्तोषजनक कार्य करने के कारण अस्थायी संवर्ग में प्रत्यावर्तित कर दिये गये थे, उन्हें आयोग द्वारा विज्ञापित स्थायी पदों के लिये अन्य अभ्यर्थियों के साथ अपने अवसर का उपयोग करने के लिये कहा जाय या नहीं।

८०—श्री राम प्यारे श्रीवास्तव को स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग में सहायक लेखा परीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये उनका प्रतिनिवेदन।

८१—सहायक जिला पंचायत अधिकारी के १३ स्थायी पदों पर पुष्टिकरण के लिये सिद्धान्त तथा प्रक्रिया।

८२—राज्य की सभी इंजीनियरिंग सेवाओं के लिये एक सम्मिलित प्रतियोगितात्मक परीक्षा करने का प्रश्न।

८३—सिविलियन चिकित्सा अधिकारियो को आर्मी मेडिकल कोर में भेजने (सेकेन्डमेंट) का प्रस्ताव।

८४—श्री आर० एच० रिजवी की अधीनस्थ कृषि सेवा (ग्रुप १) में पदोन्नति के लिये उनका प्रतिनिवेदन।